C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 10, Wednesday, December 9, 2015/ Agrahayana 18, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 145	14-57
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 146 to 160	58-106
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	107-519

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 520-526

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
16th Report 526

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
9th to 11th Reports 527

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Minority Affairs

Dr. Najma A. Heptulla 528

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology

Shri Ravi Shankar Prasad 528

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 255th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Space

Dr. Jitendra Singh 528

MATTERS UNDER RULE 377 557-583

(i) Need to develop a Shiv circuit connecting places of religious importance associated with Lord Shiva in Muzaffarpur and Gopalganj districts of Bihar

Shri Janak Ram 558

(ii) Need to provide compensation to farmers whose land has been acquired for construction of National Highway No. 148-D (Gulabpura to Uniara) in Rajasthan in accordance with the new policy

Subhash Chandra Baheria 559

(iii) Need to modernize the armed forces and allocate more funds for operational capabilities

Shri Harish Meena 560

(iv) Need to include Tonk, Sawai Madhopur and Gangapur cities of Rajasthan in the first phase of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 561

(v) Need to increase remunerative price for paddy particularly for Vidarbha region of Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 562

(vi) Need to administer Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow, Uttar Pradesh by Union Government

Shri Kaushal Kishore 563

(vii) Need to include people belonging to Nishad community of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes

Yogi Adityanath 564

(viii) Need to set up a Cancer Research Institute and Hospital in Faizabad, Uttar Pradesh

Shri Lallu Singh 565

(ix) Need to construct a rail line between Bharatpur in Rajasthan and Kosi in Uttar Pradesh

Shri Bahadur Singh Koli 566

(x) Need to send a central team to Ladakh to assess damages caused by the natural disasters

Shri Thupstan Chhewang 567

(xi) Need to declare Rohtas and Kaimur districts of Bihar as drought-hit and provide adequate relief to the affected farmers

Shri Chhedi Paswan 568

(xii) Need to construct bridges on river Ramganga in Arjunpur and river Ganga between Kamalganj and Kadhar in Farrukhabad parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Shri Mukesh Rajput 569

(xiii) Need to take step for expeditious development of vaccine for Japanese Encephalitis

Shri Jagdambika Pal 570

(xiv) Need to honour Jyotirao Phule and Savitribai Jyotirao Phule with Bharat Ratna

Shri Rajeev Satav 571

(xv) Need to allocate more funds for the BRT Tiger Reserve

Shri R. Dhruvanarayana 572

(xvi)	Need to provide unemployment allowance to the unemployed youth belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community	
	Dr. K. Gopal	573-574
(xvii)	Need to expedite doubling of rail link work between Madurai and Kanyakumari	
	Shri T. Radhakrishnan	575
(xviii)	Need to construct a flyover at Bandel Junction Railway Station	
	Dr. Ratna De (Nag)	576
(xix)	Need to protect the ancient monuments in Arambagh parliamentary constituency, West Bengal	
	Shrimati Aparupa Poddar	577
(xx)	Need to provide adequate funds for Krishna Marathwada irrigation project in Maharashtra under Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme and waive the loans of farmers distressed due to severe drought condition in the region	
	Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad	578
(xxi)	Need to include Technical Institutes of Higher learning, located in Andhra Pradesh, in the Ph. D Scheme for IT and Electronics	
	Shri Kesineni Srinivas	579
(xxii)	Need to improve the condition of Asha workers in the country	
	Dr. Boora Narsaiah Goud	580
(xxiii)	Need to extend the run-way of the proposed Kannur International Airport to 4000 metres	
	Shrimati P. K. Sreemathi Teacher	580

(xxiv) Need to start operation of international flights from international airport at S.A.S. Nagar (Mohali) in Punjab and also name the airport after Shaheed Bhagat Singh

Shri Prem Singh Chandumajra 581

(xxv) Need to protect the social media activists

Shri Bhagwant Mann 582

(xxvi) Need to restrict the import of dairy products in the country

Shri Raju Shetty 583

INDIAN TRUSTS (AMENDMENT) BILL, 2015 584-614

Shri Jayant Sinha 584-587, 612

Shri Hukum Singh 589-591

Shri S. Selvakumara Chinnaiyan 592-594

Shri Bhartruhari Mahtab 595-597

Shri Vinayak Bhaurao Raut 598-599

Dr. Ravindra Babu 600

Shri P.K. Biju 601-602

Shri Rajesh Ranjan 603-604

Shri B. Vinod Kumar 605

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy 606-607

Shri Dushyant Chautala 608

Shri Kaushalendra Kumar 609

Shri Prem Das Rai 610

Clauses 2, 3 and 1 614

Motion to Pass 614

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS ORDINANCE, 2015
AND
COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS BILL, 2015

Shri D.V. Sadananda Gowda	615-617

DISCUSSION UNDER RULE 193

Drought situation in various parts of the Country

Shri Sanjay Haribhau Jadhav	621-624
Shri K. Ashok Kumar	625-628
Shri N. Kristappa	630-632
Shri Prataprao Jadhav	633-635
Shri Devji M. Patel	636-637
Shri Chandra Prakash Joshi	638-639
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	640-649
Shri Nishikant Dubey	650-654
Shri Mullapally Ramachandran	655-658
Shri Bheemrao B. Patil	659-662
Shri Srirang Appa Barne	663-664
Shrimati Aparupa Poddar	665-666
Shrimati Butta Renuka	667-669
Kumari Shobha Krandlaje	670-672
Shri Rabindra Kumar Jena	673
Shri B.S. Yediyurappa	674-682
Shri P. Karunakaran	683-686
Shri Prem Singh Chandumajra	687-689
Dr. Kirit Somaiya	690

Shri Tej Pratap Singh Yadav	691-693 695-696
Shri Hariom Singh Rathore	697-698
Shri G. Hari	699-702
Shri P.K. Biju	703-705
Shri Pralhad Joshi	706-707
Shrimati V. Sathyabama	708-712
Sadhvi Savitri Bai Phule	713-714
Shri Jay Prakash Narayan Yadav	716-717
Shrimati Rama Devi	718-719
Shri A.T. Nana Patil	720-724
Shri Bidyut Baran Mahato	725-730
Shri Virendra Singh	736-738

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	740
Member-wise Index to Unstarred Questions	741-747

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	748
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	749-750

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 9, 2015/Agrahayana 18, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Prof. Saugata Roy, Shri Y.V. Subba Reddy and Shri M.B. Rajesh on different subjects.

The matters, though important, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है। आप इसे बाद में कभी भी उठा सकते हैं।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, the Prime Minister is meeting the Pakistan Prime Minister. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदया, बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। …(व्यवधान)

हमारा एडजर्नमेंट मोशन मंजूर किया जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: We should at least know. Why are they going? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, I think that for you, yesterday only the Parliamentary Affairs Minister had cleared the issue. Now that your issue of Pakistan …

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: The Foreign Minister went to Pakistan. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The Foreign Minister is not here. He has clearly stated it. Hence, I have disallowed it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No Adjournment Motion on it when I have disallowed it. How can you raise it?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: She is still in Pakistan. No statement is coming from the Government… (*Interruptions*) We want to know. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have not given any notice on any issue. I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): No, this is very important. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Why not?

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपसे माफी चाहता हूं। कल आप पूछ रही थीं कि यहां जो प्रोटैस्ट हो रहा था, क्यों हो रहा है, वजह क्या है। इसलिए आपने कुछ बातें कहने के लिए मुझे परमिशन दी थी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन कल आपने कुछ नहीं बोला।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम प्रोटैस्ट क्यों कर रहे थे, जब तक मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं होगी, यह समझकर मैं उठा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जीरो आवर में आपको बिल्कुल बोलने का मौका दूंगी।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, I will allow you. I am not saying 'No'.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको डिसएलाऊ नहीं कर रही हूं। मैंने सारे एडजर्नमैंट मोशन डिसएलाऊ किए हैं। मैं आपसे कल पूछ रही थी, लेकिन आप 24 घंटे बाद अभी खड़े हो रहे हैं। कल आप सदन में मौजूद थे, तब मैंने आपको आवाज लगाकर पूछा था। अभी भी आप कह सकते हैं लेकिन I will definitely allow you after the Question Hour. You will be the first person.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो चीजें...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो भी हो।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मुझे 24 घंटे बाद ध्यान नहीं आया, पहले भी आया था।

HON. SPEAKER: I will definitely allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं जब भी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं, उस बात को निकाला जाता है। जैसे जनरल वी.के. सिंह के लिए मैंने किया था।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not now. I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपसे विनती करता हूं। ...(व्यवधान) इस देश में दो रूल्स हैं।...(व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, the mike is not on. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Deepender, you are not his advocate.

… (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : But his mike should be on while he is speaking. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं जब बात कर रही हूं तो मुझे मालूम है। यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यही बोल रही हूं कि क्वश्चन आवर के बाद जरूर बोलने का मौका दूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will definitely allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : It is very important आपने कई बार क्वेश्चन ऑवर से पहले बोलने की इजाजत दी है। …(व्यवधान) इस देश में दो कानून हैं एक रूलिंग पार्टी के लिए और दूसरा विपक्ष के लिए …(व्यवधान) यह हर जगह चल रहा है …(व्यवधान)। इस सदन में मैंने यह मुद्दा उठाया था …(व्यवधान) राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ …(व्यवधान) मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ …(व्यवधान)।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, Parliament has got certain rules. … (*Interruptions*). It is my duty also… (*Interruptions*). I do not want to say anything. Let the Question Hour be over. This is not the way. There cannot be two rules - one rule for the Congress Party and one for BJP… (*Interruptions*) This is totally against the rules. What they did is totally against the spirit of the Constitution and also mandate of the people… (*Interruptions*). They have disturbed the House. They did not allow the drought situation to be discussed. It is totally unfair and uncalled for. Violating the rules is no good… (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Nothing would go on record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : नहीं, विदाऊट नोटिस ये बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी, …(व्यवधान) कुछ भी बातें नहीं जाएंगी, क्लीयर प्वाइंट बोलेंगे, …(व्यवधान) आप कहां-कहां की बातें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। …(व्यवधान) मैंने आपसे पर्टिकुलर चीज पूछी थी। …(व्यवधान) आप पर्टिकुलर बात नही बोल रहे हैं। यहां से कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … *

11.07 hours

(At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

---

* Not recorded.

11.07 ¼ hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 141, Shri D.S. Rathod.

(Q. 141)

श्री डी.एस.राठौड़ : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने सही जवाब दिया है। उसमें बताया गया है कि रोमिंग के लिए 1.15 पैसा प्रति मिनट है ...(व्यवधान) क्या इसे कुछ घटाने की बात हो रही है, कृपया इस बारे में बताए ...(व्यवधान)।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, देश में बीएसएनएल ने अपने टैरिफ प्लॉन में फ्री रोमिंग दिया हुआ है, ...(व्यवधान) अगर आपके पास उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का फोन है ...(व्यवधान) अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं तो इनकमिंग पूरी तरह से फ्री होगी, ...(व्यवधान) वहां से अपने प्रदेश में फोन करेंगे तो वहां लोकल चार्ज लगेगा ...(व्यवधान) बाहर एसटीडी लगेगा, बाकी ऑपरेटरों ने भी ट्राई के आदेश के मुताबिक एक-दो टैरिफ प्लॉन रखा है लेकिन बीएसएनएल ने सारे टैरिफ प्लॉन में रोमिंग को फ्री किया है ...(व्यवधान) उससे काफी फायदा हुआ है ...(व्यवधान) नए कस्टमर आए हैं ...(व्यवधान) आज बीएसएनल घाटे से फायदे की ओर बढ़ रहा है ...(व्यवधान) हमारी कोशिश होगी कि इसे और आगे बढ़ाएं।

श्री डी.एस.राठौड़: भारत संचार निगम लिमिटेड प्रोफिट में चल रहा है या घाटे में चल रहा है? ...(व्यवधान) प्राइवेट कंपनी की तुलना में बीएसएनएल की ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, ...(व्यवधान) क्या सरकार इसके ट्रांसमिशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ...(व्यवधान) मोबाइल में बहुत सारा ड्रॉप आ रहा है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय बीएसएनएल 10,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कर रही थी, ...(व्यवधान) जब हमारी सरकार आई तो बीएसएनएल 8,000 करोड़ रुपये के घाटे में था, इसका जवाब उनको देना है ...(व्यवधान) हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएनल ने 672 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रोफिट किया है ...(व्यवधान) कस्टमरों की संख्या भी बढ़ रही है ...(व्यवधान) पिछले एक साल टेलीकॉम सेक्टर में पिछले पांच सालों में सबसे अधिक पूंजीनिवेश हुआ है, ...(व्यवधान), कस्टमरों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है ...(व्यवधान) हम आगे और भी तरक्की करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN: Madam I thank you for allowing me to ask this supplementary question.

Now-a-days, we are facing the problem of call drops. Now the Government as well as TRAI is talking about refund and clarity. I would request the Minister to take clear and concrete steps in this regard.

Madam, Chennai suffered a lot due to floods. I thank this Government and the hon. Minister for announcing that the BSNL will not charge land-line and broad band customers for one week. But it is not sufficient because a number of land-line phones and mobiles are not working. So, I would request the Minister that this facility should be extended for one month or at least for 15 days for our people. This is my request.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I am thankful to the hon. Member for the good words about BSNL. It has given one week free mobile and landline services and no dis-connectivity at all for 15 days. BSNL did the same in case of Nepal Earthquake and also during Kashmir floods. The hon. Member has given a suggestion which we will certainly look into. BSNL always tried to be people-friendly in case of natural disasters.

About call-drops, it is also a problem created by them when they were in power. We are improving the situation. I want to tell you that because of the proactive steps taken by the Government, BSNL has installed 25,000 towers; the private sector has installed 14,000 towers. They have installed about 2,200 towers in Delhi alone. We are monitoring the situation on a regular basis. I am doing it; TRAI is doing it; and my Department is doing it. So, the situation is improving and, very soon, we will make it completely free. That is what I have to say.

श्री कौशलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान) हम बिहार से आते हैं। ...(व्यवधान) खासकर बिहार में कॉल ड्रॉप की बहुत समस्या है। ...(व्यवधान) मैं नालंदा क्षेत्र से आता हूं। ...(व्यवधान) जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं भी बीएसएनएल और एमटीएनएल का फोन नहीं लगता। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कब तक सुधार आयेगा? ...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बारे में अधिक सवाल ...(व्यवधान) बीएसएनएल इस स्थिति में क्यों आया, इस बारे में भी पूछना चाहिए? ...(व्यवधान) आपने सही कहा। ...(व्यवधान) हम बिहार में 1200 टावर्स नये लगा रहे हैं, जिसमें से साढ़े छः सौ टावर्स लग चुके हैं। ...(व्यवधान) सिर्फ पटना जिले में हम लगभग डेढ़ सौ टावर्स लगाने वाले हैं। ...(व्यवधान) जहां तक आपकी कांस्टीटूएंसी की बात है, तो उस बारे में हमने बहुत कार्रवाई की है। ...(व्यवधान) हम उसकी जानकारी प्राप्त करके आपको बतायेंगे। ...(व्यवधान)

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE: Madam, will the hon. Minister inform this House about how BSNL is working and whether it is coming up with cheaper tariff plans for mobile and data services to meet the increasing competition from the private sector in the communication sector?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, the hon. Member has asked a very good question and I must thank her for the same. We have been insisting in the Government that the BSNL must become competitive. Today, I can tell you that from June, 2015 BSNL has come with a tariff plan whereby roaming is free in all the tariff plans. Therefore, they are getting good customers; they are getting further good services and there has been a rise in revenue as well. The tariff plans of BSNL in terms of roaming are better than that of the private sector. Competition is taking place. Now, 4G is coming. Why I am supporting telecom growth is because the consumer satisfaction is equally important. We are working together and we hope to achieve the desired results.

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने हमारे साथ एक मीटिंग की थी। ...(व्यवधान) उन्होंने उस मीटिंग में बताया कि एनडीए के समय में जो किया गया ...(व्यवधान) उसका ब्यौरा हम दे रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन हम कुछ काम इस बारे में कर रहे हैं। ...(व्यवधान) देखा यह जा रहा है कि उसके बाद भी आज तक कोई सुधार नहीं आया। ...(व्यवधान) हमारा कहना है कि बीएसएनएल अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन वोडाफोन और दूसरे अन्य प्राइवेट सैक्टर्स उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फिर भी वे अच्छा काम कैसे कर रहे हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री बनने के बाद सारे सांसदों के साथ प्रदेश वाइज बीएसएनएल के लोगों की बैठक करवाई। …(व्यवधान) हमने बीएसएनएल के अधिकारियों से कहा है कि वे एमपीज से मिलें, उनसे कोआर्डिनेट करें। …(व्यवधान) मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आज बीएसएनएल की सर्विस में सुधार हुआ है, लेकिन उसमें और सुधार करने की जरूरत है। …(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)

दूसरा, जहां तक प्राइवेट सैक्टर्स की बात है, तो उनके साथ भी कम्पीटिशन होना चाहिए। …(व्यवधान) बड़ी बात यह है कि आज इस देश में लगभग 98 करोड़ मोबाइल फोन्स हो गये हैं। …(व्यवधान) ट्रेड इन्टेन्सिटी आगे बढ़ रही है। …(व्यवधान) सर्विस अच्छी हो, सुलभ हो, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। …(व्यवधान) हम सब मिलकर उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। …(व्यवधान)

(Q. 142)

SHRI T. RADHAKRISHNAN: Hon. Speaker, Madam, Tamil Nadu has made remarkable achievement with regard to Swachh Bharat Mission and it has stood second in the ranking in India. Tamil Nadu under the hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has always thrived for effective solid waste management. However, due to recent flood in and around Chennai, there is huge pile up of garbage scattered all over the city posing health problem to the people. Government of Tamil Nadu is undertaking the removal of garbage on war footing.

At this difficult moment, I would like to know whether the Union Government will come forward and extend financial support for garbage removal and also extend financial help for solid waste management in Tamil Nadu.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, unfortunately, the Tamil Nadu State was affected by a huge flood situation in Chennai town, Kanchipuram, Cuddalore and other neighbouring districts also. The Government of India is aware of the situation. Hon. Prime Minister, in consultation with the State, has visited the State of Tamil Nadu and also made an aerial survey. He subsequently held discussion with the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. He immediately announced an assistance of Rs.1,000 crore to take care of the flood affected people of Tamil Nadu. At the same time, I am also aware that this is a massive problem which has to be dealt with effectively.

Now, the water is receding. The problem of hygiene and other things are coming to the fore. There is huge garbage. The State Government is definitely taking positive steps. The Central Government will also extend whatever support is required. Initially, the Air Force was pressed into service; the Army was pressed into service; and the Navy was pressed into service. The NDRF teams were also sent. The Centre gave all the helping hand to the State of Tamil Nadu. Now in order to come out of the situation, we will be assessing the situation after getting the detailed report about the sanitation situation in Chennai city. The Central Government will study that report and then extend whatever is possible, as per the

norms of the SDRF and the NDRF. All the necessary help will be given to the city of Chennai and other parts of Tamil Nadu. We have also released Rs.118 crore from our Ministry under the Swachh Bharat Mission, Phase-I to the State of Tamil Nadu. Tamil Nadu Government is doing a good work.

HON. SPEAKER: Second supplementary. Do you want to raise the second supplementary?

SHRI T. RADHAKRISHNAN: No.

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री वैंकैय्या नायडू जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने " स्वच्छ भारत अभियान" को पूरा करने के लिए 1361.38 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को आबंटित की है। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्मार्ट सिटी' का विकास कार्य पूरे देश में करने जा रही है। मेरा मानना है कि इन योजनाओं में प्रत्येक सांसद को अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में मानिटरिंग अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 'स्वच्छ भारत अभियान' बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी की मंशा जानना चाहता हूं, क्या वह 'स्वच्छ भारत अभियान', 'स्मार्ट सिटी' और 'अमृत' योजना के तहत सांसदों को इन योजनाओं की समिति का अध्यक्ष बनाकर इनके सही क्रियान्वयन के बारे में विचार करते हैं?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, this is a suggestion given by the hon. Member. The Government shall keep it in mind.

As far as smart cities are concerned, the guidelines have already been issued. It has now been decided to have a Special Purpose Vehicle created wherein the City Mayor and also the Municipal Commissioner will be the part of that because that is a matter to be dealt with by the Urban Local Body. The Urban Local Body must have the full power as far as the smart city concept is concerned. With regard to suggestions and all, Members of Parliament are very much welcome to give their suggestions.

With regard to Swachh Bharat and also the AMRUT, MPs are the Chairpersons of the District-level Committees. It has been brought to my notice

that some of them are not effectively functioning. We will reiterate it and also advise the States to see that the Members of Parliament are allowed to review the performance of these schemes.

श्री सी.आर.चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ह्रदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।...(व्यवधान) और मैं सबसे पहले माननीय वेंकैया नायडू साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा जवाब प्रस्तुत किया है, साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए शहरों में प्रतिस्पर्धा पैदा करके, स्वच्छता की ओर अच्छा कदम उठाने का जो प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं आभारी हूं।...(व्यवधान) जो राशि भी अलॉट की गई है, उसके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान)

मैं इस समय माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि शहरों को हम पांच कैटेगरी में बांटते हैं - म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल्टी नं. 2, म्युनिसिपल्टी नं. 3 और म्युनिसिपल्टी कैटेगरी नं. 4, इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर कैटेगरी की म्युनिसिपल्टी को अलग से बनाकर उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए।...(व्यवधान) इससे जिन राज्यों में छोटे शहर ज्यादा है, उनको इसका लाभ मिलेगा और इस प्रकार से हर कैटेगरी की म्युनिसिपल्टी के लोगों को फायदा होगा।...(व्यवधान) इसलिए क्या माननीय मंत्री जी, इस प्रकार का विचार रखते हैं या क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ विचार कर रहे हैं कि हर कैटेगरी की म्युनिसिपल्टीज को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए उनके लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धा की रेटिंग की व्यवस्था करेंगे और उनके लिए अलग से प्रबन्ध करेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में देश भर में एक स्पर्धा के रूप में शहरों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा कराने का हमने जो विचार किया है, उस बारे में एक सर्वे होने वाला है।...(व्यवधान) सर्वे के संबंध में उनका सुझाव यह है कि सभी शहरों को एक कैटेगरी में नहीं लेना है। अलग-अलग श्रेणी बनाकर उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा कराने का उनका सुझाव है।...(व्यवधान) मैं एक बार उसका अध्ययन करूंगा। मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं...(व्यवधान) क्योंकि उसका कारण यह है कि स्वच्छ भारत हम 4021 शहरों में अमल कराने का प्रयास कर रहे हैं और 75 शहरों के संदर्भ में, स्टेट कैपिटल्स के संदर्भ में जनवरी से यह प्रतिस्पर्धा शुरु होगी। ...(व्यवधान) प्रतिस्पर्धा होने के बाद, उसके अनुभव के आधार पर आगे क्या करना है, यह तय करते समय माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनको भी मैं ध्यान में रखूंगा।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या सबसे अधिक जो विकसित शहर हैं, जो बड़े-बड़े मैट्रो शहर हैं, उन्हीं को चिन्हित किया गया

है या जो डवलप्ड शहर नहीं हैं, जैसे बिहार में भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा या मधेपुरा को ले लीजिए, यदि आप इन शहरों को देखेंगे तो बिहार में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसी शहर को चुना हो।...(व्यवधान) मेरा आपसे सिर्फ यह प्रश्न है कि क्या बिहार का कोई ऐसा शहर जहां पर न तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, न शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है,...(व्यवधान) क्या आपका ध्यान बिहार के ऐसे शहरों की ओर जो मैट्रो शहरों से अलग भी हैं और जहां पर न तो कोई शौचालय की व्यवस्था है और न शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है. क्या ऐसे शहरों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय या शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था करेंगे?...(व्यवधान) इसके साथ साथ क्या आप सांसद को इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उसके संसदीय क्षेत्र में क्या विशेष जिम्मेदारी के तहत उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौपेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष जी, सभी शहर इसमें शामिल हैं।...(व्यवधान) किसी शहर को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जो माननीय सदस्य ने बिहार के संबंध में कहा, वे सभी शहर इस स्वच्छ भारत अभियान में हैं।...(व्यवधान) कहां तक वहां पर अमल हो रहा है या नही हो रहा है, यह वहां की स्थानीय प्रदेश सरकार और वहां की अर्बन लोकल बॉडी पर निर्भर है। ...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री ने शुरूआत में हमारा मार्गदर्शन किया कि इसे केवल सरकार की योजना के रूप में नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक योजना के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि इसे सार्वजनिक जन-आंदोलन के रूप में लेना चाहिए।...(व्यवधान) इसी मार्गदर्शन को हम लोगों ने ध्यान में रखकर मुख्यमंत्रियों से बात की है और सभी सांसदों को भी हमने इसके बारे में बताया, कुछ कल्चरल पीपल्स को, लिट्रेरी पर्सनेलेटीज को और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल करके उनकी मदद ले रहे हैं।...(व्यवधान)

जहां तक बिहार का संदर्भ है, बिहार में स्वच्छ भारत मिशन अपेक्षा के अनुसार संतोषजनक नहीं है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। हमें राज्य को जो पैसा देना है, वह पैसा 37.72 करोड़ रुपए हमने बिहार के लिए रिलीज किया है। इस पैसे को राज्य बाद में शहरों को रिलीज करेंगे।...(व्यवधान) हमारी संघीय व्यवस्था के अनुसार केंद्र राज्य को पैसा देता है और राज्य शहरों को पैसा रिलीज करता है। इसकी मोनिटरिंग भी राज्य सरकार ही करती है इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर इस संदर्भ में उनके पास कोई सुझाव है तो उसे स्थानीय ईकाई के सामने और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के सामने रखे तो बेहतर होगा। उन्होंने सदन के सामने जो विचार व्यक्त किया है, मैं उसे ध्यान में रखूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कौशलेन्द्र जी, आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो लुधियाना सिटी है, जालंधर है, अमृतसर है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत चुने हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है? ...(व्यवधान) वहां पीने का पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है और गंदगी फैली हुई है। क्या मंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंजाब के बारे में किसी तरह की जानकारी दे सकेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, अलग-अलग शहरों की जानकारी तुरंत देना संभव नहीं है। मैं जानकारी इकट्ठा करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सभी राज्यों में यह कार्यक्रम लागू है लेकिन वहां क्या परफार्मेंस चल रही है, यह वहां की स्थानीय स्थिति के ऊपर निर्भर है। पंजाब को हमने 41.40 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत रिलीज किए हैं। जनवरी, 2016 से जो रैंकिंग होने वाली है, उसमें स्थिति मालूम हो जाएगी कि कौन-सी सिटी का क्या रैंकिंग है।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, माननीय मंत्री जी ने सभी राज्यों और जनपदों के स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति दी है।...(व्यवधान) मंत्री जी ने बताया है कि इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टायलेट्स का लक्ष्य 18,68,807 था, उसमें 5,91,240 कम्प्लीट हो गए हैं और जो कम्यूनिटी के 1,29,766 टायलेट्स थे, उनकी प्रोग्रेस 28,948 है। जिस तरह से इंडिविजुअल या कम्यूनिटी टायलेट्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह से स्थानीय निकाय और प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश में कितना पैसा रिलीज किया गया है और उसका कितना यू.सी. आया है।...(व्यवधान) जो बुद्धिस्ट सर्किट हैं, वहां जो कस्बे हैं जैसे सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर है इन जनपदों के स्वच्छ भारत अभियान में जो सूचनाएं अपडेट नहीं की गई हैं, क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे वेल में हमारी तरफ क्यों आए हैं, वे अपनी साइड में वेल में खड़े हों।...(व्यवधान) दूसरी तरफ आकर प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े हो कर नारे लगाना इन्हें शोभा नहीं देता है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपने स्थान पर जाइए। हाउस में अफेक्शन होना चाहिए, डिफेक्शन नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके उत्तर में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को हमने 168.30 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। इंडिविजुअल टायलेट्स के संदर्भ में 19 लाख टायलेट्स बनाना था, उसमें केवल 5.91 लाख बनाए गए और 1 लाख पब्लिक कम्यूनिटी टायलेट्स के संदर्भ में जो भी टार्गेट था, वह अभी अचीव नहीं हो पाया है।...(व्यवधान) केवल 50 परसेंट टार्गेट ही हम अचीव कर सके हैं इसलिए आने वाले दिनों में इस संबंध में ज्यादा ध्यान देंगे और इंडिविजुअल टायलेट्स और कम्यूनिटी टायलेट्स को समय सीमा के अनुसार बनाने के लिए हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और शहरों में भी जो काम हो रहा है, उसके लिए भी अनुरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, इंडिविजुअल टायलेट के लिए केंद्र सरकार चार हजार रुपया देती है और राज्य सरकार को भी उसमें अपना शेयर जोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में केवल चार हजार रुपया दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आठ हजार और दस हजार रुपया भी दे रहे हैं। मेरा माननीय सांसदों से अनुरोध है कि वे प्रदेश सरकार से बातचीत करें और टायलेट्स के लिए राज्य का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए प्रयास करें तो अच्छा होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 143

श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं

(Q. 143)

…(व्यवधान)

श्री अशोक महादेवराव नेते : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है …(व्यवधान) कि आईआईएफ का उद्देश्य "स्टार्ट-अप इंडिया" और एमएसएमई में हजारों करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश के लिए उत्प्रेरित करता है, …(व्यवधान) जिसमें अगले चार-पाँच वर्षों में लाखों शिक्षित वर्गों के लिए रोजगार सृजित होता है। इसमें कितने युवकों को रोजगार दिया जाएगा, …(व्यवधान) यह नहीं बताया गया है। दूसरी बात, देश में ऐसे कई पिछड़े जिले हैं, जहाँ युवकों के लिए रोजगार नहीं है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा नक्सल प्रभावित भी है, …(व्यवधान) वहाँ पर युवकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर नहीं हैं। रोजगार नहीं रहने के कारण वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। …(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे क्षेत्र में विशेष भाग के रूप में युवकों को रोजगार दिलाने के लिए काम करेंगे? …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न उद्यमशीलता का है। लेकिन जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है कि आखिर कैसे रोजगार उपलब्ध होगा। …(व्यवधान) इस देश में सीधे रोजगार के लिए जो प्रशिक्षण का काम है, वह भारत सरकार के स्किल डवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। …(व्यवधान) लेकिन हम लोगों ने वर्ष 2015 में फिर उद्यमशीलता की घोषणा भी की है। …(व्यवधान) इस तहत जो घोषणा की गयी है, उसमें जो छोटे उद्यम लगाये जाएंगे, उसमें जो निवेश होगा और उसके आधार पर जो रोजगार का सृजन होगा, उससे लोगों को रोजगार देने की संभावना होगी। …(व्यवधान) इसलिए यह प्रश्न मूलतः उद्यमशीलता से संबंधित है, लेकिन चूंकि सांसदों के लिए दोनों विषय सामान्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं और इस दिशा में सोशल उद्यमशीलता के रूप में सरकार ने बहुत सारे पहले किये हैं …(व्यवधान) और मूल रूप से जो सोशल उद्यमशीलता का उद्देश्य है, वह ग्रास रूट उद्यमशीलता बिल्ट-अप करने का है और इसके लिए जो पूरे देश में प्रयास किये गये हैं, …(व्यवधान) उनकी पूरी सूची एनेक्सचर-वन में दी गयी है। …(व्यवधान) इसके तहत कई योजनाएँ हैं और कई मंत्रालयों में उद्यमशीलता के लिए प्रयास किया जा रहा है। …(व्यवधान) उसमें नीति आयोग की एक योजना के तहत एक कार्यक्रम-'सेतु' के रूप में घोषित किया गया है, जो सेल्फ इम्प्लॉयमेंट ऑन ट्रेनिंग के संदर्भ में है। …(व्यवधान) इसी प्रकार से सिडबी के तहत बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिसमें उद्यमशीलता लगाने की है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूँगा की सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में चर्चा की गयी है। …(व्यवधान) सिडबी, एमएसएमई तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस के माध्यम से अनेक मंत्रालय देश में उद्यमशीलता की स्थापना

करने का प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) उससे स्वयं का भी रोजगार होगा और उनके साथ काम करने वाले लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिल सके, हम देशभर में इस बात को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री शेर सिंह गुबाया: मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से स्किल डवलपमेंट मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि स्किल डवलपमेंट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ...(व्यवधान) उसमें वे कौन लोग हैं, जो यह ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? ...(व्यवधान) हमारे ध्यान में यह बात आयी है कि प्राइवेट कंपनीज को स्किल डवलपमेंट के लिए कांट्रैक्ट दिया गया है। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि जैसे आज पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटैक्नीक कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं, ...(व्यवधान) यदि उन कॉलेजों को स्किल डवलपमेंट का काम दिया जाए, तो मेरे हिसाब वे कॉलेज वर्क में आएंगे और जो स्किल डवलपमेंट का कोर्स है, उसे करवाकर कहीं-न-कहीं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है। ...(व्यवधान)

इसके साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा फिरोजपुर पार्लियामेंटरी हलका बॉर्डर से लगा है और उसमें पूरे देश में ऐसी कैटेगरी के सेकण्ड हाइएस्ट लोग रहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप फिरोजपुर एरिया में स्किल डेवलपमेंट के ऐसे ज्यादा सेंटर्स खोलकर गरीब लोगों को स्किल्ड करने का काम करेंगे?

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, देश में जो स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है,...(व्यवधान) एक, जो हार्ड स्किल्स हैं, ...(व्यवधान) वे देश के करीब 13,000 आईटीआईज के माध्यम से पारम्परिक तौर से चल रही हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो स्किलिंग का प्रस्ताव है, ...(व्यवधान) उसमें शॉर्ट टर्म स्किलिंग के लिए व्यवस्था की है। ...(व्यवधान) जैसा माननीय सदस्य ने प्राइवेट पार्टीज के बारे में पूछा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो ट्रेनिंग के लिए आर्गनाइजेशन्स रन करते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है,...(व्यवधान) लेकिन उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, जिसको सरकार ने अभी किया है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।...(व्यवधान) सदन में माननीय सदस्य अभी सुन रहे होंगे कि पूरे देश में यह विषय एआईसीटीई से संबंधित है, इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से बात की है।...(व्यवधान) देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं,...(व्यवधान) आज इंजीनियरिंग कॉलेजेज में लगभग 18 लाख सीट्स हैं, उनमें से आठ लाख सीट्स खाली हैं...(व्यवधान) और कई इंजीनियरिंग कॉलेजेज, कई कॉलेजेज बन्द होने की कगार पर हैं या बन्द हो चुके हैं।...(व्यवधान) मैंने स्मृति जी से बात करके यह आग्रह किया है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज

बन्द हो रहे हैं, उन इंजीनियरिंग कॉलेजेज को स्किल इंस्टीट्यूट के रूप में कन्वर्ट किया जाए...(व्यवधान) ताकि सीधे इम्प्लायमेंट के साथ हम इसे जोड़ सकें। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस सन्दर्भ में निर्देश दिया है कि देश का जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको हम लोक स्किल की तरफ ले जाएं क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि पूरी संख्या में...(व्यवधान)जो 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में है...(व्यवधान) जो लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, जो लोएस्ट बॉटम पिरामिड है समाज का, जिसको उठाना है, जिसकी आमदनी एक हजार, दो हजार या पांच हजार रुपये है,...(व्यवधान) हम उसको थोड़ा प्रशिक्षण देकर, थोड़ा एक्सपोजर देकर, थोड़ी फण्डिंग देकर, थोड़ा आन्त्रप्रिन्योरशिप बिल्ड अप करके अगर हम उन लोगों के जीवन को अच्छा बना सकते हैं।...(व्यवधान) वे लोग स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट के लिए भी ले जा सकते हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में भी आइकॉनिक स्किल सेंटर खुलेगा।...(व्यवधान) पूरे पंजाब में खुलेगा, पंजाब सरकार हमारे सम्पर्क में है।...(व्यवधान) अगले वित्तीय वर्ष तक सभी सांसदों के क्षेत्र में आइकॉनिक स्किल सेंटर होगा, जो सांसदों की देखरेख में चलेगा।...(व्यवधान) उनके सुपरविजन में चलेगा और ये सभी लोग इंडस्ट्रीज से लिंक-अप करेंगे।...(व्यवधान) जिससे आपके गांव के नौजवान रोजगार से जुड़ सकेंगे। ऐसी व्यवस्था अगले छः महीने के अंदर पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बहुत विस्तृत उत्तर दिया गया है। आंसर बहुत अच्छा है। श्री जितेन्द्र चौधरी जी, शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Madam, I would just like to ask the hon. Minister that while he conducted one Workshop with the MPs he announced that at the district level there will be one Committee headed by the MPs but till date I have not received any such notification. I think either Tripura has not been covered in the first phase or what is the status of that is my question.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: This is a Question related to the Northeast and this is an issue which is very dear to the Prime Minister and very dear to the Government. We have the DONER Ministry. For the information of the hon. Members of Parliament, there is a Circular which has been issued by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship where all skills in private sector, which includes organizations set up by the NSDC, have to be supervised by hon.

Members of Parliament. Gradually we are trying to build the right ecosystem so that the Members of Parliament get directly informed. I will send a copy of that letter to the hon. Minister and I will also reiterate my Ministry to send back Circular to all the MPs but at some places the centres have not been established and at some places centres have been established. Since it is in a very beginning stage, in the next six months we will be able to set up such centres in every parliamentary constituency. The letter, which has been asked for, we will send it across to all the Members of Parliament again.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग अपनी सीट पर जाइए। मैंने कहा है, आपके नेता को शून्यकाल में बोलने दूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

(Q. 144)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : अध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस देश में प्रत्येक गांव और ढाणी में बिजली पहुंचाने का न केवल संकल्प लिया है, बल्कि उसे मूर्तरूप देने का कार्य भी शुरू किया है। इस देश में एटॉमिक पावर प्लांट यूरेनियम के आधार पर चलते हैं, जबकि इस देश में थोरियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यूरेनियम के साथ ही थोरियम आधारित एटॉमिक पावर प्लांट बनाने पर सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक थोरियम आधारित पावर प्लांट बन जाएंगे?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जहां तक न्यूक्लियर केपेसिटी, केपेबिलिटी का प्रश्न है, मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि पिछले डेढ़ वर्ष के भीतर न केवल न्यूक्लियर जेनरेशन की केपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बल्कि यूरेनियम के स्टोर्स में भी वृद्धि लाने का हर प्रकार से प्रावधान किया गया है। जहां तक रा-न्यूक्लियर यूरेनियम का प्रश्न है, इस समय हमारे पास यूरेनियम का लगभग 2,25,000 टन से अधिक का भंडार उपलब्ध है। मैं थोरियम की बात कहूं, उससे पहले मैं यह भी एड करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं एटॉमिक एनर्जी सम्बन्धी विषयों में विशेष रूचि ले रहे हैं। जितनी भी उनकी विदेश यात्राएं हुई हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार से हमें एटॉमिक एनर्जी की रीइंफोर्समेंट में लाभ मिला है। For the information of the hon. Members, across party lines, I would like to point out that one of the major achievements of the hon. Prime Minister's foreign trips in the last few months is the reinforcement of our uranium and our nuclear programme. Just to mention a few, along with statistics, during the visit of the Prime Minister to Canada in April, 2015, we could procure and finalise a deal for more than 5000 MT of uranium. During his visit to Kazakhstan, we could procure and finalise a deal for 7000 MT uranium; during his visit to Australia, a Nuclear Cooperation Agreement, which had waited for several years, was finalised. During the visit of the Prime Minister to the USA, a deal was finalised for the construction of nuclear reactors in Gujarat, and during the visit of the hon. Prime Minister to France we could finalise a deal with Aroba over there. Not only this, another important achievement during the last 18 months has been that we have not only sought collaborations with other countries, we have also achieved a position where we

can lend help to other countries. For example, we are now offering training to Bangladesh and the neighbouring countries in the nuclear reactor programme. In addition, during the visit of the Prime Minister to Russia, a programme has been finalised for the expansion of nuclear programme.

Madam, coming to the other question, माननीय सदस्य ने जो थोरियम के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसमें कोई शंका नहीं कि India is the richest source of thorium, परंतु इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें विशेष प्रकार के प्रावधान और रिएक्टर्स की आवश्यकता रहती है, जिस पर सक्रिय रूप से कार्य हो रहा है। अगले दस वर्षों में भारत की न्यूक्लियर केपेबिलिटी को दोगुना करने की हमारी योजना है और इस दिशा में आदरणीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से बहुत तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कदम सरकार का है। मेरा एक और प्रश्न है। इस देश में कितने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैं और कितनी ऐसी यूनिट्स निर्माणाधीन हैं, वे कब तक राष्ट्र को समर्पित कर दी जाएंगी? हमारे राजस्थान में 78 यूनिट्स हैं, जो निर्माणाधीन हैं। अगर ये जल्द पूरी हो जाती हैं तो देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को समय से पूरा किया जा सकता है। जिस प्रकार से आर.ए.पी.पी. की यूनिट्स तीन और चार तत्काली प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा देश को समर्पित की गई थीं, वैसे ही पांच और छः यूनिट्स जिसने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में रिकार्ड बनाया निर्बाध बिजली उत्पादन में। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हें कब इस राष्ट्र को प्रधान मंत्री जी के हाथों समर्पित करने का विचार सरकार का है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पूछा है, इससे अवसर मिलता है आपके साथ महत्वपूर्ण सूची साझा करने का। जहां तक वर्तमान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, हमारे पास इस समय उनकी संख्या 21 है, उनमें से छः राजस्थान में थे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 21 में से छः राजस्थान में थे। अलबत्ता यह जरूर है कि उनमें से एक अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके स्थान पर जो दो नये रिएक्टर्स आने वाले हैं, उनकी कैपेसिटी इससे डबल होने वाली है। इस तरह से कुल मिलाकर वर्तमान में यदि 21 रिएक्टर्स हैं तो आने वाले समय में हमारे पास छः और होंगे, जिनमें से दो राजस्थान में, दो गुजरात में और दो तमिलनाडु में होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जैसे आपने संकेत दिया कि इन्हें और ज्यादा फैलाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं? Using this

opportunity, I will also share with this august House कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के ही नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया गया है और अभी से लगभग 48 hours before, on Monday, the 7th of this month, the Government has introduced in this House a Bill called the Atomic Energy Bill, 2015 which, for the first time in the history of independent India, seeks to amend the Atomic Energy Act, 1962. इसका उद्देश्य क्या है कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत हमारे पास दो इस प्रकार के यूनिट्स थे, जिनके माध्यम से न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक्सपेंशन का कार्य चलता था, उसमें कभी-कभी आर्थिक तौर पर दिक्कत आती थी। परंतु हम यह जो बिल लाये हैं, इसके माध्यम से एक प्रावधान लाया जायेगा कि दूसरी पीएसयूज ज्वाइंट वेंचर्स हो सकती हैं और जैसे माननीय सदस्य ने संकेत किया, उनकी अपेक्षा के अनुसार we will pave the way for wider expansion through joint venture mechanism.

SHRI V. ELUMALAI: Respected Madam Speaker, the Kudankulam Nuclear Plant has been shut down for the last several months due to maintenance work and replacement of some parts which are expected from Russia. Our hon. Chief Minister, Dr. Amma, has written a letter to the hon. Prime Minister urging to recommence power generation in Kudankulam Unit-I.

Hence, I would like to know from the Government as to when this Plant will become operational with all the safety measures.

DR. JITENDRA SINGH: Madam, the concern of the hon. Member is well taken. He is right that the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Jayalalithaa Amma has expressed special concern for this Plant having got delayed in its functioning. But we are already under the instructions of the hon. Prime Minister working on it and in the times to come, not only one but we would have two Plants in Tamil Nadu. We will have one in Kudankulam and one in Kalpakkam also. They would be of a higher capacity than the existing Plants. So, the capacity of the new Plants would be almost three times than that of the earlier Plants that exist in the country.

श्री हरीश मीना: अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे विकसित देश में न्यूक्लियर एनर्जी के संभावित खतरों के कारण धीरे-धीरे नये न्यूक्लियर प्लान्ट्स नहीं बनाये जा रहे

हैं। मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत में क्या आवश्यकताएं हैं कि इन्हें बढ़ाने की जरूरत है, क्या इसके कोई और विकल्प नहीं हो सकते?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य ने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, जिसकी चिंता समाज में बहुत अधिक रहती है। परंतु सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इससे कोई हैजर्ड नहीं होता और चूंकि यह विज्ञान का युग है, एविडेंस बेस्ड युग है तो अभी तक हमारे पास इस प्रकार का कोई एविडेंस या आंकड़ा सामने नहीं आया, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इन प्लान्ट्स से होने वाले रेडियेशन से किसी के स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचा है या हानि हुई है। यह बात और है कि कुछ एक जगह पर जहां नये प्लान्ट स्थापित करने की योजना बनाई जाती है, वहां इस प्रकार की धारणा पैदा होती है और हम प्रयास करते हैं कि जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें स्पष्ट करें। इसमें सबसे बड़ी एविडेंस यह है कि कोई भी वैज्ञानिक जो भाभा एटोमिक सैंटर में पिछले साठ वर्षों में काम करता रहा, चूंकि अब उसे स्थापित हुए साठ वर्ष हो गये हैं या अन्य न्यूक्लियर प्लान्ट्स में काम करता रहा, कभी भी कोई रेडियेशन के द्वारा पीड़ित नहीं हुआ। मैंने इसके लिए तथ्य इकट्ठे किये। The number of accidental deaths, which are unnatural deaths, of the scientists working in the nuclear plants in India is very few. The unnatural deaths have happened because of either road accidents, suicides or poisoning, but never because of any radiation. So, I think that itself should be a reassurance. इनमें इस प्रकार के प्रावधान रखे जाते हैं कि आसपास में इसका नुकसान नहीं होता है। बल्कि दूसरे देशों में, फ्रांस इत्यादि देशों में तो अब न्युक्लियर प्लांट्स घरों की कॉलोनीज़ के बीच में भी बनाने का प्रावधान है। आने वाले वर्षों में शायद हम भी उस प्रकार की क्षमता प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान रेयर मिनरल्स कॉर्पोरेशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, रेयर मिनरल्स, जो हमारे परमाणु ईंधन के लिए बड़ा सोर्स है, पूरे दक्षिण भारत के कोस्ट में वह मौजूद है। भारत सरकार का एक उपक्रम है - रेयर मिनरल्स कॉपोरेशन। परंतु जब उसको माइनिंग की लीज़ जाती है, वह राज्य सरकार का विषय है और बड़ी मात्रा में रेयर मिनरल्स की चोरी भी हुई है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि रेयर मिनरल्स कॉपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो कि रॉ-मटीरियल उपलब्ध कराता है, क्या उनको माइनिंग लीज़ के जो प्रावधान हैं, उनको पूरा करेंगे? दूसरा, मध्य प्रदेश में लगने वाला चुटका परमाणु बिजली घर

जो है, उसमें दूसरे चरण के रिएक्टर के बारे में क्या सरकार सोचेगी क्योंकि थोरियम हमारे पास है, तो भारत की जो सबसे सुरक्षित टैक्नोलॉजी है, क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि यह प्रश्न विषय से थोड़ा सा हट कर है, परंतु मैं सदन की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक रेयर अर्थ के लाइसेंसिंग और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स देने का प्रश्न है, निश्चय ही यह सरकार के माध्यम से होता है। कुछेक दक्षिण भारत के समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपे थे कि चोरी हुई है, परंतु छान-बीन करने के उपरांत ध्यान में यह आया, होता क्या था कि ये सात मिनरलस होते हैं, these are called associated minerals. जो एक साथ रहते हैं, उनमें से एक मिनरल का नाम है मीनोज़ाइड, जिससे थोरियम उपलब्ध होता है। एक दूसरा मिनरल है, जिसको ग्रेनाइट कहते हैं, जो हाऊस कंस्ट्रक्शन इत्यादि में काम आता है। तो कहीं-कहीं लाइसेंस ग्रेनाइट के लिए दिया जाता था और साथ ही साथ थोड़ी सी तस्करी भी हो जाती थी, इसके आधार पर ये समाचार आते रहे। परंतु उसके लिए कुछेक और कदम उठाए गए हैं कि रेडियो एक्टिव डिटेक्शन का प्रावधान ज्यादा रीइंफोर्स कर दिया जाए और पोर्ट्स के ऊपर चैकिंग और ज्यादा हो। मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह भी एक सुझाव रखा है, चूंकि स्पेस का विभाग भी हमारे साथ है, तो सैटेलाइट स्पेसिंग के माध्यम से हम डिमार्केशन कर सकें कि ज़मीन के किस हिस्से में कौन सा मिनरल है। यदि कोई संदिग्ध एक्टिविटी उस भाग में देखी जाए तो तुरंत उस पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है तो इसके लिए शीघ्र ही काम होने वाला है और प्रिस्क्राइब्ड मिनरल्स के आधार पर ही होगा।

(Q. 145)

श्री चरणजीत सिंह रोड़ी: माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, वे साठ साल तक अपना जीवन देश की जनता के लिए लगाते हैं। 60 साल में रिटायर होने के बाद उन कर्मचारियों से मकान खाली करा लिए जाते हैं। उन कर्मचारियों का सारा जीवन पब्लिक की सेवा में गुज़र जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रिटायर कर्मचारी हैं, रिटायर एम.पी. हैं, या सेना के रिटायर जवान हैं, उनके लिए सन् 1980 की तर्ज पर कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, जिससे उन्हें सीपीडब्ल्यूडी के अधीन या किसी और जगह के अधीन प्लान दिए जाएं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, these houses are constructed for the employees who are working in the Government. The Central Government Welfare Housing Organisation takes care of the employees who are working. If we have to allot these houses to the people who are retiring, then, what will happen to the people who are getting newly recruited? That is a big issue. Keeping that in mind, we are trying to focus our attention on creating housing facilities for the employees who are working, who are in service. That is the objective of the Scheme.

श्रीमती पूनम महाजन: महोदया, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में हमारे पीएसयूज के नाम से बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी जमीने हैं, जो इनक्रोच होती हैं, उस पर अतिक्रमण होता है।...(व्यवधान) बहुत जगहों पर ऐसी बहुत सारी खाली लैंड्स हैं।...(व्यवधान) मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र मुम्बई में चाहे एयर इंडिया हो, स्वदेशी मिल एनटीपीसी की हो या बहुत सारी ऐसी कर्मचारियों की लैंड हो, रेलवे लैंड हो, जो बहुत प्रमाण में उपलब्ध होती है, लेकिन वहाँ के घर अभी डिलैपिडेटिड हालत में हैं।...(व्यवधान) मैंने पहले भी यह प्रस्ताव दिया था कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में लेकर पीएसयू के सारे कर्मचारियों के लिए, जो अभी भी काम कर रहे हैं और बाद में अगर एक्स कर्मचारियों को कुछ देना हो, तो एक तो एफएसआई बढ़ा सकते हैं और साथ में आकर हम इन डिलैपिडेटिड बिल्डिंग्स में पीपीपी मॉडल में भी काम कर सकें।...(व्यवधान) ऐसी बहुत सारी जगह मुम्बई और देश भर में हमारे पास उपलब्ध है।...(व्यवधान) इससे कर्मचारियों के घरों का भी कल्याण होगा।...(व्यवधान) क्या इसके लिए हम ऐसी कोई एम्पावर्ड कमेटी बना सकते हैं, जिससे सारी मिनिस्ट्रीज साथ में आएं? ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, land is allotted to a particular purpose for the Public Sector Organisations. They are using to do…

(*Interruptions*) But it has been brought to our notice that in certain places, there are certain vacant lands available with the Public Sector Organisations. The Public Sector Organisations, sometimes, want to expand their activities also. This is one.… (*Interruptions*)

Secondly, I held meetings with the Ministers concerned two times with regard to proper utilisation of the vacant land, what will be the policy on encroached land in Mumbai and other places, particularly. We are yet to come to any sort of a conclusion because there are differences of opinion.… (*Interruptions*) We are still pursuing the matter to find out some solution in this regard.

पूनम जी ऑनरेबल मेंबर का आज जन्मदिन है, मैं जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामनायें देना चाहता हूँ।...(व्यवधान) उनकी जो माँग है, उसे पूरा करना केवल मेरे हाथ में नहीं है।...(व्यवधान) उन्होंने एक सुझाव दिया है, जब सभी मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, उस समय उस सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जन्मदिन और लोगों का भी है। माननीय सोनिया जी का भी जन्मदिन है।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमने ऑलरेडी सुबह फोन करके सोनिया जी को जन्मदिन की शुभकामना दी है। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र कहा है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर।...(व्यवधान) तो माननीय मंत्री जी इस बिंदु को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से संबंधित सभी इंप्लाईज का अपना घर हो, उस दृष्टि से प्रयास करेंगे।...(व्यवधान) मैं उसमें एक सुझाव देना चाहूँगा।...(व्यवधान) मुंबई में रीडेवलपमेंट, यह पॉलिसी राज्य सरकार ने डबल एफएसआई की एडॉप्ट की है, क्या उस संबंध में भी केंद्रीय सरकार सोचेगी?...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, land is a State subject. FSI is also a State subject. The States are free to relax the FSI norms and allow multiple constructions also.… (*Interruptions*) It is left to the States.

As far as the Mumbai Slum Redevelopment Action Plan is concerned, that has to be taken care of by the Maharashtra Government. The Government of India will definitely give a helping hand with regard to subsiding the interest. Interest

Subvention Scheme is available today to the slum dwellers also on a priority basis. We have already informed the States about it.

SHRI ARVIND SAWANT: I would like to know one thing from the hon. Minister.… (*Interruptions*) The hon. Member of Parliament Shrimati Poonam Mahajan has asked a very right question. The land which is available with the Public Sector Undertakings is being encroached.… (*Interruptions*) Sometimes, it is hundred per cent encroached. For example, in the Maharashtra State, we have the SRA Project.

माननीय अध्यक्ष : यह हो गया है।

… (*Interruptions*)

SHRI ARVIND SAWANT: Even if the encroachment is there, you cannot vacate them. So, people are staying prior to 1995, 2000. In that case, I would request the hon. Minister to arrive at some policy formulation whereby such land can be rented out and the PSUs can earn money instead of selling it off. We are not saying that the land should be sold out. The land should be utilized. Otherwise, it is being encroached.… (*Interruptions*) We are not able to vacate those lands. Therefore, some policy formulation has to be there. Will the Minister take the initiative to arrive at a policy formulation so that the PSUs revenue will also be increased? Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, it is a suggestion. I will keep it in mind.

HON. SPEAKER: Well taken. Thank you very much.

… (*Interruptions*)

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON.SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Urban Affairs, New Delhi, for the year 2014-15, along with the Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 3288/16/15]

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the 51st Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from July, 2013 to June, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3289/16/15]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3290/16/15]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-1/2015-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 16 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 301-23/2015-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 3291/16/15]

HON. SPEAKER: Shri Rajiv Pratap Rudy – not present.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 42 of 2015)-Performance Audit of Hydrocarbon Exploration Efforts of Oil India Limited, Ministry of Petroleum and Natural Gas.

[Placed in Library, See No. LT 3318/16/15]

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 39 of 2015)-Performance Audit of Utilisation of Rigs in Oil and Natural Gas Corporation Limited, Ministry of Petroleum and Natural Gas.

[Placed in Library, See No. LT 3319/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ **:-**

(1) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3320/16/15]

(2) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3321/16/15]

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएँ) तीसरा संशोधन नियम, 2015 जो 12 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3322/16/15]

(4) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 जो 12 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2794(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3323/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O. 2050(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th July, 2015, regarding unified centre for rejuvenation of river Yamuna (UCRRY) (Restoration and beautification), issued under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957.

[Placed in Library, See No. LT 3326/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

THIRTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 55 Third Session, 2000

[Placed in Library, See No. LT 3292/16/15]

FOURTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 32 Third Session, 2004

[Placed in Library, See No. LT 3293/16/15]

3. Statement No. 29 Fifth Session, 2005

[Placed in Library, See No. LT 3294/16/15]

4. Statement No. 23 Eleventh Session, 2007

[Placed in Library, See No. LT 3295/16/15]

5. Statement No. 24 Twelfth Session, 2007
[Placed in Library, See No. LT 3296/16/15]

6. Statement No. 27 Thirteenth Session, 2008
[Placed in Library, See No. LT 3297/16/15]

7. Statement No. 24 Fourteenth Session, 2008
[Placed in Library, See No. LT 3298/16/15]

8. Statement No. 22 Fifteenth Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 3299/16/15]

FIFTEENTH LOK SABHA

9. Statement No. 24 Second Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 3300/16/15]

10. Statement No. 22 Third Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 3301/16/15]

11. Statement No. 21 Fourth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 3302/16/15]

12. Statement No. 19 Fifth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 3303/16/15]

13. Statement No. 18 Sixth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 3304/16/15]

14. Statement No. 16 Seventh Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 3305/16/15]

15. Statement No. 16 Eighth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 3306/16/15]

16. Statement No. 15 Ninth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 3307/16/15]

17. Statement No. 14 Tenth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 3308/16/15]

18. Statement No. 12 Eleventh Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 3309/16/15]

19. Statement No. 11 Twelfth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 3310/16/15]

20. Statement No. 10 Thirteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 3311/16/15]

21. Statement No. 8 Fourteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 3312/16/15]

22. Statement No. 6 Fifteenth Session, 2013-2014
[Placed in Library, See No. LT 3313/16/15]

SIXTEENTH LOK SABHA

23. Statement No. 5 Second Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 3314/16/15]

24. Statement No. 4 Third Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 3315/16/15]

25. Statement No. 3 Fourth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 3316/16/15]

26. Statement No. 1 Fifth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 3317/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of Shri Y.S. Chowdary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3324/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3325/16/15]

12.01 hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
16th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Sixteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

… (*Interruptions*)

12.01 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
9 to 11th Reports

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'हाइड्रोसेक्टर का विकास' विषय पर 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 9वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 10वां प्रतिवेदन।

(3) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में पाँचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 11वां प्रतिवेदन।

12.02 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Minority Affairs*

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

12.02 ½ hours

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2015-16) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पाँचवें प्रतिवेदन में अंतर्विट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 3327/16/15, and 3328/16/15 respectively.

12.03 hours

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 255th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Space*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 255th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Space.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3329/16/15.

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलना चाहेंगे लेकिन पहले सभी लोगों को अपने स्थान पर जाने दो, शांति आने दो। वे भी समझ सकेंगे और मैं भी समझ सकूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं।

12.04 hours

(At this stage Shri Ravneet Singh and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मुझे अपनी पूरी बात रखने के लिए दो-तीन मिनट का समय तो चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : बाद में हमारी पूरी बात सुन भी लीजिएगा, चले मत जाइए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपकी बात के लिए नहीं जाएँगे। ...(व्यवधान)

मैडम, इस देश में दो कानून हैं। एक कानून विपक्ष के लिए और इस देश की सरकार के लिए। ...(व्यवधान) क्योंकि, जब यहां पर हमने मुद्दे उठाये थे, करप्शन के मुद्दे उठाये थे, उस वक्त... * के विरोध में जो थे, चाहे व्यापम का घोटाला हो, ... * की गवर्नमेंट के खिलाफ हमने मुद्दा उठाया था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नाम मत लेना, आप केवल व्यापम घोटाला बोल सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उनका नाम एफ.आई.आर. में आया है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मगर उस चीज में व्यायम घोटाला कहो, और कुछ कहो, that's all, लेकिन नाम नहीं जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: और... * के खिलाफ आया था, वह उठाये, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। ... * के खिलाफ यहां पर हमने कहा था।

माननीय अध्यक्ष: किसी का भी नाम मत लो, आप घोटाले का नाम लो, तब चलेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में कैसे दो अलग-अलग कानून हैं। एक रूलिंग पार्टी के लिए, एक उनके लिए और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता हैं, ... * के घर पर रेड होती है। यहां पर ...* घोटाला करते हैं, उनके खिलाफ आज तक इन्क्वायरी नहीं की गई। उसी ढंग से हिमाचल प्रदेश में वहां पर शादी हो रही है, शादी चल रही है, डोली जा रही है, उस वक्त सी.बी.आई. की रेड होती है, कुछ भी नहीं मिला तो फिर उसके बाद में एन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट जाकर डिसप्रोपोर्सनेट असैट्स के

---

* Not recorded.

लिए उनको फंसा देते हैं। उनके लिए कानून अलग है, फिर उसके बाद राजस्थान में ... * के खिलाफ, ... * के खिलाफ, इनके खिलाफ केसेज़ आप दर्ज करते हैं। आपके लोग, आपके मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं है। उसी ढंग से फिर हरियाणा में गलत सी.बी.आई. के केसेज़ डाल रहे हैं। उसी तरह से सारे अपोजीशन पर एक दमन की नीति और एक तानीशाही के तहत जो बदलाव की नीति यह सरकार अपना रही है, इसीलिए हम यह चाहते हैं कि यह जो नीतियां दो हो रही हैं, एक उनके लिए कानून और एक दूसरों के लिए कानून और खास करके जो विपक्ष के नेताओं को सताया जा रहा है और जो लोग निष्ठावान हैं, प्रामाणिक हैं, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए यह पूरी कोशिश हो रही है। अगर आप दबाकर हमारी आवाज को बन्द करना चाहते हैं तो कभी नहीं होगा और उसको होने नहीं देंगे। आप ऐसे डरा नहीं सकते हैं। सी.बी.आई. केस डालकर, एन्फोर्समेंट डायरैक्टर को भेजकर, रेड कराकर अगर विपक्ष को डराना चाहते हैं तो कोई विपक्ष यहां डरता नहीं है।

दूसरी चीज़, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारे अपोजीशन के ऊपर भी ऐसा हो रहा है, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टी.एम.सी. के ऊपर भी हुआ, दूसरी जगह भी हुआ, यह क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपसे नहीं जमती है, आपके साथ अगर मिलाव नहीं होता है, आपकी बातों में अगर बातें नहीं डालते हैं तो आप हरेक को हरैस करने की, दबाने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैडम, आपने पूछा कि क्यों प्रोटैस्ट कर रहे हैं, इसीलिए प्रोटैस्ट कर रहे हैं कि इस देश में दो कानून हैं।...(व्यवधान) आप बैठिये। और एक चीज़ है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ... *

माननीय अध्यक्ष: आप यह नाम लेकर नहीं कर सकते, You have not given notice. नाम नहीं आएगा।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again you are doing it.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अखबार में आया है, इंडियन एक्सप्रैस में।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अखबार की बात नहीं होगी, फिर गड़बड़ है।

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. SPEAKER: No name will go on record. यह नहीं होना चाहिए।

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: You have not given any notice. आप पहले नोटिस दे दो।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एक यूनियन मिनिस्टर, मुजफ्फरनगर दंगे में जो अपराधी थे, उनसे मिलने के लिए जेल में गये हैं और उनको वहां पर कहा है, आपको जो मदद करनी है, मैं दूंगा।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I want to make a submission. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यानि एक यूनियन मिनिस्टर जेल में जाकर अगर ये कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है, मुश्किल है तो आपके पीछे मैं हूं। ये कहते हैं, यह सभी को मालूम है। इन सभी चीजों के लिए हम यह प्रोटैस्ट कर रहे हैं। हमें हमारे लोगों को यह बताना है कि हम किसी ज्युडिशियरी के खिलाफ़ नहीं हैं और किसी ज्युडिशियरी की बात यहां पर नहीं है। आपकी जो नीयत है, आपकी नीयत के खिलाफ़ हम यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जो दमन की नीति अपना रहे हैं, उसके खिलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।…(व्यवधान)

इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि वी. के. सिंह के बारे में हमने यहां पर पूछा।…(व्यवधान) उन्होंने दलितों को …. **समान कहा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात नहीं है। बार-बार एक ही बात न करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ….** को अगर पत्थर मारते हैं, तो क्या उसका भी जवाब देना है? उन्होंने यह कहा।…(व्यवधान)

मैडम, अगर ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, उनकी ज़ेहनियत में, उनके विचारों में हैं, तो आप बोलिए क्या न्याय मिलेगा? कोई कहता है दलितो को **…**** के साथ…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात न कहें।

…(व्यवधान)

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मुज़फ्फरनगर में दंगा होता है, तो दंगे वालों के साथ, जिन्होंने वहां पर मर्डर किए, उनके साथ जाते हैं।...(व्यवधान) इसीलिए, हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारी बातों को एक्सपन्ज किया जाता है।...(व्यवधान) यह भी नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

मैडम, हमारी बातों को जो एक्सपन्ज किया जाता है, यह होना नहीं चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या हो गया?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : देखिए, ऐसा मज़ाक उड़ाए, तो इसको टॉलरेट नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई नहीं उड़ा रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यहां बोलिए। अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: If he laughs, then he thinks that he wants to treat citizens of this country like ...* only. He has no respect. … (*Interruptions*) A man who has no respect for the Constitution, who has no respect for the weaker sections, he has no right to stay in the Government. … (*Interruptions*) He should be dropped; he should be dismissed.… (*Interruptions*) He is sitting and laughing … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या आपका कम्प्लीट हो गया?

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम स्पीकर, संसद में एक पद्धति है।...(व्यवधान) उन लोगों ने 50 साल राज किया।...(व्यवधान) संसद में पद्धति क्या है?...(व्यवधान) अभी तक वे लोग नारा दे रहे थे - 'तानाशाही नहीं चलेगी।'...(व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठिए। आपकी बात हो गयी। इसलिए, आप इसे समझ तो लें।

…(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम, दस-पन्द्रह लोगों द्वारा खड़े होकर सदन को पूरा स्थगित करने का प्रयास करना, क्या यह तानाशाही है या नहीं?…(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, मैं आपके द्वारा सदन से पूछना चाहता हूं कि तानाशाही क्या है?…(व्यवधान)

12.13 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने आरोप लगाए हैं। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम, अभी तक खड़गे जी ने बोला, हमने सुना।…(व्यवधान) इनके पास कोई तथ्य नहीं है।…(व्यवधान) कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस कोर्ट के आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है।…(व्यवधान) यह कोर्ट का आदेश है।…(व्यवधान) ये लोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं।…(व्यवधान) यहां पार्लियामेंट के द्वारा ज्युडिशियरी को धमकी दे रहे हैं।…(व्यवधान) पार्लियामेंट के द्वारा ये लोग ज्युडिशियरी को चेतावनी दे रहे हैं।…(व्यवधान) यह लोकतंत्र के हित में नहीं है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not fair.

… (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम, आपने देखा होगा, उनके ज़माने में हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा।…(व्यवधान) इनके ज़माने में हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा।…(व्यवधान) उनके ज़माने में हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री को पुलिस थाने में बुलाकर इंक्वायरी किया।…(व्यवधान) यह सब इनके ज़माने में हुआ।…(व्यवधान) सबको मालूम है कि इमरजेंसी के संदर्भ में क्या हुआ।…(व्यवधान) लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाला।…(व्यवधान) उस समय ज्युडिशियरी की क्या हालत थी, यह सबको मालूम है।…(व्यवधान) इसलिए अभी प्रवचन मत दें।…(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाए।…(व्यवधान) जनादेश को स्वीकार करे।…(व्यवधान) The Congress Party is not ready to digest the mandate of the people.… (*Interruptions*) They do not want the Parliament to run.… (*Interruptions*) They do not want the progressive legislations to be made.… (*Interruptions*) They are thinking they are obstructing Narendra Modi; they are obstructing the progress of the country.… (*Interruptions*) They are

obstructing the welfare of the people. They should understand that. … (*Interruptions*) They were in power for 50 years.… (*Interruptions*) They cannot go on making sweeping allegations.… (*Interruptions*) Mr. V.K. Singh case has gone to a court; the court has categorically said, no such thing happened.… (*Interruptions*) Again and again, they are taking the name of Dalit; they are taking the name of *.… (*Interruptions*) सदन में वे खुद आरोप लगा रहे हैं।…(व्यवधान) सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है?…(व्यवधान) कोर्ट ने उसे खारिज़ कर दिया।…(व्यवधान) उसे आपने देखा।…(व्यवधान)

मैडम, कल का प्रोवोकेशन क्या था? हमने सोचा कि खड़गे जी बताएंगे।…(व्यवधान) कल प्रोवोकेशन क्या था?…(व्यवधान) कोई नोटिस नहीं दिया।…(व्यवधान) आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं। उनको भी मालूम नहीं है कि वे क्यों हंगामा कर रहे हैं?…(व्यवधान) उनको भी यह मालूम नहीं है।…(व्यवधान) हंगामा किया, सदन चलने नहीं दिया।…(व्यवधान) पूरा सदन सूखा के बारे में चर्चा करना चाहते थे।…(व्यवधान) यह कहां तक सही है? …(व्यवधान) क्या यही लोकतंत्र है? …(व्यवधान) Is it democracy? In what way the Government is involved in yesterday's episode?.… (*Interruptions*) It is their problem. This case was registered during their time. In 2012, it was UPA which was in the Government. … (*Interruptions*) In 2013, it was UPA which was in the Government not the BJP or NDA. So, let them not mislead the country.… (*Interruptions*) The entire country is asking as to why the Congress is coming into the Well of the House. They have no reason to explain.… (*Interruptions*) They have no answer. They are already exposed. They are frustrated. They are not ready to respect the mandate of the people.… (*Interruptions*) The Government is ready to discuss any issue. We have nothing to hide. Our Government have not done anything wrong. None of our ministers have done anything wrong.… (*Interruptions*) They are doing an excellent job. All the ministers are doing an excellent job. We are proud of our ministers.… (*Interruptions*) The Prime Minister is steadfast in taking the

* Expunged as ordered by the Chair.

country forward. That being the case, this is intolerance. This is called *tanashahi*.… (*Interruptions*)

देखिए, 500 लोग शांत बैठे हैं और 30 लोग हंगामा कर रहे हैं। …(व्यवधान) सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। …(व्यवधान) क्या यही लोकतंत्र है, क्या सिखा रहे हैं ये लोग, पूरे देशवासियों को क्या प्रवचन दे रहे हैं? …(व्यवधान) मैं देशवासियों से विनती करता हूं कि देखिए, क्या हो रहा है? …(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में हार गई, हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। …(व्यवधान) जो आप लोगों ने आदेश दिया, मोदी जी के पक्ष में जनादेश दिया, उसको ये लोग फेल करना चाहते हैं। …(व्यवधान) They want to fail the democracy. … (*Interruptions*) They want to fail the Parliament. They want to fail the Government. … (*Interruptions*) This will not happen. We are steadfast. Whatever is in the interest of our people, the Government will do it.… (*Interruptions*) I only ask them, please understand, realize and respect the mandate of the people.… (*Interruptions*) कृपया जनादेश का पालन करिए, उसको स्वीकार करिए। …(व्यवधान) अपनी भूमिका, अपना दायित्व निभाइए। …(व्यवधान) यह मेरा सुझाव है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपके लीडर को बोलने के लिए अवसर दिया। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। Now, I am requesting you to go back to your seats. This is not fair.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई ऐसा ईश्यू पार्लियामेंट के सामने, लोक सभा के सामने नहीं है कि आप वेल में आकर प्रोटेस्ट करें।

There is no issue before the Parliament. So, you have to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता ने अपनी बात कही है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am warning you now. I am giving you warning.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा के सामने कोई ईश्यू नहीं है। There is no issue before the Parliament.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Sudip ji, why are you standing? I do not understand that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उनको बोलने के लिए मैंने पूरा समय दिया है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have given him full time to speak. Now, there is no issue. They must go back to their seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, I am taking Zero Hour – Dr. Dharam Vira Gandhi.

… (*Interruptions*)

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदया, मैं आपका धन्याद करता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।...(व्यवधान) आज पंजाब की किसानी, हिन्दुस्तान की किसानी और हिन्दुस्तान का कृषि क्षेत्र बहुत बड़े गम्भीर संकट में है।...(व्यवधान) तीन लाख किसान पिछले 20 साल में आत्महत्या कर चुके हैं।...(व्यवधान) हर 46 मिनट के बाद जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जिनका नाम पुकारूँगी, वे ही बोलें।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Dharam Vira Gandhi ji is saying.

… (*Interruptions*)… *

श्री धर्म वीर गांधी: उसके मुताबिक हर 46 मिनट के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहा है।...(व्यवधान) इसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान की पिछली अलग-अलग सरकारों ने पिछले 67 साल में किसानों के बारे में कोई नीति नहीं बनाई है।...(व्यवधान) यहाँ पर मुलाजिमों के लिए हर 5-7 साल के बाद पे-कमीशन बनता है, जो मुलाजिमों की न्यूनतम आमदनी को तय करता है।...(व्यवधान) परन्तु उस जनसंख्या के बारे में

* Not recorded.

जो देश की अन्नदाता है, जो देश की 56 प्रतिशत आबादी है, उनकी आजीविका का साधन है, उसके बारे में कोई भी प्लानिंग, कोई भी नीति, फॉर्मर नीति इस देश में नहीं बनी है। ...(व्यवधान) इसके कारण हमारा किसान बहुत बुरी तरह करजाई है।...(व्यवधान) वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।...(व्यवधान) न तो सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार कर सकी है और न ही सरकार कोई बीमा योजना या कोई न्यूनतम आमदनी किसान के लिए सुनिश्चित कर सकी है, जिससे किसानों का जो जीवन है, उसमें उसका सिर ऊँचा हो सके।...(व्यवधान)

जहां तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात है, जब इलेक्शंस थे, इन्होंने माना था कि उसको लागू करेंगे। ...(व्यवधान) 50 परसेंट मुनाफा उनकी लागत के ऊपर देंगे। ...(व्यवधान) उसको लागू नहीं किया।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी कर दिया कि अगर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी।...(व्यवधान) सबसे बड़ी बात यह है कि जो नैरोबी में WTO की होने वाली कान्फ्रेंस में अमीर देशों द्वारा भारत के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और MSP को खत्म करने पर हमारी सरकार को विरोध करना चाहिए। ......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव जी, क्या आप बोलना नहीं चाहेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्म वीर जी आपकी बात हो गई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री एम.बी.राजेश को श्री धर्म वीर गांधी जी के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भोला सिंह जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपके नेता को बोलने के लिए पूरा समय दिया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बिहार उग्रवाद एवं आतंकवाद की बाहों में तड़प रहा है।

...(व्यवधान) बिहार का जमुई, जमालपुर, नवादा, रोहतास, भभुआ, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर नक्सलवादी उग्रवाद की चपेट में है।...(व्यवधान) प्रारंभ में यह सामाजिक अत्याचार, पुलिस अत्याचार एवं सामंतवादी अत्याचार के खिलाफ जमीनी संघर्ष के रूप में उपस्थित हुआ।...(व्यवधान) अब यह जमीनी संघर्ष के साथ-साथ जातीय संघर्ष का रूप ले रहा है।...(व्यवधान) समस्या के समधान के लिए अब तक केन्द्र सरकार की कोई घोषित स्पष्ट नीति नहीं बनी है।...(व्यवधान) इस भीषण समस्या का समाधान पुलिस की बुलेट में नहीं है।...(व्यवधान) यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुयी है कि समाज अभी भी गैरबराबरी का रूप लिये हुये है।...(व्यवधान) सामाजिक एवं राजनीति चेतना बढ़ने के कारण यह आंदोलन शहर के हिस्सों में भी फैलने लगा है।...(व्यवधान) राज्य एवं केन्द्र सरकार उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के द्वारा तथा प्रशासनिक कदमों के द्वारा समाज में इस तरह से कदम उठाये। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने बेगूसराय को भी नक्सलवाद से ग्रसित जिला माना है, ...(व्यवधान) खगड़िया भी उसी से ग्रसित है।...(व्यवधान) जहां जमुई एवं नवादा में आर्थिक विकास एवं सामाजिक अत्याचार के खिलाफ कदम उठाये गये हैं, ...(व्यवधान) उसके लिए निधि आवंटित की गयी है।...(व्यवधान) बेगूसराय लहूलुहान होते हुए भी केन्द्र सरकार की निगाह में अभी तक नहीं है। ...(व्यवधान) बेगूसराय कृषक जिला है।...(व्यवधान) कृषकों को जमीन छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है।...(व्यवधान)

अतः केन्द्र सरकार बेगूसराय को जो नक्सलवाद से ग्रसित है, वहां आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विद्युत वरन महतो।

...(व्यवधान)

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर औद्योगिक नगरी होने के नाते वहां देश के कई राज्यों से लोग रोजगार के लिए आते हैं।...(व्यवधान) वहां कल-कारखाने भी बड़े पैमाने पर हैं।...(व्यवधान) वहां की आबादी भी पर्याप्त है।...(व्यवधान) जनसंख्या के हिसाब से उस क्षेत्र के स्थाई और अस्थाई लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है, ...(व्यवधान) उनका घोर अभाव है।...(व्यवधान) वहां पर एक ही अस्पताल है, ...(व्यवधान) जो टाटा कम्पनी का है तथा जिसमें मुख्यतः टाटा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का ही इलाज किया जाता है।...(व्यवधान) आस-पास कोई अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को 300 किलोमीटर दूर मामूली और गंभीर इलाज के लिए जाना पड़ता है।...(व्यवधान) झारखंड में एक भी सरकारी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल नहीं होने के

कारण हजारों मौतें वहां होती हैं।...(व्यवधान) ज्ञातब्य हो कि झारखंड में भी एक नए एम्स की स्थापना की जानी है जिसके लिए राज्य सरकार ने 287. 89 एकड़ जमीन भी चिन्हित करके प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है जो केन्द्र सरकार के पास लंबित है।...(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में कम से कम 1000 बेड का एक आधुनिक अस्पताल एम्स की तर्ज पर निर्माण करे और साथ-साथ झारखण्ड में प्रस्तावित एम्स को जनहित में निर्माण करने का निर्णय शीघ्र लें।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now. Please go back to your seats.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चेयर को डरायेंगे?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri K. Ashok Kumar.

… (*Interruptions*)

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Thank you Hon. Speaker Madam.

NCC unit was functioning in Government Arts College for Men in my constituency Krishnagiri until the year 2000 with an intake of 100 students. However, NCC unit in the said college had been closed due to old age of the officer who was in charge of that unit.

Madam, in the whole district, there are 11 Government and Private Arts Colleges and six Engineering Colleges, and out of which only seven schools are having NCC units. But unfortunately, no college is having NCC unit now. Therefore, the students of the colleges are not able to get the NCC 'C' certificate. More students are entering into the Army service but only at the lower levels. If they possess the NCC 'C' certificate, their opportunity will be more for higher posts in the Armed Forces.

It is also the desire of our hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma that the students of this educationally backward district should come up in flying colours and be placed in better positions for serving the nation.

I would, therefore, request the Government to restart the NCC unit at Government and private arts colleges and engineering colleges in Krishnagiri District so that the students of these colleges can obtain NCC 'C' certificate, which will help them in a big way to serve the nation through Armed Forces. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान) बिहार के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है।...(व्यवधान) एनएच की सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण है, खराब है। लेकिन केन्द्र सरकार राशि मुहैया नहीं कर रही है।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, बिहार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो सिंचाई से संबंधित हैं, बांका, भागलपुर, जमुई, लक्खीसराय, मुंगेर और बिहार की बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार राशि नहीं दे रही है। वे योजनाएं लंबित हैं और जीर्ण-शीर्ण हैं। बिहार सरकार बार-बार आग्रह कर रही है लेकिन उसकी बात अनसुनी की जा रही है।...(व्यवधान) यह अत्यंत ही दुखद है। इसलिए केन्द्र सरकार जो भेदभाव की नीति अपना रही है, इसे नकारे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। ...(व्यवधान) भागलपुर, मुंगेर, पटना और सुल्तानगंज के बीच के एनएच की हालत भी खराब है। ...(व्यवधान) बटेश्वर, बरनार, चंदन, बदुआ, अपरक्यूल, दकरा नाला आदि सिंचाई परियोजनाओं को केन्द सरकार राशि मुहैया करे। केन्द्र सरकार भेदभाव नहीं करे और एनएच की सड़कों के लिए राशि मुहैया करे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे आपके द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर के लौरिया प्रखंड में स्थित नंदगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ...(व्यवधान) यह एक प्राचीन स्तूप है। यह एक किलोमीटर के गोलाकार में है। ...(व्यवधान) यहां प्रत्येक साल हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ...(व्यवधान) यह केन्द्र सरकार द्वारा प्राचीन घरोहर घोषित हुई है। ...(व्यवधान) यह पश्चिमी चंपारण के साथ-साथ बिहार और राष्ट्र की धरोहर है।...(व्यवधान) वाल्कीकि नगर से सटे हुए गया, केसरिया, वैशाली और उत्तर प्रदेश में कुशी नगर को बुद्धा सर्किट में जोड़ा गया है, लेकिन लौरिया को बुद्धा सर्किट में नहीं जोड़ा गया है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे बुद्ध सर्किट में जोड़कर विकसित करने का उपाय किया जाए। इसे पर्यटन स्थल में पूर्णतया विकसित किया जाए।...(व्यवधान)

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Madam Speaker, I am raising a very important matter of urgent public importance. River Godavari at Rajahmundry is highly polluted by effluents discharged by paper industry as well as by untreated sewage, plastics and bi-wastage discharged by the RMC of underground drainage system.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI M. MURLI MOHAN: While the poisonous gases getting discharged are severely affecting our lungs causing breathing problems apart from skin allergies, the water is totally polluted with effluents of dangerous chemicals being used in production of paper. It is causing gastro intestine problems. Of late, the National Institute of Communicable Diseases having its Regional Centre at Rajahmundry had conducted a study and found that there were dangerous levels of toxic chemicals causing diseases like dengue, chikungunya,filaria and other contaminated water-borne diseases.

As an immediate measure to clean the River Godavari at Rajahmundry, I would earnestly request the Union Government and the Minister for Environment, Forests and Climate Change to provide Trash Skimmer for solid waste management. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I fully support the contention that the Government is behaving in … (*Interruptions*)... * towards the Opposition. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Sorry, this will not go on record. No, you have given notice on zero hour matter. You have to speak only on that zero hour matter.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, either you support him or sit down.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर के दौरान आप जितना बोलेंगे, उतना ही रिकार्ड में जाएगा। Nothing will go on record. I have not allowed. Do you not want to speak?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: The Government is acting in … (*Interruptions*)... * The Prime Minister should come and reply to these allegations. We can always change the subject. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Saugata Roy ji, you please understand.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I am changing the context. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको शून्य काल में आपके विषय पर बोलने के लिए कहा है, आप उतना ही बोलें, उतना ही रिकार्ड में जाएगा, आप दूसरी बात बोलेंगे तो रिकार्ड में नहीं जाएगा।

PROF. SAUGATA ROY: I can always change the subject. I will come to the subject. You allow me. I am supporting Mallikarjun Kharge's contention that the Government is behaving in a … (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: That will not go on record. You go on saying but that will not go on record.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: The Prime Minister should come and explain to the House. No, I am speaking in my own zero hour in the time allotted to me. I support Mr. Kharge's contention that the Government is acting in a … (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में जो विषय है उसी पर बोलना है।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय ही जाएगा, विषय के अलावा बोलने के लिए अनुमति लीजिए। अगर आप दूसरे विषय पर बोलना चाहते हैं तो पहले अनुमति लीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: I had a subject on Government's policy but more important is this allegation which was raised by Mr. Kharge. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You want to speak on Government policy on External Affairs.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : You should allow me to speak on that. We are supporting Mr. Kharge's contention. What is wrong? The subject is not important. You have allotted time to me. … (*Interruptions*)

12.33 hours

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.)

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Kumbirgram Airport is located near silchar, Assam which was built by the British in the year 1944 and is also a civil enclave airport though it is under the control of Indian Air Force. It is the fourth busiest airport of the North Eastern Region. Silchar Airport handles about 2,30,000 passengers yearly. It is well equipped with the instrument landing category on with night landing facility from 2nd September, 2007. A huge amount was spent for this purpose. However, operationalisation of night flights for civil operation cannot be started due to lack of permission from Indian Air Force for the last 8 years though there is a huge demand for night flights. On that ground, direct flight facilities with New Delhi was still not allowed.

About the status of flight traffic from Silchar airport, I wrote a letter to the Minister in the past dated 22nd December, 2014 after which the frequency of the flights was improved and the people of Barak valley were partially well communicated but now it has been brought to my notice that the flight operated by Jet Airways from Guwahati-Silchar and Silchar-Kolkata as well as vice-versa in

the afternoon is going to be stopped by the Jet Airways. So, once again, the people of Barak valley will face trouble.

So, Madam, through this august House, I request both the Ministers of Defence and Civil Aviation to restore night landing facility and also a direct flight from Delhi to Kumbirgram and vice-versa.

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक हिन्दुस्तान के हर प्रदेश में फिशरीज मंत्रालय सेपरेट है। ...(व्यवधान) लेकिन भारत सरकार में वह कृषि मंत्रालय के अधीन है। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान के लगभग 22 से 23 करोड़ परिवार इस मंत्रालय से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेशों में फिशरीज मंत्रालय सेपरेट है, ठीक उसी प्रकार भारत सरकार में भी फिशरीज मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्री जितेन्द्र चौधरी को श्री राम चरित्र निषाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Madam, I would like to highlight the difficulties faced by the Indian workers in foreign countries. A considerable number of workers is from Tamil Nadu. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu is very much concerned about the welfare of those workers. The Indian workers in foreign countries bring foreign exchange for the country and the money sent by them contributes a major share of foreign exchange to the country. However, the working level and living conditions of these workers are not satisfactory.… (*Interruptions*)

The Indian workers in foreign countries face various kinds of difficulties and exploitations. Some of the problems affecting the workers are unsuitable job, poor living conditions, low wages, overwork, poor medical facilities, ill-treatment, abuses and physical attacks, etc. The workers who question or oppose ill-treatment shall invite the risk of job loss and punishment. In some cases, their

passports and visas are taken by the employers. Thus, they face various kinds of torments in foreign countries. Sometimes, the Indian workers die in foreign countries. In such cases, the relatives of the workers experience great difficulties in getting the dead body, pay-dues and other belongings of the unfortunate workers.… (*Interruptions*)

So, the Indian workers in foreign countries need to be given proper protection and support. The Union Government should take specific steps for the regular monitoring of safety and working conditions of the Indian workers and to provide necessary free counselling and free legal assistance through our Embassies and Missions. Also, a suitable insurance scheme for those workers may be made mandatory.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

SHRI M. CHANDRAKASI: I, therefore, urge the Union Government to take all necessary actions, particularly the above mentioned steps to protect the life, property and dignity of the Indian workers in foreign countries. Thank you.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से लोकहित का एक अति महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। …(व्यवधान) हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने आदेशानुसार रेल आरक्षण रद्दीकरण में भारी फेरबदल किया है। …(व्यवधान) जिससे रेल यात्रियों को भारी दिक्कत के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। …(व्यवधान) ऐसा लगता है कि अब रेल प्रशासन ने टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया को जटिल बनाने के साथ ही आय का जरिया भी बना लिया है। …(व्यवधान) रेलवे ने रेलवे यात्री नियम (टिकट निरस्तीकरण एवं भाड़े की वापसी, 2015) को संशोधित करके 12.11. 2015 से टिकट रद्द करने के शुल्क को दोगुना कर दिया है। …(व्यवधान) कैंसिलेशन के अलावा रेलवे प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क में भी भारी बदलाव किया है। …(व्यवधान) इसके तहत एसी प्रथम श्रेणी के लिए 120 रुपये, एसी द्वितीय श्रेणी के लिए 100 रुपये, एसी तृतीय श्रेणी और चेयर कार के लिए 90 रुपये, स्लीपर श्रेणी के लिए 60 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 30 रुपये होंगे। …(व्यवधान) पुनरीक्षित नियमों में तय किया गया है कि ट्रेन के निर्धारित स्थान से पहले 12 घंटे और चार घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर सिर्फ 50 फीसदी शुल्क ही मिलेगा। …(व्यवधान) संशोधित रिफंड नियमों के अनुसार अगर आप चार घंटे बाद आरक्षण रद्द कराते हैं, तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा।…(व्यवधान)

रेल मंत्रालय के अनुसार टिकट एजेंटों को हतोत्साहित करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को संशोधित किया गया है। लेकिन शायद रेल मंत्रालय ने आम पैसेंजर को होने वाले आर्थिक नुकसान के ध्यान में नहीं रखा है। इन पैसेंजर्स में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो किसी इमरजेंसी के कारण अंथवा रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाने के कारण ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं।

इन सब मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय रेल मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों को तत्काल वापस लिया जाए और वर्ष 2012 के नियमों को लागू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीकर ऐसा क्षेत्र है जहां सेना में लगभग 75,000 सैनिक भर्ती हैं और 30,000 ऐसे सैनिक हैं जो सेवानिवृत्त हैं। वर्ष 1962 से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए हैं, इनमें यहां के लगभग 250 सैनिक शहीद हुए हैं। यहां के अनेक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में जाते हैं। सीकर जिले के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यहां भर्ती दफ्तर नहीं है।

मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नौजवानों के देश सेवा के उत्साह, बलिदान और देश के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर में सेना भर्ती दफ्तर खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Mullappally Ramchandran

Shrimati Minakshi Lekhi.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। आपको याद होगा, जब आप स्वयं वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री हैंडल करती थी, हम आपके पास जेंडर बजटिंग को लेकर आते थे। बहुत वर्ष बाद प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक एक्ट पारित हुआ। इस कानून को पारित किए हुए नौ वर्ष हो गए हैं। इन सब प्रयासों के बाद आज देखने को मिलता है घरेलू हिंसा के कारण परिवारों में अशांति है और इसका असर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य आदि चीजों पर पड़ता है। महिलाएं जब घरेलू हिंसा से पीड़ित

होती हैं तब उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती है, इसलिए सरकार का प्रावधान शैल्टर होम्स बनाने का था। जब शैल्टर होम्स की स्थिति देखी गई तब पता चला कि मात्र 154 शैल्टर होम्स कर्नाटक में है और बाकी तमाम राज्यों में आंकड़ा 0 से 5 के बीच में है। इसी प्रकार सब राज्यों में हैल्थ सैंटर्स का रेश्यो 0 से 5 के बीच में है। प्रोटेक्शन आफिसर्स, जो कि इस एक्ट की इम्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, इसका आंकड़ा भी पिछले दस वर्षों में लगातार गिरता जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जहां वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक्ट के लिए फाइनेंशियल एड कम की है, उसका कारण शायद यह है कि फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 42 प्रतिशत बजट का हिस्सा राज्यों को दे दिया गया है। मैं कहना चाहती हूं कि 42 प्रतिशत बजट का हिस्सा दे दिया गया है लेकिन इसमें स्पेसिफिक प्रावधान न होने के कारण कोई मॉनिटरिंग एजेंसी मानीटर नहीं कर रही है कि शैल्टर होम्स पर कितना खर्च हुआ, फैमिली हैल्थ पर कितना खर्च हुआ और प्रोटेक्शन अफसर कितने बनाए गए।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि अगर जेंडर बजटिंग बजट के माध्यम से लागू की जाए और इस एक्ट की इम्पलीमेंटेशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री पी.पी. चौधरी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY): Madam Speaker, I come from Bellary constituency in Karnataka. I would like to attract the attention of the Government and the House to the crying condition of Hampi, the world famous historical site. As the House is aware, Hampi is the former capital of Vijayanagara Empire and a religious centre for millions of people. It has the Hemakuta Hill, Virupaksha Temple, Lakshmi Narasimha Temple, and big Shivlinga and Vithala temples.

The architectural ruins of Hampi is the UNESCO World Heritage Site. Despite its immense tourism potential, it remains under developed for various reasons.

Essential facilities like drinking water, electricity, road connectivity, rest houses etc. are not adequate to attract tourists to this historical place.

Similarly, places like Badami, Pattadakallu and Athole also need immediate Government intervention for the growth of tourism potential of the area. Growth of tourism in that region can help the people to overcome acute poverty and create employment opportunities and livelihood.

Madam, through you, I would like to request the Government to expedite developmental work in this region.

Thank you.

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में से एक है। लेकिन आंवला, जामुन, बेल और आम उत्पादक के रूप में यह अग्रणी रहा है। वर्तमान में किसानों को हजारों टन उत्पादन के बावजूद बाजार में लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। किसान पेड़ों के पातन को मजबूर हैं। ...(व्यवधान) क्या इनके संरक्षण, उत्पादन बढ़ाने तथा प्रसंस्करण उत्पादन तैयार करने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति तैयार की जा रही है? क्यों न वहां इन फलों के प्रसंस्करण हेतू एक मेगॉ फूड पार्क एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाए? ...(व्यवधान) इससे न केवल इन फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा तथा इनसे बनी प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं देश के दूसरे राज्यों एवं विदेशों में भी निर्यात की जा सकेंगी क्योंकि ये पौधे एवं फल औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और इससे बागवानी कटवाने को किसान भी मजबूर नहीं होंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि संबंधित विभागों के माध्यम से किसानों के हित में मेगॉ फूड पार्क, अनुसंधान केन्द्र एवं भंडारण हेतु विशेष पैकेज सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री हरिवंश सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर (बिहार) से दरभंगा जाने वाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मझौली-चरौट सीतामढ़ी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 सी का निर्माण 2015-2016 में ई.पी.सी. मोड के तहत होने जा रहा है। ...(व्यवधान) इसी राजमार्ग पर कटरा प्रखंड अन्तर्गत बोकची के पास बागमती नदी पर सड़क पुल का निरमाण कराना अति आवश्यक है।...(व्यवधान) कटरा प्रखंड में कुल 22 पंचायत हैं जिसमें से 14 नदी के दूसरी तरफ हैं जो प्रखंड से जुड़े नहीं हैं। आज भी प्रखंड आने-जाने के लिए लोग बांस से बने चचरी पुल का उपयोग करते हैं जो काफी जोखिम भरा होता है। मेरे द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित कटरा प्रखंड का यजुआर पश्चिम पंचायत भी इसी इलाके में है जो प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से आज भी जुड़ा नहीं है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि बिहार के तीन जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं दरभंगा के विकास को गति प्रदान करने के मद्देनजर 527 सी राष्ट्रीय राजमार्ग में कटरा प्रखंड अन्तर्गत बोकची के नजदीक बागमती नदी पर उक्त पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल - अनुपस्थित।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय है। देश में पुलिस मानव अधिकारों का कैसे हनन करती है, इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं और हर रोज यह बात प्रकाश में आती है कि कैसे थानों में लोगों को गैर-कानूनी तरीके से रखा जाता है। पिछले दिनों आउटलुक मैगजीन के फ्रन्ट पेज पर...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आउटलुक का नहीं बताओगे। ऑथेंटिकेट करना होता है। गड़बड़ होती है।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैडम, मैगजीन के फ्रन्ट पेज पर वरिष्ठ पत्रकार ...(व्यवधान) कमरसंधु जी ने एक इंटरव्यू दिया था। ...(व्यवधान) दिल दहला देने वाली बात है। एक पुलिस का इंफॉर्मर था, जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने यह दिल दहला देने वाला खुलासा किया है।...(व्यवधान) उसने कहा है कि पचास मामलों में तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं कि जिन लड़कों को फर्जी मुकाबलों में मारा गया। साइनाइड देकर गोलियों से मारा गया। हजारों लड़कों का वह गवाह है, वे पुलिस अधिकारी अभी भी बड़े बड़े पदों पर हैं। उस समय दोनों पार्टियों की सरकारें थीं, जब ये फर्जी मुकाबले हुए। यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नेशनल ज्यूडीशियल कमिशन बनाया जाए। उन अधिकारियों को तुरंत डिसमिस किया जाए और उन पर मुकदमे चलाए जाएं। पंजाब पुलिस में डीएसपी या दूसरे पदों पर जाने के लिए रिश्वत दी जाती है। इंफोरमर ने कहा है कि अभी मैंने पांच परसेंट ही खुलासा किया है और अभी 95 परसेंट खुलासे करने बाकी हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका में लोगों पर जुल्म करने के लिए ज्यूडीशियल कमिशन बनाया गया था, उसी तरह से हमारे यहां भी होना चाहिए।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : महोदया, 40 हजार करोड़ रुपये का घोटाला बिहार में धान की खरीद में हुआ है। लोगों के पास लाल कार्ड नहीं हैं। गरीब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है और यहां 40 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यह अपने आप में दिखाता है कि जो लोग अपने आपको सुशासन कहते हैं, कुशासन और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बिहार में भरा हुआ है। मेरी मांग है कि इसके ऊपर विशेष रूप

से जांच करानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि जो धान गरीब को मिलना चाहिए था, वह धान उस गरीब को न मिलकर कालाबाजारियों के हाथ में चला गया है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री कीर्ति आज़ाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI NEIPHIU RIO (NAGALAND): Madam Speaker, I thank you for giving me time in '*Zero Hour*' to raise a very important issue regarding the tribal and hill people of Manipur State on the passing of three Bills in the Manipur Assembly. … (*Interruptions*)

On 31st August 2015, the Manipur Legislative Assembly convened a one-day Special Session to pass three Bills, namely, Protection of Manipur People Bill, 2015; Manipur Land Revenue and Land Reform Bill, 2015; and Manipur Shops and Establishments Bill, 2015. … (*Interruptions*)

These Bills were hurriedly enacted by the Manipur Assembly on 31st August, 2015, and on the same day it was passed without proper consultations with tribal leaders, elected members of the Autonomous District Council and even opportunity was not given to the elected Members for discussion in the House. … (*Interruptions*) This is in clear violation of the Constitutional requirements of prior consultations with tribal representatives elected from the hill areas of the State as per Article 371 C. … (*Interruptions*) Their voices were suppressed, and the 3 Bills were bulldozed and passed.

It is sad to note that all the North-Eastern States have been affected, but all the modals that are guaranteed under the Sixth Schedule like land rights, community rights and identity rights were denied in Manipur. … (*Interruptions*) Therefore, the sanctity of the Constitution and the Sixth Schedule should be upheld to protect the tribal and the backward. … (*Interruptions*)

It is pertinent to note that 90 per cent of land in Manipur is occupied by the hills / tribal people and they comprise 47.99 per cent of the population. …

(*Interruptions*) As regards the proportional representation in the 60 Member House, only 20 Members are from the hills and tribals, and 40 Members are concentrated from the valley. … (*Interruptions*) Hence, justice was not done as no proportional representation was there. … (*Interruptions*) Five seats were recommended in the delimitation that was done in 2001 to shift 5 seats to the hills, but it was turned down by the valley people. … (*Interruptions*)

As a result of the passage of these three Bills, there were spontaneous protests against the three Bills, which led to a volatile situation and the Manipur Armed Police fired on the protestors killing 9 persons besides injuring about 50 people. … (*Interruptions*) Till today, the dead bodies of these 9 people have not been buried. … (*Interruptions*)

They have not got a decent burial. The tribal leaders say that unless these Bills are withdrawn, they will not bury the dead bodies. Therefore, it needs the intervention of the Government. There is a protest rally going on in Delhi and those who have been protesting against the incident at this protest rally at Jantar Mantar have completed 100 days of protest, while the dead bodies are lying unburied.

I feel that we belong to the biggest democratic country in the world. We should give protection to the minorities, the tribals and the OBCs. The protesters are demanding that these Bills should be withdrawn, or the Government of India should set up a high level committee to resolve the issue.

Madam, you may be aware that more than one-third of the population in Manipur is the Nagas. The Naga Peace Accord which was signed on 3rd August 2015 should not be in jeopardy. This is not only a problem of the Nagas, but this is also a national problem.

Therefore, this issue needs the intervention of the House so as to look into the matter in an urgent manner and to take immediate suitable action, in whatever manner. I am not against anybody. We have four Naga MLAs there and they have

resigned in protest. The tribals need equal rights in this biggest democratic country of the world. Thank you. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Purno Agitok Sangma is permitted to associate with the issue raised by Shri Neiphiu Rio.

… (*Interruptions*)

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): I thank you, Madam, for giving me this opportunity. This is also an issue pertaining to the tribals in my region.

As per the 2011 Census, there are 10.5 crore tribals, who have their own culture, tradition and customs. Many Acts have been enacted by the Parliament to protect the tribal community. However, there is an issue here, that is, in place of eligible tribals, many non-tribals are using false caste certificates. As per the tribal organizations', 5,000 non-tribals have got the caste certificates by hook or crook and they are taking advantage of reservations in place of eligible tribals.

It is an issue pertaining to the Government. Madam, through you, I would request the Government to provide for a fast track mechanism to take immediate decisions on such issues. Some of the employees are retiring from the service, but this issue has not yet been addressed by the Government. Proper reservation in proportion to their population is not being maintained. This is the issue. Therefore, I would request the Department of Tribal Affairs as well as the Department of Revenue to take care of this issue relating to false caste certificates. … (*Interruptions*)

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, I thank you very much for giving me this opportunity. The issue raised by Shri Neiphiu Rio is a very humanitarian and an important issue. In Manipur, due to that legislation, there is a huge commotion among the tribal people. As a Member of the North Eastern Region and on behalf of the democratic and peace loving people of the North Eastern Region, I would like to urge upon the Government to take care of the issues of tribals, like land and other issues. The Government of India may

initiate a dialogue process by engaging the Government of Manipur and the agitating people.

Madam, you might also have been witnessing, hundreds of youth and students, defying the chilly weather of Delhi, are protesting at Jantar Mantar from 4th November 2015. It is a very urgent issue. There should be some intervention by the Government of India as also from this House so that peace and normalcy could be brought back and the tribals could live in peace when their legitimate right is ensured. That is the issue that I wanted to raise here. Thank you. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

… (*Interruptions*)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Hon. Speaker, Madam, I want to draw the attention of the Central Government towards increasing the minimum export price of onions to US $ 700. This year, in Maharashtra, especially in Nashik District, due to late Kharif season, onions are going to be produced in a huge quantity.

13.00 hours

Near about 80 lakh metric tonnes of onion production is expected up to March 2016. Our country needs 10 lakh metric tonnes per month, that is, our country needs about 40 lakh metric tonnes of onion up to March 2016. That means, the balance of 40 lakh metric tonnes of onion will be surplus as per NAFED record. This onion has less shelf life and it is perishable. It cannot be stored also. The Government has increased the MEP of onion up to 700 dollars. Due to this increase, India has lost supply of onion as per the demand of the international market. Taking advantage of this, the onion growing countries like Pakistan, Egypt, China and Iran have captured the international market by keeping the MEP at 300 dollars. Because of excess production of onion in the market and no export demand, there is continued drastic price decrease. Before 15 days, the price of onion was Rs.2,800 per quintal; about eight days before it was Rs.1200

per quintal; and before two days, it was Rs.500 per quintal. If the MEP is not reduced, farmers will have to throw the onion on the road. The farmers have already suffered heavy loss. They have got only this crop as a cash crop by which they can survive for some period. Farmers are also under huge burden of various loans. There is a fear of increase of farmers' suicide. I would request the Ministry of Commerce to take immediate action to reduce the MEP of onion as compared to other onion growing countries up to 300 dollars so that the price of onion will not decrease drastically and farmers will have some relief.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Keshav Prasad Maurya, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Sanjay Haribhau Jadhav, Shri Arvind Sawant, Shri Vinayak Bhaurao Raut, Shri Rajan Vichare and Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad are permitted to associate with the issue raised by Shri Hemant Tukaram Godse.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

महोदया, आज हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों में इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम गंभीर बीमारी बन चुकी है। अकेले एक महीने में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 407 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो देश के भविष्य के नागरिक होते, देश के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता। कल वहां दस मरीज एडमिट हुए।...(व्यवधान) प्रति दिन सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बलरामपुर और अब इंसेफेलाइटिस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार, बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक सहित देश के तमाम राज्यों में फैल गया है।...(व्यवधान) पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि इसके वायरस के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, ...(व्यवधान) लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है और अब जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम आ गया है, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है।...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जेईएस के लिए कुछ रिसर्च करके उपचार की व्यवस्था करें।...(व्यवधान) अभी केवल प्रिवेंटिव टीकाकरण है।...(व्यवधान) बच्चों की जिन्दगी बचाई जा सके, जो देश के भविष्य हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री पी.पी.चौधरी, श्री विनोद कुमार सोनकर एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): ....*

मानवीय अध्यक्ष महोदया, मैं देश के पहले हवाई अड्डे - इलाहाबाद हवाई अड्डे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इलाहाबाद हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा है, जहां से पहला वायुयान उड़ा था। वहां तीर्थराज प्रयाग है, संगम है।...(व्यवधान) अगर आपको भी संगम स्नान करना होगा, तो इन्दौर से इलाहाबाद हवाई जहाज से जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इलाहाबाद हवाई अड्डा, जो प्रथम वायुयान उड़ाने का हवाई अड्डा था, वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए और इलाहाबाद से दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, जम्मू के लिए, चेन्नई, मुम्बई के लिए...(व्यवधान) बैंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त वायुयान चलाया जाए।...(व्यवधान) साथ ही, वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए।...(व्यवधान) इससे वहां तमाम यात्रियों को जो असुविधा होती है, उनको तात्कालिक रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाए।...(व्यवधान) इन लोगों की संख्या 40 है और ये इतना हंगामा करके 500 लोगों के सदन के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. भोला सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री सतीश चन्द्र दुबे, श्री राम चरित निषाद, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री कीर्ति झा आज़ाद, श्री केशव प्रसाद मौर्य और कुँवर हरिवंश सिंह के द्वारा उठाए गए विषयों के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2:15 p.m.

13.05 hours

The Lok Sabha then adjourned till
Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

<u>14.15 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at Table within stipulated time. The rest will be treated as lapse.

… (*Interruptions*)

<u>14.16 hours</u>

At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to develop a Shiv circuit connecting places of religious importance associated with Lord Shiva in Muzaffarpur and Gopalganj districts of Bihar

श्री जनक राम (गोपालगंज) : छपरा व तिरहुत मंडल के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थल हरिहरनाथ महादेव-सोनपुर (छपरा), सिंहासिनी धाम-बैकुंठपुर गोपालगंज, नागेश्वर नाथ महादेव-सिद्धवलिया, सोमेश्वर नाथ महादेव-अरेराज चम्पारण एवं गरीब नाथ महादेव मुजफ्फरपुर की राष्ट्र्ग्री व अंतर्राष्ट्र्ग्री धार्मिक पहचान है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) के भी कुछ धार्मिक स्थल आते हैं। यहां से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हरिहरनाथ से जल भरकर दूसरे धार्मिक स्थलों पर जल चढ़ाने की परम्परा चली आ रही है। इस क्षेत्र की जनता बहुत पहले से ही इन धार्मिक स्थलों को गंडक शिव सर्किट के नाम से एक दूसरे के साथ जोड़ने की मांग करती चली आ रही है, जिसके बनने से यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास होगा।

अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय संस्कृति मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए यहां बुनियादी व ढांचागत विकास कराकर ''शिव सर्किट'' बनाए जाने की कृपा की जाये।

(ii) Need to provide compensation to farmers whose land has been acquired for construction of National Highway No. 148-D (Gulabpura to Uniara) in Rajasthan in accordance with the new policy

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्यी राजमार्ग मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जिन किसान भाइयों की जमीन राष्ट्यी राजमार्ग हेतु अधिग्रहीत की जाती है, उनको डी.एल.सी. दर का चार गुना मुआवजा देने का निर्णय नई नीति के तहत किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान में राष्ट्यी राजमार्ग संख्या 148-डी (गुलाबपुरा से उणियारा) के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, परन्तु उन्हें 2010 की डी.एल.सी. दर से आज मुआवजा देने की बात की जा रही है। किसानों ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया तथा उनका कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप वर्तमान डी.एल.सी. दर को आधार मानकर चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में किसानों को वर्तमान डी.एल.सी. दर से मुआवजा प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जायें।

(iii) Need to modernize the armed forces and allocate more funds for operational capabilities

SHRI HARISH MEENA (DAUSA): The study conducted by the Institute of Defence Studies and Analysis (IDSA), has raised concern over India's growing expenditure on defence personnel which has adversely affected its operation and preparedness. The expenditure on personnel has increased from 27% of the total defence budget in 2007 to 41% in 2012, while expenditure on operation and maintenance has decreased from 25% to 15% in the same period. I am sure that with the implementation of the OROP and the recommendations of the Seventh Pay Commission, this ratio will further go down. One of the arguments for the larger expenditure on personnel is the relative mix of the strength of the services that constitute the armed forces. The IDSA has reported that the share of the army in the total personnel strength of the armed forces is over 85% while those in the US is 39% and UK is 59%. In the view of these facts, there is a need to shift focus on modernising the armed forces and spend more on operational capabilities rather than building huge contingents of boots on the ground. The Indian armed forces should not be treated as employment providing agencies. The armed forces have an important, vital and need based professional role to play. The budget allocation should be made keeping these points in view.

(iv) Need to include Tonk, Sawai Madhopur and Gangapur cities of Rajasthan in the first phase of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माह जून, 2015 में ''अटल अमृत योजना'' का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कुल 28 शहरों का चयन किया गया, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के टोंक, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी को ''अमृत योजना'' में शामिल किया गया है, परन्तु योजना के शुरूआत के प्रथम चरण में कुल 12 जिलों को ही शामिल किया गया है। इन 12 जिलों में मेरे संसदीय क्षेत्र के शहर टोंक, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी को शामिल नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के सवाई माधोपुर में एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रणथम्भौर है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक देश व विदेश से घूमने आते हैं और बरवाडा में ''चौथ माता'' का पूरे देश में एकमात्र मंदिर है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते है। टोंक जिले में वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय है जिसमें देश के कोने-कोने से छात्राएं आकर पढ़ रही हैं।

अतः मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शहर टोंक, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी को भी ''अमृत योजना'' के प्रथम चरण में शामिल किया जाए, जिससे टोंक, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी की आम जनता के साथ-साथ छात्राओं, पर्यटकों व श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके।

(v) Need to increase remunerative price for paddy particularly for Vidarbha region of Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गड़चिरौली, चन्द्रपुर, भंडारा तथा नागपुर जिले का कुछ भाग धान की फसल पैदा करने वाला क्षेत्र है। वर्ष 2014-2015 में विलम्ब से और कम मात्रा में हुई बारिश की वजह से 50 से 60 प्रतिशत किसानों का नुकसान हुआ है। पहले ही हर साल की अकाल और इस वर्ष भी असामायिक तथा कम बारिश होने से किसान चिंता में है।

ऐसी स्थिति में किसान अगर धान बेचना चाहे तो व्यापारियों को कौड़ी के दाम में बेचना पड़ता है। इस स्थिति से किसान में भारी असंतोष व्याप्त है। यदि किसानों को धान की फसल का सही दाम नहीं मिला तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं। इसलिए उत्पादन खर्च के आधार पर सरकार गारंटी मूल्य की घोषणा करें ताकि बाजार में सही मूल्य किसानों को मिल सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह धान की फसल का मूल्य 2500 रूपए से 3000 रूपए के बीच निर्धारित करके धान कृषकों के हित में सकारात्मक कदम उठाए।

(vi) Need to administer Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow, Uttar Pradesh by Union Government

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस अस्पताल में भारत के अन्य राज्यों सहित विभिन्न देशों के निवासी भी अपने बीमार लोगों का इलाज कराने हेतु यहां आते हैं। इस अस्पताल में दिल्ली के एम्स अस्पताल की ही भांति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं किन्तु यह अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में संचालित है। उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण यहां के स्टाफ, कर्मचारियों व अधिकारियों सहित यहां के डाक्टरों को भी कई कठिनाइयों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, यहां ट्रामा सेंटर का निर्माण हो जाने के बाद भी अभी तक उसे शुरू नहीं किया गया है। साथ ही इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद यहां रिसर्च एवं बेहतर इलाज करने वाले डाक्टरों के अनेक पद रिक्त हैं। ऐसे ही कई अन्य अस्पताल भी हैं जिनमें सुविधाएं हैं तो डाक्टर नहीं, डाक्टर हैं तो सुविधाएं नहीं, जिससे ये अस्पताल भी बर्बादी की राह पर हैं और मरीजों को आवश्यक उपचार से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल की अति आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र से केन्द्र सरकार इसका संरक्षण अपने नियंत्रण में ले जिससे केन्द्र से मिलने वाली अन्य चिकित्सा सुविधाओं का लाभ समयानुसार जनता को मिल सके।

(vii) Need to include people belonging to Nishad community of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): निषाद जाति देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी अत्यंत कमजोर स्थिति में है। इस जाति के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश में इसे पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है तथा देश के दिल्ली आदि कुछ राज्यों में इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। लम्बे समय से निषाद और उसकी उपजाति को अनुसूचति जाति में शामिल करके शासन की ओर से उन्हें विशेष आरक्षण और सुविधा देने की मांग चली आ रही है लेकिन इस पर अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण उत्तर प्रदेश में निषाद जाति के साथ-साथ उसकी सभी उपजातियों में भारी आक्रोश है। व्यापक जनहित में उत्तर प्रदेश के अंदर इस जाति से जुड़े हुए समुदाय की सामाजिक और आर्थिक बदहाल स्थिति को देखते हुए इन्हें दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना व्यापक जनहित में होगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि निषाद समुदाय की मांगों पर विचार करके इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करके विशेष आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए।

(viii) Need to set up a Cancer Research Institute and Hospital in Faizabad, Uttar Pradesh

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में से एक हैं इसके इर्द-गिर्द गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर एवं अमेठी सहित लगभग डेढ दर्जन जिले भी इसी की तरह पिछड़े हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से गरीब और कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या निरन्तर बढती जा रही है। इस क्षेत्र में कैंसर की भयावह तस्वीर उभर रही है। पिछले लगभग डेढ़ साल से कैंसर के बारे में निरन्तर छानबीन और लोगों से जानकारी के बाद यह बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में शायद ही अब ऐसा कोई गांव बचा हो जहां कैंसर से पीडित गरीब और आम लोग न हों। सर्वेक्षण के दौरान खास बात यह भी सामने आई है कि इस पिछड़े इलाके के गरीबों को कैंसर जैसी भयावह बीमारी के बारे में प्राथमिक स्तर पर जानकारी नहीं हो पा रही है। सच तो यह है कि फैजाबाद सहित पूरा का पूरा कछारीय इलाका जापानी इंसेफ्लाइटिस की तरह कैंसर की चपेट में है। किसी किसी गांव में एक ही साल में कई कई मौतें इससे हो रही हैं। मंहगा इलाज तथा आम लोगों में जानकारी का अभाव भी इसका एक कारण है। पिछड़े एवं गरीब क्षेत्र के लोगों कोकई जांचोपरांत कैंसर की जानकारी होती है। पूर्वांचल में इलाज हेतु पर्याप्त सुविधा न होने के कारण उनको इलाज के लिए मुम्बई और दिल्ली की ओर जाना पड़ता है। आधे से ज्यादा मरीज तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। पूर्वांचल में प्राथमिक स्तर पर कैंसर की जानकारी और जागरूकता का प्रयास किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित रोगियों के इलाज की व्यवस्था पूर्वांचल में किये जाने पर बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों को बचाया जा सकेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वांचल के कैंसर पीड़ितों के इलाज और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिए जाने के लिए फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कैंसर इंस्टीटयूट एंड हॉस्पिटल की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें।

(ix) Need to construct a rail line between Bharatpur in Rajasthan and Kosi in Uttar Pradesh

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): भरतपुर (राजस्थान) से कुम्हेर, डीग नगर, कॉमा होते हुए कोसी तक रेल लाइन बिछाये जाने की माँग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। गोवर्धन धाम, कॉमा ब्रज चौरासी क्षेत्र, डीग के जल महल आदि को देखने प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं लेकिन रेल यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत असुविधा हो रही है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि भरतपुर से कोसी तक रेल लाइन बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए।

(x) Need to send a central team to Ladakh to assess damages caused by the natural disasters

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): There have been instances of major Natural disasters caused by unprecedented and untimely rains, snowfall, cloudbursts leading to landslides and floods, resulting in the loss of precious lives, damages of properties making the lives of the people living in the Himalayas miserable and difficult. The Ladakh region of the Jammu and Kashmir is known for scanty rainfall with annual average of rain/snow being merely two to three inches could not escape the ravage and destruction of natural fury. Although the region has been facing this natural fury in smaller measure continuously for the last seven years yet the two major disasters during 2010 and 2015 have left a trail of destruction completely throwing the pace of development back by several years. With very little support from either the State or the Central Government, the Ladakh Autonomous Hill Development Council is faced with a very challenging task for restoration and rehabilitation. A few projects sanctioned for restoration of major irrigation systems in 2010 had not still been completed due to paucity of funds, the damages caused in 2015 have completely undone the efforts and the damages to irrigation facilities and land erosion are more serious. Damages to Roads, Bridges and other essential services by bursting of Phuktal Lake and floods and cloudbursts this year need urgent intervention of the Central Government. I request Hon'ble Home Minister to kindly depute a Team to Ladakh to assess damages and provide adequate relief fund for relief and restoration.

(xi) Need to declare Rohtas and Kaimur districts of Bihar as drought-hit and provide adequate relief to the affected farmers

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : बिहार राज्य के रोहतास एवं कैमूर जिले में सूखे के कारण धान की फसल सूख गई है तथा रबी की खेती भी नगण्य हो गई है। अकाल की विकट स्थिति से किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। यदि समय पर प्रभावित किसानों को राहत नहीं पहुँचायी गयी तो स्थिति अत्यन्त दुखदायी हो सकती है।

सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है और कर्ज में डूबे एवं भुखमरी के कगार पर खड़े किसानों के सामने अँधेरा छाया है। जनजीवन के साथ-साथ पशुधन के समक्ष भी भुखमरी की स्थिति व्याप्त है। इस विकट समस्या का समाधान शीघ्र एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रभावित किसानों को सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति दिलाने एवं विद्यमान आपदा से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता है। कर्ज माफी के साथ-साथ प्रभावित किसानों की मालगुजारी एवं बिजली बिल भी माफ किया जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के रोहतास एवं कैमूर दोनों जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत पहुँचाने हेतु संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए।

(xii) Need to construct bridges on river Ramganga in Arjunpur and river Ganga between Kamalganj and Kadhar in Farrukhabad parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद (उत्तर प्रदेश) की सीमाएं गंगा, रामगंगा और काली नदी से घिरी हुई हैं। सदियों से बदायूँ-फर्रुखाबाद-हरपालपुर-लखनऊ मार्ग पर रामगंगा नदी पर स्थित अर्जुनपुर में एक पुल के निर्माण की मांग की जाती रही है परन्तु आज तक वह पूर्ण नहीं हो सकी। इसी प्रकार कमालगंज एवं कडहर के मध्य गंगा नदी पर सेतु निर्माण की मांग भी वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यदि यह दो पुल बन जाते हैं तो मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा संपर्क हो जाएगा।

(xiii) Need to take step for expeditious development of vaccine for Japanese Encephalitis

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश के विभिन्न हिस्सों में अभी तक पिछले 36 साल में जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस से 15 हजार से अधिक मासूमों की जान जा चुकी है। साल 2006 में पहली बार इस महामारी का रूप ले चुकी जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण शुरू हुआ और वर्ष 2009 में पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब की एक ईकाई गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित हुई ताकि रोग की सही वजह को पहचाना जा सके। लेकिन अभी तक इन एंटेरो वायरस की प्रकृति और प्रभाव की पहचान करने की टेस्ट किट विकसित नहीं हो सकी है। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा विकसित नहीं हो पायी, जिसके कारण हजारों मासूम मारे जा रहे हैं।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए जिससे भविष्य में इस महामारी पर काबू पाया जा सके।

(xiv) Need to honour Jyotirao Phule and Savitribai Jyotirao Phule with Bharat Ratna

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''भारत रत्न'' के लिए सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विचारक, समाज सुधारक, महात्मा ज्योतिराव गोविन्दराव फूले जो डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के गुरू भी हैं और उनकी समाज सुधारक पत्नी तथा कवियित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान महिलाओं के अधिकारों में सुधार के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है तथा जिन्हें आधुनिक भारत के महिलावादी के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। उन दोनों ने समाज की प्रमुख समस्या और बुराई 'जाति प्रथा' तथा उससे उत्पन्न असमानता का खुलकर विरोध किया और इन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। इन दोनों ने देश में न केवल शिक्षा खासकर महिला शिक्षा के प्रति जन चेतना जगाने का काम किया है। इन्होंने तत्कालीन विधवाओं की अमानवीय दशा सुधारने के लिए भी लम्बे समय तक देश में आन्दोलन और जनजागरण किया।

इन तथ्यों और योगदानों को दृष्टिगत करते हुए प्रतीत होता है कि वर्तमान में हमने अपने इतिहास के इन दो महान व्यक्तित्व को उचित सम्मान नहीं दिया है। अभी सदन में अम्बेडकर जयन्ती और संविधान दिवस मनाया गया। आज के इस सामाजिक माहौल में इन दोनों के योगदान को 'भारत रत्न' के माध्यम से सम्मानित करना, उन सभी उपेक्षित जन समुदाय और महिलाओं को सम्मानित करने के बराबर होगा। साथ ही समाज के वंचित वर्गों और जात-पात के नाम पर दबे-कुचले लोगों के बीच इससे एक महत्वपूर्ण संदेश जाएगा जो उनके सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी कदम भी साबित होगा। यदि इन्हें भारत रत्न देने के प्रति सरकार कदम उठाती है तो यह न केवल दोनों व्यक्तित्व का सम्मान होगा अपितु महाराष्ट्र एवं भारत की समग्र जनता का भी सम्मान होगा।

(xv) Need to allocate more funds for the BRT Tiger Reserve

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): The BRT Tiger Reserve in my Constituency having an area of 574.83 Sq.Kms. is the pristine habitat for tiger and is a part of the most promising Tiger landscape in the World. The present tiger density in the reserve is 10.21/100 Sq.km. which indicates the presence of healthy Tiger population and consequent demands for their protection.

The management issues in the tiger reserve like protection against hunting/poaching and fire, habitat improvement, man-animal conflicts etc. requires sufficient budget and timely release of funds. However, every year there is a difference between the sanctioned and the released funds. Over the years, there is decrease in budget allotment which is affecting the management/protection issues of the Tiger reserve.

During 2013-14, Rs.188.360 lakh were released out of sanctioned amount of Rs. 235.452 lakh. During 2014-15 Rs.148.2286 lakh were released out of sanctioned amount of Rs. 185.286 lakh and during 2015-16 till date Rs.1 16.058 lakh were released out. of sanctioned amount of Rs. 145.0727 lakh.

Therefore, I urge the Union Government to take up the issue on priority basis and help the BRT reserve to get sufficient allotment and timely release of funds for protection and conservation of this natural resource.

(xvi) Need to provide unemployment allowance to the unemployed youth belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe community

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): The population explosion has given rise to unprecedented unemployment in the country. According to an estimate, there are more than five crore unemployed youth registered in the employment exchanges of the country, while the number of unregistered unemployed youths is more than the registered ones. Such youth are mostly in remote, rural and semi-urban areas and their number is increasing by the day. The situation of unemployment in the country is so grim that even highly qualified youth have failed to get employment. Millions who graduate every year, especially the youth belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are unemployed in spite of getting reservation benefits. This is leading to frustration amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes youth and they are being easily lured away by anti-social and anti-national forces. In fact, many of them get involved in criminal activities and spoil their lives. Unemployment is also the reason for brain-drain and exodus of substantial number of skilled and unskilled youth, doctors, engineers and scientists from the county. At the same time opportunities of employment are shrinking and the Central Government is also partially responsible for this. For instance, the Ministries/Departments of the Central Government have to surrender ten per cent of the total vacancies arising due to superannuation of employees every year. Further, if any post remains vacant for over a year it automatically lapses. The Agricultural sector has remained the largest employer in our country but due to vagaries of nature and non-remunerative pricing policy, employment Same is the situation in the sector of small scale and village industries.

India is a welfare State and as such the onus is on the State to ensure the welfare of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Community by providing

gainful employment opportunities to them. If the State fails to provide them gainful employment then they should be paid unemployment allowance on a monthly basis. This is the need of the hour which will go a long way in ensuring a dignified life to the youth belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(xvii) Need to expedite doubling of rail link work between Madurai and Kanyakumari

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): The rail route between Chennai and Kanyakumari via Trichy and Madurai is of 738 KMs that connects all parts of Tamil Nadu . Having a huge potential of passenger and freight traffic, most part of this main line connectivity to Kanyakumari is currently a single line. Though doubling work between Kanyakumari and other parts of Tamil Nadu has been completed or in progress, the doubling work between Kanyakumari and Madurai is going on slowly.

The rail link between Madurai and Kanyakumari has important stations of Thiruparakundram, Thirumanglam,Virudhunagar,Satur which falls under my constituency. The single line connectivity between Madurai and Kanyakumari has affected the passenger and freight movement adversely. The doubling work between Madurai and Kanyakumari was announced during 2012-2013 by the Government and the feasibility study was conducted by Southern Railway. Rs. 2100 crore were estimated for the completion of doubling work. A final survey report was also submitted by Southern Railway. However, the project is pending due to want of funds.

The doubling of rail link between Kanyakumari and Madurai will help Indian Railways to operate numerous freight and passenger trains towards the Southern Tip of Tamil Nadu thereby boosting the operational efficiency of Railways in handling increased freight and passenger traffic.

Inordinate delay in execution of this project between Madurai and Kanyakumari is a matter of serious concern. It is a long pending genuine demand. I, therefore, urge Hon.Minister of Railways to ensure expediting the work relating to doubling of rail link between Madurai and Kanyakumari in the Chennai — Kanyakumari rail route immediately with allocation of adequate funds.

(xviii) Need to construct a flyover at Bandel Junction Railway Station

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): There has been a long pending demand from the people of my constituency for a flyover at Bandel Junction Railway Station from Bandel G.T. Raod crossing up to Dabanandpur Kazidanga crossing. Many important trains connecting Howrah, Sealdah, Kolkata from Northern, North Eastern, North Western India pass through Bandel Junction station. I would like to state that during rainy season, raods leading to Bandel station gets submerged under water causing insurmountable problems for people to reach the Bandel Station. In addition to this, the underpass of Bandel station too gets inundated during rain. Further, it would be pertinent to point out here that three major markets like Annapura Bazar, Canteen Bazar and Koalbazar are on either side of the underpass, due to which passengers miss the train because of too much congestion on normal days and during rainy seasons. Under the circumstances, I would strongly urge the Railway Minister to look into this important and long pending demand for construction of a Flyover at Bandel Junction Railway Station from Bandel G.T. Road crossing upto Debanandpur Kazidanga crossing in the forthcoming Rail-Budget.

(xix) Need to protect the ancient monuments in Arambagh parliamentary constituency, West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The Archaeological Survey of India deals with the researches and protection of cultural heritage of India and also regulates the archaeological activities as per norms of Ancient Monuments & Archaeological Sites.

Monuments remind us of our heritage and they are like treasure and symbol of pride to our country. They serve as important source of History and improve tourism.

West Bengal is one of the richest States in India known for its Culture, Tradition & Festivals. My Parliamentary Constituency Arambagh has many treasures for Archaeology.

- Tarakeswar Lord Shiva Temple is a place of Pilgrimage and famous for Shiva Ratri.
- Radha Nagar, in Arambagh is the birth place of well known Social Reformer, Raja Ram Mohan Roy.
- Narojole Rajbari the grand palace and an ancient monument is located here.

In spite of this, West Bengal lacks sufficient ASI Engineers for its conservation work. Due to which works are not carried out in time.

I request the Union Government & Culture Ministry to allot sufficient funds and also provide skilled personnel for the proper inspection and upkeep of the monuments.

(xx) Need to provide adequate funds for Krishna Marathwada irrigation project in Maharashtra under Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme and waive the loans of farmers distressed due to severe drought condition in the region

प्रो0 रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड(उस्मानाबाद): महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों को पानी उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख **योजना "कृष्णा–मराठवाड़ा योजना"** है। इसे जो वर्तमान में राशि दी जाती है, वह बहुत ही कम है। इसे तुरन्त बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मराठवाड़ा पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए कृष्णा–मराठवाड़ा को **"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"** के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि समुचित वर्षा के अभाव में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे किसानों को सिंचाई की भरपाई हो सके तथा मैं भयावह सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए यह पुरजोर मॉग करता हूँ कि किसानों के कर्ज को पूर्ण रूप से तुरन्त माफ किया जाए ताकि आर्थिक बोझ से पीड़ित किसानों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रूक सके तथा साथ ही किसानों को वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे किसानों को खेती के अलावा अन्य कार्य करने में मदद मिल सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की आश्रित पुत्री को विवाह हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराया जाए। इसकी जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से सरकार को लेनी चाहिए तथा उनके छोटे और अध्ययनरत बच्चों के पालन–पोषण और शिक्षा–दीक्षा तथा रोजगार की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।

(xxi) Need to include Technical Institutes of Higher learning, located in Andhra Pradesh, in the Ph. D Scheme for IT and Electronics

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): The Government of Andhra Pradesh is committed to promote the IT industry and plans to create IT hubs at Vijayawada, Kakinada, Timpati and Ananthapuram. The government's IT policy envisages heavy investment for the IT sector.

To achieve this, the state needs highly qualified scientists in the field of IT and Electronics. Rapid growth of IT and Electronics industries is possible only by innovation and research, creation of Intellectual Property and conversion of the Intellectual Property into wealth through entrepreneurship. The Ph.D scheme approved by Government of India with an outlay of 401 crore, aims to churn out 3000 Ph.D annually, 1500 each in IT and Electronics. However, educational institutions of higher learning in engineering and technology located in the new State of Andhra Pradesh do not figure in the category of institutions eligible to participate in the Ph. D scheme.

I request the Ministry of Human Resource Development to allocate for the Technical Universities located in Andhra Pradesh a share of funds under the central Ph.D scheme in line with the states aspiring to become a major IT and Electronics hub in the world.

(xxii) Need to improve the condition of Asha workers in the country

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Asha Workers are the backbone of the medical system in India who cover 1,000 people, stay in village, help in safe delivery and facilitate all Government health programmes and yet get paid around Rs.600-700 per month which is a meagre amount for their work, Hence, I request that the Asha worker be inducted under the NRHM. The Government should increase their remuneration and also provide better service conditions. Asha workers be paid a consolidated pay like Anganwadi workers. The Government should start Asha Health Home.

(xxiii) Need to extend the run-way of the proposed Kannur International Airport to 4000 metres

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Kannur International Airport is the fourth airport in Kerala, which was envisaged as a hub Airport with a runway of 4000 mtrs. Now the work at Kannur International Airport is going on in full swing but the runway has been reduced to 3050 mtrs. Due to public pressure, the government is now proposing to extend the length of the runway to 3400 meters but 4000 mtrs.runway is essential for a hub Airport.

Suitable land required for extending the runway is available in the premises of the proposed Airport. Kannur is a centre of international trade and commerce. Large numbers of North Keralaites and persons of adjacent districts of Karnataka state are working in foreign countries especially in Gulf countries. It will be beneficial to persons of this area if the Airport is developed as a Hub Airport.

Hence, I urge the Government to give directions to the authorities concerned to extend the length of runway to 4000 mtrs.

(xxiv) Need to start operation of international flights from international airport at S.A.S. Nagar (Mohali) in Punjab and also name the airport after Shaheed Bhagat Singh

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): On 11 September 2015,Honble Prime Minister inaugurated the international Airport at S.A.S Nagar Mohali in Punjab. Despite a number of requests, international flight operation has not been started till date although all the processes/formalities have already been completed & N.o.C has been obtained. I would urge upon the Government of India to start the international flights as early as possible.

The name of the said Airport has not yet been finalized. In this regard, the Government of Punjab requested the Government of India that the said Airport should be named after Shaheed Bhagat Singh and the complete name should be Shaheed-E-Ajam Bhagat Singh Chandigarh International Airport S.A.S Nagar, Mohali because revenue record & pin code falls in the name of Mohali.

I would urge upon the Government of India to decide it on priority basis. I would also urge upon the Government of India to start the International Air flights from Chandigarh to Nanded Sahib, the fifth Takhat of Sikhs.

(xxv) Need to protect the social media activists

श्री भगवंत मान (संगरूर): देश में सोशल मीडिया लोकतंत्र के पाँचवे स्तम्भ के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया को आज के जमाने में आम लोगों की आवाज के तौर पर एक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। जब देश के कई हिस्सों में सरकारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया पर दबाव डालने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया ही सत्य को आम लोगों तक पहुँचाने का एकमात्र माध्यम बच जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी पाबंदी एवं दबाव डालने की खबरें आजकल आ रही हैं। देश में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा तंग व परेशान करने तथा झूठे केस बनाकर जेल में डालने की घटनाएं हुई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 66ए धारा को खत्म कर दिया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लिखने को अपराध नहीं माना जा सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के कुछ हिस्सों में अघोषित मीडिया इमरजेंसी के खिलाफ सख्त आदेश दे ताकि लिखने व बोलने की आजादी को बचाया जा सके।

(xxvi) Need to restrict the import of dairy products in the country

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : समूचे भारत वर्ष में किसी न किसी कारण परेशान किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर बन गई है। एक तरफ आसमानी संकट जिसमें कहीं सूखा तो कहीं ज्यादा बारिश का मुकाबला किसान हर मोड़ पर कर रहा है। खेती में निकली हुई उपज को उचित दाम ना मिलने की वजह से और दूसरी ओर ऋण के बोझ से लाखों काश्तकारों को खुदकशी करनी पड़ रही है। यह बात हम सभी भारतीयों के लिए शर्मनाक है। इस दर्द भरी और शर्मनाक स्थिति में किसानों को राहत सिर्फ दुग्ध व्यवसाय के वजह से मिली। सभी आदरणीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय खेती पूरक ही नहीं बल्कि खेती व्यवसाय का पर्याय बन गया है। देश में किसानों की आत्महत्याएं रोकने में दुग्ध व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस दुग्ध व्यवसाय के सम्मुख कुछ विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा गत कुछ दिनों पूर्व लिये निर्णयों से लगता है। उदाहरणस्वरूप दीपावली के त्यौहार से पहले अपने देश में बड़े तौर पर विदेश से लगभग 1300 मीट्रिक टन घी (बटर ऑयल की) पहली किश्त के तौर पर लाया गया जो तकरीबन 170 रूपये प्रति किलो से प्राप्त हुआ। इस समय देश में घी 300 रूपए प्रति किलो से ज्यादा दर प्राप्त कर रहा है। इस निर्णय की वजह से दुग्ध व्यवसाय को काफी क्षति पहुँची और ऐसी खबरे हैं कि और अधिक मात्रा में यह घी तथा अन्य दुग्ध पदार्थों के विदेश से आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की आत्महत्याएं थमने के बजाय उसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आने वाले समय में ऐसा कोई कार्य प्रशासकीय स्तर पर ना करें। इसलिए कृषि और कृषक कल्याण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आयात परमिट (इम्पोर्ट परमिट) देने में सतर्कता बरतें जिससे किसानों को सचमुच राहत मिले।

<u>14.18 hours</u>

INDIAN TRUSTS (AMENDMENT) BILL, 2015 – <u>Contd.</u>

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up item no. 16, further consideration of the Bill further to amend the Indian Trusts Act, 1882, be taken into consideration. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Hon. Deputy Speaker Sir, the Indian Trusts Act was formulated in 1882. It is an archaic Act which is now in some ways a colonial relic. So, it has been an Act that has been under consideration for some time to be amended.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker Sir, before the Bill is taken up for consideration and passing, my point is that this House was discussing about the drought situation in the country. … (*Interruptions*) We have no issue on consideration and passing of this Bill. But the point is, drought has affected more than 50 per cent of the country and that was under consideration. … (*Interruptions*) I think instead of passing the Bill, the priority should be that we should discuss on the drought situation prevalent in the country. … (*Interruptions*) Accordingly, the Members from the Congress Party may be requested that let us discuss this issue which is affecting larger sections of the population of the country in a greater way. … (*Interruptions*) We can take up this Bill whenever we have a better position in the House. This is my suggestion for your consideration, Sir.

SHRI JAYANT SINHA: Hon. Deputy Speaker Sir, we will continue with the Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Hon. Deputy Speaker Sir, there was a commitment by the Congress Party that they

would have discussion and we gave a special privilege and the Chair gave a ruling allowing Shri Jyotiraditya Scindia to make his opening remarks on the drought situation. … (*Interruptions*) The promise made to the House was that after the discussion on drought, the Bill would be taken up and we will complete the legislative business.

Thenceforth, we have been pursuing the same thing and now as we said, we will complete this motion, the Indian Trusts (Amendment) Bill which was introduced by Shri Jayant Sinha and then carry on with the discussion on the floods. … (*Interruptions*) This was decided. So, we will conclude this Bill. It is a small Bill. As far as the quorum or the decorum of the House is concerned, they are going back on their own promise. … (*Interruptions*) Still we do not know why they are agitating and why they are stalling the House. So, I would request the hon. Chair to allow the hon. Minister to continue and we can continue with the discussion on the drought after this. … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: I would plead with the hon. Member that once I describe the Bill I think all hon. Members will agree. … (*Interruptions*) It is a fairly small technical provision that for the benefit of such beneficiaries we should revise as soon as possible. Therefore, once we have accomplished that we can turn to other issues including the drought issue if the hon. Member will agree to it. … (*Interruptions*) I think we can accomplish this relatively soon.

As I was explaining, the Indian Trusts Act was created in 1882 and it has now in some ways become a relic of the colonial past. … (*Interruptions*) As hon. Members know well a trust is essentially set up so that property or funds that belong to one person can be kept by a trustee for the benefit of beneficiaries that have been designated by the sponsor of the trust and there will be a settler who will look after the trust.

What very often happens in these trusts is that there are surplus funds that are available in these trusts that are available for investments, available for putting into banks and so on. … (*Interruptions*) When the Indian Trusts Act, 1882 was

formulated, section 20 notified in a very precise and detailed way the financial instruments that could be used to invest these funds. Those provisions have become completely archaic now and hon. Members will find it actually quite strange and if not strange quite amusing that now the Act lists and there are pre-Independence financial instruments like the securities issued by the United Kingdom, securities issued by the municipalities of presidency towns, Rangoon which is obviously a pre-Independence holding of British India, and the Port Trust of Karachi. … (*Interruptions*) So, the time has come to remove those archaic provisions and to replace them with modern day financial instruments that that actually belong in these trusts and should be available to trustees for investment.

We are proposing a set of financial instruments. … (*Interruptions*) The Bill lays them out very clearly. What we have said in effect is that if we put this in place the Indian Trusts Act will be ready for the 21st Century and be able to help the people who are the beneficiaries of these trusts. … (*Interruptions*)

The amendment seeks to amend sections 20 and 20 (a) of the Act. It retains the provisions to invest in securities expressly authorised by the investment in the trust or by the Central Government. … (*Interruptions*) It says: "Let us delete the investment avenues having pre-Independence references". It enables investment in a class of securities expressly authorised. … (*Interruptions*) It provides an explanation that the term security shall have the same meaning as contained in section 2 (h) of the Securities and Contracts Regulation Act of 1956 and deletes the proviso of section 20 (a) of the Act which has now become redundant.

These amendments will give the trustees greater autonomy and flexibility in investments. … (*Interruptions*) This Bill was introduced in 2009. It went to the Standing Committee as hon. Members know. It was looked at by the Standing Committee and was sent back by the Standing Committee in 2010. …

(*Interruptions*) Most of the recommendations of the Standing Committee were accepted and that is the amendment that is now proposed to be considered and passed by this august House.

With that, I will ask hon. Members to support this Bill. Thank you very much. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Indian Trusts Act, 1882, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): My only request is that when the House is not in order, it is not right on the part of the Government to get all the Bills passed. When Members are in the Well and the House is not in order, they are taking all the Bills one by one and they are bulldozing. … (*Interruptions*) In the last two days, we have given the quorum. Even quorum was not there but we co-operated. Today, they are bulldozing just like that.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Who is bulldozing? Who is coming to the Well of the House? … (*Interruptions*) Who is obstructing the House? Who is throttling the voice of the people? … (*Interruptions*) What are you talking? It is like a murderer saying others are doing it.… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We have taken this stand because of your attitude.… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, they do not respect the rules. Let us go ahead with the business.… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: … *

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The country cannot take it like this. People want legislation. Let the House take people into consideration and proceed with the Bill.… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: .....*

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Hukum Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this should not be done. The House is not in order. This is my point. They do like this every time.… (*Interruptions*)

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, सदन के समक्ष जो ट्रस्ट संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।...(व्यवधान) यदि आप निष्पक्ष भाव से इस विधेयक को देखें, यह विधेयक ऐसा है जो विभिन्न ट्रस्ट के पास में अनुपयुक्त पैसा पड़ा है, धन पड़ा है, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और भविष्य में भी जिसके उपयोग होने की संभावना नहीं है, तो इस बात का एक रास्ता निकाला है कि किस प्रकार से उस धन को देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगाया जाए।...(व्यवधान) यह एक स्वागतयोग्य अप्रोच है।...(व्यवधान) अभी मंत्री जी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में यह विचार हुआ।...(व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी से पूर्व अगर मंत्री जी आपने देखा हो कि लॉ कमीशन ने वर्ष 1961 में अपनी रिपोर्ट दी थी।...(व्यवधान) लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते हुए यह अपेक्षा की थी कि 1882 के बिल को हम अब तक कैसे लिए बैठे हैं।...(व्यवधान) हमें पूर्ण बिल पर, पूरे कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wait for a minute. What do you want to say, Shri Kharge?

14.27 hours

(At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members went back to their seats.)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have already told you that the House is not in order. Secondly, they are passing the Bill like this. Yesterday, and even day-before-yesterday there was no Quorum in the House but we cooperated and some Bills were passed. Today, we are objecting, protesting on the ground that they are taking a discriminatory attitude towards the Opposition. They have one law for them and other law for the Opposition. They are suppressing, depressing and disregarding the Opposition.… (*Interruptions*) Such an attitude should not be there on part of the Ruling Party.… (*Interruptions*) I want your protection. Bills should not be passed like this. It is necessary that they should take all of us into confidence. If they are so much interested, let them take action against... * and take action against the Rajasthan Chief Minister.… (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, they have no respect for the Rules of the House… (*Interruptions*) They are saying that they will obstruct the House.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Hukum Singh, you may continue.

श्री हुकुम सिंह: महोदय, एक सराहनीय कदम आज सरकार की ओर से आया है।...(व्यवधान) हालाँकि इस कदम को आने में 130 वर्ष लगे।...(व्यवधान) 130 वर्ष पूर्व 1882 में जो कानून ट्रस्ट के ऊपर आया था, उसमें प्रावधान क्या था, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।...(व्यवधान) यह धारा 20 जिसे आपने बदला है।...(व्यवधान)

14.29 hours

(At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

...(व्यवधान)

धारा 20 में यह बाध्यता की गई थी कि आयरलैंड हो या इंग्लैंड हो, यूनाइटेड किंगडम हो, जो उनकी कंपनी होंगी, उनमें पैसे का निवेश किया जा सकेगा।...(व्यवधान) आज मेरी समझ में यह नहीं आता कि 130 वर्ष तक हम किस प्रकार से उसी कानून के अंतर्गत काम करते रहे।...(व्यवधान)

मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि कम से कम वह जगी तो सही और जगने के बाद समाज और देश के हित के लिए इस धारा 20 को संशोधित किया।...(व्यवधान) 20(ए) को डिलीट किया।...(व्यवधान) मेरी मंत्री जी से यह अपेक्षा है कि बाकी कानून के ऊपर भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए।...(व्यवधान) उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं।...(व्यवधान) हम 130 साल पुराने कानून को बदलने में संकोच करें, आप सहमत होंगे कि भारत के संविधान में, जो हमारा मूल मंत्र है, उसमें तो हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये पुराने-पुराने, जंग पड़े हुए ब्रिटिशकाल के बने हुए कानूनों के अन्तर्गत हम समाज की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं।...(व्यवधान) मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखता हूँ।...(व्यवधान) यह लॉ कमीशन में गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में गया और स्टैंडिंग कमेटी में गया। स्टैंडिंग कमेटी में भी अपेक्षा थी कि पूरे कानून पर सरकार विचार करे। आज कुछ दिक्कतें सरकार के सामने होंगी लेकिन वे दिक्कतें भी दूर हो जाएँगी। आज यह बिल पास होना चाहिए और इस कारण से पास होना चाहिए कि न जाने कितने ट्रस्ट हैं जिनके पास अरबों रुपये की धनराशि पड़ी हुई है और वह पैसा अनुपयुक्त पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस बात पर विचार तो किया कि पैसा सरकारी खजाने में आएगा और सरकार को उस पैसे के माध्यम से विकास करने का अवसर मिलेगा।

मान्यवर, कौन सा मठ भारतवर्ष में ऐसा है और कुछ तो ऐसे हैं कि न जाने कितने अरबों रुपये की पूँजी उनके पास अनुपयुक्त पड़ी हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ चाहता हूँ। हमारे देश में वक्फ बोर्ड है और इस देश में वक्फ की भी अरबों रुपये की संपत्ति ऐसी पड़ी हुई है। उन लोगों पर विचार करें, उन बुज़ुर्गों पर विचार करें जिन्होंने समाज में सेवा के लिए प्रापर्टी को वक्फ किया था और इस विश्वास के साथ किया था कि वक्फ हो या ट्रस्ट हो, यह पैसा और संपत्ति समाज के काम आएगी तथा शिक्षा का प्रसार होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ जो लोग गरीब हैं, उनके जीवन में भी कुछ प्रकाश लाया जा सकेगा, अस्पताल खुलेंगे। लेकिन आज वक्फ की संपत्ति का क्या हाल है? पूरे देश में अगर आप सर्वेक्षण करा लें, उन्हीं लोगों ने अतिक्रमण किया है जिनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यह पैसा पब्लिक के काम आएगा। हमारे ट्रस्टों का हाल क्या है? …(व्यवधान) मैं खत्म करता हूँ। मैं समझ गया। चूँकि केवल एक धारा के संशोधन की बात आज है, इसलिए मैं सारे विधयेक पर आज नहीं बोलना चाहता। लेकिन यह अपेक्षा करते हुए कि माननीय मंत्री जी पूरे विधेयक पर पुनः विचार करते हुए इसमें संशोधन का प्रस्ताव आगे लाएँगे, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम इस विधेयक पर आप विचार तो कर लें, यह तो देखें कि किस अपेक्षा के साथ यह विधेयक आया है? आपकी भी सरकार इतने दिन तक रही है। आपकी सरकार आँख बंद करके बैठ गई। आज इस सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। उसकी सराहना होनी चाहिए। जैसा मुझे इशारा किया गया कि समय का अभाव है, मैं तो एक घंटा बोलने की तैयारी करके आया था। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. I express my sincere thanks and gratitude to my leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchithalaivi Amma, for allowing me to speak on "The Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015".

The Bill seeks to amend a 133-year old, Indian Trusts Act, 1882, which is the Principal Act. The Principal Act regulates the functioning of private trusts and trustees. It also outlines the manner in which surplus funds of the trust may be invested for future use and benefit of the trust. This Bill enables the Centre to notify a class of securities for the purpose of investment of trust money. This could also pave the way for permitting private trust monies to be invested in listed stocks on the same lines as the investment pattern specified for non-government provident funds.

In addition, the Act allows investment in any security expressly authorized by the instrument of trust or by the Central Government by notification, provided that consent is taken of any person who is competent to contract and entitled to receive the trust income for his life. The Bill amends the Principal Act to retain only the last item, and deletes all the other investment avenues specified in the Act. This Bill also proposes to delete some pre-Independence references to out-dated and obsolete securities from the Indian Trusts Act, 1882 such as securities issued by the United Kingdom, by municipalities of Presidency towns, Rangoon, Port Trust of Karachi, etc.

It may be recalled that the Law Commission of India in its 17th report, had earlier recommended for amending the Section 20 and deletion of the provisions for securities that had become obsolete.

Greater autonomy is the key word. The Bill proposes to confer greater autonomy and flexibility on trustees of private trusts as regards investment on trust money. It also proposes to do away with the requirement of case-to-case approval by the Government of ‘any security’.

The proposed changes are consistent with the current economic environment and the present shift from a merit-based regulatory regime to a disclosure-based regime, according to the Statement of Objects and Reasons of the Bill.

The Centre has taken an important step towards enabling private trust funds to be parked in listed shares and specified debt securities. Besides, the Government has taken a market boosting initiative by way of amending the Indian Trust Act, 1982 to permit all trusts to invest in shares and bonds of listed companies. In the current global scenario of off-shore funds and investment option, the Act lagged behind time.

Trusts play a significant role in most financial and legal systems and are recognised under the Hague Convention. Under Common Law, a trust is an arrangement under which the settler entrusts his property to certain persons or trustees, who become the legal owners of the trust property but hold it for the benefit of third parties, that is, the beneficiaries.

The Act extends to private trusts only and not to public trusts. Nonetheless, Indian courts have held certain provisions applicable to public trusts as well as principles of equity and good conscience which includes Section 20.

Depending on the corpus, a trust may be formed as a company or society. In case of companies, Section 25 of the Companies Act applies to non-profit making companies while institutions established for promoting religion, science etc. may also be registered as limited companies. A private trust's beneficiaries are a closed group, while a public trust is for the benefit of a larger cross-section having a public purpose.

More than philanthropy or privacy trusts spell big money which account for a substantial portion of trading and investment in major stock exchanges. Complex business arrangements in the financial and insurance sectors use trusts in their structure. Asset protection is another important consideration, to move assets to a separate structure with ease to safeguard against bankruptcy.

Even though private trusts are subjected to tax at maximum marginal rate, since trust income becomes taxable either in the hands of the beneficiary or trustee. This offers the creation of another taxable entity, claiming permissible deductions combined with asset protection. Corporate people generally form their own public or charitable trusts, with similar restrictions.

There are thousands of trusts in India that include religious and charitable trusts managing large sums of money. Industry analysts say that the few major port trusts alone are estimated to be managing funds amount to more than Rs. 20,000 crore.

In addition, employee welfare trusts and religious and charitable trusts also have substantial funds. Some of these attitudes have changed in the past two years or so, largely driven by the advent of professional wealth managers.

There are any number of reasons why people create a trust. For instance, parents with a child with special needs should create one to provide for the child's care. Untimely and accidental deaths are also reasons for people creating trusts. Rising divorce rates and the ensuing battles over property and providing for the offspring's future is yet another reason.

Trusts have been used to prevent wealth from moving out from families to new members who may claim their share through marriage alliances. Businessmen have been known to ring-fence personal wealth with trusts, budgeting for the eventuality of a business failure.

Creating a trust means clearly articulating the objective of the trust, defining the beneficiaries and share of each beneficiary. People also stop short of creating a trust as they fear they will lose control of their assets once it is transferred to the trust. But in short, it is a wise move by the Government to revitalise the archaic laws and has come forward to provide greater autonomy to the trustees in managing the funds of the trust, which is a welcome step.

Sir, with these words, I support the Bill. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy-Speaker Sir, I stand here today to participate in the discussion on the Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015.

The Law Commission of India, in their 17th Report submitted in 1961, recommended amending Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 and deleting the provisions pertaining to securities in the Act which have become absolute.

This Bill seeks to amend Section 20 and empower the Government to notify a class of securities for the purpose of investing trust money and doing away with the requirement of case to case approval by the Government of 'any security'. The scope of this Bill when enacted would be restricted to private trusts registered under the Act. We all know that there are two types of Trusts –private and public.

There are State laws also relating to Trusts. The State Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan have enacted State laws relating to Public Trusts. Bombay Public Trust Act, 1950 is applicable only in the States of Maharashtra and Gujarat.

Questions that are often asked are relating to tax exemptions available to different types of Trusts. Under the Income Tax Act, taxation of Private Trust is different from that of public, religious and charitable endowments. In the case of public, religious or charitable endowments, the taxation has a linkage with the mode of investments of the Trust property. The taxation of Private Trust is not linked to manner/mode of investment of Trust property.

The Indian Trusts Act applies to Private Trusts only and has no application to public, religious and charitable endowments. This amendment to the Indian Trusts Act, therefore, has no impact on the taxability of such Trusts under the Income Tax Act, 1961. But the question still remains unanswered as to why the Government is not formulating a model legislation covering Trusts and Societies in lieu of the existing laws on societies, trusts, endowments, charitable institutions, etc.

I was given to understand that the Law Commission of India, in its 17th Report, had recommended amendment of the Indian Trusts Act, 1882 in its entirety.

The Second Administrative Reforms Commission, in its 9th Report on Social Capital- A Shared Destiny, has made certain recommendations in respect of laws relating to societies, trusts, waqfs, religious and charitable endowments in India and suggested a comprehensive model legislation covering both Trusts and Societies.

In view of this, it is necessary to look into the recommendations of the Law Commission of India afresh. Today the Societies Registration Act, 1860, the Religious Endowments Act, 1863, the Indian Trusts Act, 1882, the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 and the Waqfs Act, 1995 are being administered by various Ministries like the Ministry of Corporate Affairs, the Ministry of Minority Affairs, the Ministry of Law and Justice, etc. There are very many Ministries which are actually looking into or administrating these Acts.

The Law Commission of India looked into the matter afresh and considered the recommendations made by the Second Administrative Reforms Commission and was to give its Report to make a model legislation. That Report is still awaited. When is the Government going to take a decision on this aspect of framing a model legislation? This request is pending since 20th January, 2009. How long will it take and what is the present position? I want to understand these points.

I would also like to draw the attention of the House on another point. I hope the hon. Minister will be in a position to explain the situation. On the heels of the provident fund money trickling into the equity markets, the Centre has taken an important step towards enabling Private Trust funds to be parked in listed shares and specified debt securities.

This Bill, the Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015, which is being discussed here in Lok Sabha today, is enabling the Centre to notify a class of

securities for the purpose of investment of trust money. This would pave the way for permitting private trust money to be invested in listed stocks on the same line as the investment terms specified for non-Government provident funds.

This Bill, as has been introduced by the Minister, proposes to confer greater autonomy and flexibility on trustees of private trusts as regards investment of trust money. It also proposes to do away with the requirement of case-to-case basis approval as I had said earlier.

The proposed changes are consistent, I would say, with the current economic environment; and the present shift from a merit based regulatory regime to a disclosure based regime is a welcome step.

The Law Commission of India had, in its 17th Report, recommended amendment of Section 20 and deletion of provision of securities that had become obsolete as I had said earlier.

The Employees Provident Fund Organisation, the EPFO, had recently decided to park up to Rs. 5,000 crore in equity market this fiscal through Exchange Traded Funds, the ETF. This follows the Ministry of Labour's notifying the new investment pattern for EPFO in April allowing the body to invest a minimum of five per cent and up to 15 per cent of its funds in equity or equity related schemes. However, the EPFO management has decided to invest five per cent of its incremental deposits in ETFs only during the current fiscal. I would like to understand from the Government what are the other bodies which are going to invest in this, on which the Government is going to give permission.

With these words, I support the Bill that is being piloted today by the Government. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, भारतीय न्यास संशोधन विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान) सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है।

महोदय, भारत में कई ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक वैसे ही चलते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने उस वक्त की परिस्थिति को देखकर और उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, उसके आधार पर कानून बनाए थे। ...(व्यवधान) आज की स्थिति में उस कानून में सुधार करने की जरूरत है। ...(व्यवधान) ऐसा ही सुधार करने का काम इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय ने किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ...(व्यवधान)

महोदय, महाराष्ट्र में भी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1860 चल रहा है। वर्ष 1860 में बने उस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार जब आज काम करते हैं और उस एक्ट के अंतर्गत कोई भी संस्था रजिस्टर्ड की जाती है तो उससे कई मुसीबतें तैयार हो जाती हैं। ...(व्यवधान) उस एक्ट के तहत जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वह कोई सार्वजनिक कमेटी हो, चाहे वह संस्था हो, चाहे वह मन्दिर हो या चाहे अन्य कोई पब्लिक ट्रस्ट हो, उनके पास आज करोड़ों रूपए की सम्पत्ति जमा होती है। ...(व्यवधान) जैसे मुम्बई सिद्धि विनायक मंदिर है, शिरड़ी साईं मन्दिर है, अन्य कई मन्दिर हैं, अन्य कई ट्रस्ट हैं, जिनके पास करोड़ों रूपए की जायदाद वर्षों से वैसी की वैसी रहती है। ...(व्यवधान) उसका फायदा आम आदमी को पहुंचाने की जरूरत है। ...(व्यवधान) आज समाज में बहुत से मददगार हैं और समाज में ऐसे लोग भी हैं, जिनको जरूरत है, लेकिन सही वक्त पर फायदा इस ट्रस्ट की सम्पत्ति का और इस ट्रस्ट की जो बाकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए इन सारे ट्रस्टों पर सरकार का एक निर्बन्ध होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन होना चाहिए। खासकर, इस बिल में अच्छा प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान) कानून के हिसाब से जो संपत्ति उनके पास रहती है, अगर सही वक्त पर और सही कारण के लिए वे खर्च न करें तो सेक्शन - 20 को निकाल कर, उसमें दूसरा सुधार लाने की कोशिश की गयी है।...(व्यवधान) लेकिन सेक्शन - 20 निकालते समय सरकार ने इसका ध्यान दिया है।...(व्यवधान) जैसे उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर संविदा करने के लिए सक्षम है...(व्यवधान) उनके ट्रस्ट के पास जो संपत्ति है...(व्यवधान) जिस ट्रस्ट के पास बाकी की जो प्रॉपर्टी है।...(व्यवधान) ट्रस्ट के जो डायरैक्शंस हैं,

ट्रस्ट डीड में जो-जो लिखा हुआ है, अगर उस ट्रस्ट के पदाधिकारी उन्हें फुलफिल करने के लिए सक्षम हैं, उसके हिसाब से काम करने के लिए सक्षम हैं, तो उनके ऊपर इस विधेयक के माध्यम से कोई आपत्ति नहीं आनेवाली है।...(व्यवधान) यह शासन ने स्पष्ट किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान) इस विधेयक को मैं समर्थन देकर अपना विचार समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I stand here, on behalf of the Telugu Desam Party, to support this Bill which seeks to remove a lot of obsolete provisions of the parent Act. Whenever we talk about any Trust, we always get reminded of the Charitable Trust, Private Trust and money flowing from outside into a Trust. After that, there is embezzlement and siphoning off of the money into circulation. There are certain income-tax exemptions given to the money deposited in a Trust. That money needs to be investigated. From where is the money coming? Is it being invested with *bona fide* intention or *mala fide* intention? Unless this loophole is plugged, a Trust can become a haven of black-money and can be a parking place for black money. This is the first thing.

The second is that when they are investing in securities, bonds and other things, I have small suggestion to make to the hon. Minister that if the money can be used for the social sector spending, that will be good. India is a poor country, suffering from poverty, malnutrition and other things. Let the money be invested in the social sector schemes, poverty alleviation schemes and especially in the Railways. The Indian Railways is the one sector which is starving of funds. This money should be meaningfully invested into it instead of investing in debentures, bonds and other things.

Another thing which I would like to bring to your notice before I conclude is that let there be trust. Let there be public trust in the Trusts Act. There is no trust of the public in the Trusts Act because a lot of Trusts are getting a lot of bad name not only from the public, not only from other Charitable Trusts but also from others. There are so many investigating agencies which have investigated the activities of certain Trusts and came out with a lot of charge-sheets. So, please see to it that no such activity recurs, no such fraudulent means are used to misuse the Trusts Act.

With these words, I conclude. Jai Telugu Desam.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, at the very outset, I would like to say that it is a very small Bill but a very important Bill.

While piloting this Bill, the hon. Minister in his presentation has admitted that most of the relevant suggestions from the Standing Committee have already been accepted. It is a very welcome thing.

This Government is always looking for and the previous Government also was looking for the benefits of the corporates. They are interested in changing the old laws and favouring all the corporates of this country. If we go through the Bill which is placed before this House and the Upper House, we can find that normally it is helping all the corporates. This Bill seeks to amend section 20 and 20A of the Indian Trusts Act, 1882 to empower the Central Government to notify a class of securities, for the purpose of investing trust-money and it does away with the requirement of case to case approval by the Government of "any security, etc."

A very important thing is that previously you have the security from the Government itself. But we have to change the old system. At present no security is given by the Government. They are at the mercy of private companies. Private investors have given some alteration in regard to security of the trust money. They are at the mercy of private firm. Now, after the passage of this Bill, they would fully depend on them. Hence, I would like to request the Government to look into this aspect. If the trust money is kept somewhere, the ultimate security is provided by the Government itself.

We know about the rights, powers, disabilities, extension of trusts, nature and powers of trusts, the rights and liabilities of beneficiaries, and certain other obligations. This is meant not only for the big corporate and big people.

The Standing Committee has rightly made a recommendation to the effect to omit Section 20A. Section 20A gives the right not to permit the trust money for the use of the Railways or any Government Department or companies. That

Section is now omitted. It is a welcome step. Trust money should go to the public. Only then, it would be used for the development of the country, for the benefit of the country. Since 1882 Act came into being, a number of years have passed. There is a need to change the law but not to remove any provision from the existing law. There is a need not to harm any trust in our country. That is very much required, which the Government has noticed for the benefit of entrusting the people of the country. With these words, I conclude.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015 जो लाया गया है, मैं सरकार का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पहले मैं कहूंगा - अर्थम या अनर्थम या यदि वाचलम - अर्थ हमेशा अनर्थ को पैदा करता है जब वह कहीं न कहीं जाकर रुक जाता है। अम्बेडकर साहब की वह बात कि कानून जितना भी बेहतर हो, यदि कानून लागू करने वाला बेहतर इंसान नहीं होगा, ऊंचे मूल्यों के साथ जीने वाले लोग नहीं होंगे, नैतिक लोग नहीं होंगे, तो उस कानून का कोई मतलब नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि सारे कानून से पहले एक व्यक्ति के भीतर परचेजिंग पावर की जो क्षमता है, वित्त मंत्री जी, जब तक इस हिन्दुस्तान में किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में परचेजिंग पावर सीमित होगी, धन का संग्रह यदि एक व्यक्ति के पास होगा तो उसके पास दुनिया के किसी भी पद को खरीदने की क्षमता हो जाती है, चाहे वे देश के उच्चतम पदों पर आसीन या सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए लोग हों। धन जब एक व्यक्ति के पास होगा तो एक व्यक्ति दुनिया को खरीदने की अकूत क्षमता रखता है। इसीलिए सबसे पहले इस देश में एक व्यक्ति के हाथ में परचेजिंग पावर न हो।

<u>15.00 hours</u>

धन का विकेन्द्रीकरण हो, किसके पास कितना धन होना चाहिए यह निर्णय समाज के लोग करें, चाहे वह शिक्षक हों या चाहे बौद्धिक लोग हों, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के पास कितना धन हो इसका निर्णय समाज के लोग करें, …(व्यवधान) इसका निर्णय संविधान के मुताबिक हो, इस पर आपको कानून लाने के लिए सोचना होगा। आप कानून लेकर आए हैं। इस देश में जितने भी मंदिर, मठ और न्यास है, मंदिर की स्वतंत्रता के नाम पर, मस्जिद की स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरीके से अकूत संपत्ति जमा की गई है, …(व्यवधान) कहा जाता है कि इसको टच करेंगे तो प्रलय आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने मरने से पहले कहा था कि मेरे मरने के बाद कहीं भी मेरी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। …(व्यवधान) लेकिन उनके मरने के बाद बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगा कर धन संग्रह करने की कोशिश की गई है, शिरडी के साईं बाबा की जिन्दगी एक लकड़ी पर चली गई, लेकिन शिरडी के साईं बाबा को परोसकर पूंजीपति, उद्योगपति लोग अरबों-खरबों की संपत्ति चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं …(व्यवधान) अपने काले धन को जमा करके पूंजी बनाते हैं। …(व्यवधान) अस्पताल और स्कूल बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे रखे हैं। न्यास बनाकर अस्पताल और उद्योगपति लोग अकूत संपत्ति कमाते हैं। …(व्यवधान) आप अपोलो को देख लीजिए, आपने एक रुपये में अपोलो को जमीन दी और उनको गरीबों का इलाज करने के लिए कहा, …(व्यवधान) आपको भी पता है कि अरबों-खबरों की जमीन लेकर वहां पर एक भी गरीब आदमी का इलाज नहीं होता है, …(व्यवधान) इसी तरह से गंगाराम अस्पताल भी करता है। हिन्दुस्तान में उद्योगपतियों के हाथ में शिक्षण संस्थान और स्कूलों को दे

दिया गया है। वर्ष 1961 के बाद तरह-तरह के कानून बने हैं, ...(व्यवधान) आप इस कानून को पारदर्शी बनाना चाहते हैं। मेरे दो सुझाव हैं, जो मंदिर है, न्यास है या स्कूल की संपत्ति है या अस्पताल की संपत्ति है, इसे किसी भी कीमत पर एनजीओ द्वारा संचालित न होने देना चाहिए। एनजीओ का मतलब है, ...(व्यवधान) एनजीओ कैंसर के लिए हो, एनजीओ कुपोषण के लिए हो, एनजीओ का मकसद लोगों के लिए काम करना होना चाहिए। ...(व्यवधान) आप कालेधन की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कालाधन एनजीओज के पास है, ...(व्यवधान) मंदिर और मस्जिद के पास है, मठ के पास है। हिन्दुस्तान में जितने भी कालेधन हैं उसको निकालने के लिए मजबूत कानून लाने की जरूरत है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015. On behalf of my party I support this amendment. At the same time, I request the hon. Minister to see that the original Act, that is, the Indian Trusts Act, 1882 is repealed and a new Act enacted in its place. It is unfortunate that as per the clauses in the existing Act which dates back to 1882, the trust money has to be invested in promissory notes, debentures, stock and other securities of the United Kingdom. This Bill is deleting all these clauses. The Central Government is supposed to notify the class of securities for the purpose of investment of the Trust money by the trustees in such securities. It deletes the outdated and obsolete securities from the Act.… (*Interruptions*)

I support this Bill and request the Government to come with a fresh Act for the Indian Trusts Act in the coming days. Thank you.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Indian Trusts (Amendment) Bill. … (*Interruptions*)

The proposed legislation seeks to amend the Indian Trusts Act 1882 to remove the outdated provisions. It is surprising that many of the provisions that were introduced during the British Rule have not been repealed so far. The sole purpose of the Act brought by the then British Regime was to introduce the English concept of legal and equitable ownership in estates in order to recognize the vested interests of the large body of domiciled Europeans.… (*Interruptions*)

The Amendment will help the trustee to invest money of the Trust in Government securities in case the Trust property consists of funds which cannot be used immediately for the purpose of the Trust. At the same time, it is a welcome step to provide a greater autonomy and flexibility to such trustee to take decisions on investment of Trust money based on their assessment of the risk-return trade off. It would be consistent with the current economic environment and the present shift from a merit based regulatory regime to a disclosure based regulatory regime.… (*Interruptions*)

However, it has to be ensured that there is risk of mitigation as required for protecting the interest of the beneficiaries of Trusts following the proposal to ease the investment norms.… (*Interruptions*) The objectivity of the Trust should fall within the definition of charitable norms.… (*Interruptions*)

Income of the Trust should be applied and tax registration certificate should be obtained. Income tax return of the Trusts should be filed regularly and if there is any irregularity, the Trust concerned should be derecognized. … (*Interruptions*)

Foreign contribution received by a particular Trust should have the Government clearance. All these accounts should be properly audited by a Chartered Accountant and timeframe should be stipulated for obtaining the consent of the beneficiary for investing the Trust money.… (*Interruptions*)

The authorities concerned should frequently monitor that the Trusts are not engaged in commercial activities.… (*Interruptions*)

There is need of constant monitoring of the Trusts/NGOs as it has been seen that these violate the norms especially with regard to financial dealings.

Sir, our Party, YSRCP supports this Amendment Bill. With this, I conclude. Thank you very much.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 2015 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां हम ट्रस्ट की बात करते हैं, तो हमारे देश में एक अहम हिस्सा, चाहे वह चेरिटेबल ट्रस्ट का हो या अन्य ट्रस्टों का हो, उनके माध्यम से सोशल सर्विस के कार्य होते हैं। मंत्री जी ने अपने भाषण में डिसक्राइब किया कि कई कुनीतियां भी इसमें हैं। जब बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश राज हमारे देश में था, तब उस समय के भी कई कानून इसमें लागू हैं। हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के तहत आज भी देश में पोर्ट ऑफ कराची, रंगून, म्युनिसिपैलिटीज ऑफ प्रैजीडेंसी आदि के शेयर्स, डिबेंचर्स लेकर बैठे हैं। मेरा यह मानना है कि यह सरकार द्वारा एक अच्छी शुरुआत है। मगर दूसरी ओर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप ट्रस्ट में अमेंडमैंट की बात करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आज हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कारपोरेट सैक्टर है, वह भी अपनी फैक्टरियों के सीएसआर को सामाजिक कार्यों में न लगाने की बजाय ट्रस्ट के माध्यम से दूसरे उपयोगों में लेने का काम करता है। आज जब हम चेरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं, तो उसका मुख्य कारण यही रहता है कि उससे सोसायटी का विकास हो। मगर जब ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर का पैसा यूटीलाइज होने लगता है, तो लोग उसे अपने मनपसंद कामों में लगाने लग जाते हैं। समाज में लोगों का फ्री इलाज होना चाहिए, उनके लिए ट्रस्ट पैसा नहीं लगाते हैं। जहां एजुकेशन की बात है, वहां पैसा नहीं लगाते, समाज के विकास में पैसा नहीं लगाते हैं। मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 20 और 20ए में अमेंडमेंट की बात बहुत सराहनीय है। लेकिन इसके साथ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में भी अमेंडमेंट लाना होगा ताकि इसके माध्यम से हर ट्रस्ट अपना ब्यौरा सरकार को दे। सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से चेरिटेबल एक्टिविटीज का उपयोग करता है, यह देखें।

इसमें एक अहम चीज सीएसआर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी एमपीलैड यूटिलाइज करना है, उसी तरह कारपोरेट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपना सीएसआर यूटिलाइज करे। कारपोरेट्स क्या करते हैं? वे ट्रस्ट में पैसा डालकर और गतिविधियों में इसे यूटिलाइज करते हैं। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इस पर रैगुलर मानिटरिंग कर ट्रस्ट पर कार्रवाई करे।

जहां तक आर्टिकल 20 और 20ए अमेंडमेंट की बात है, मैं अपनी ओर से इन अमेंडमेंट्स का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकार इस एक्ट में और अमेंडमेंट्स लाएगी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे भारतीय न्यास (संशोधन) 2015 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 बहुत ही पुराना एक्ट है और इस 133 साल पुराने कानून को आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार धारा 20 और 20क में संशोधन करने का प्रस्ताव लेकर आई है। विधि आयोग भी इसे अपनी रिपोर्ट में हटाने और संशोधित करने की सिफारिश कर चुका है। मैं भी मानता हूं कि किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी को अपने पूंजी के निवेश का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए और उसे किन -किन शेयरों और डिबेन्चरों में पूंजी निवेश करनी है, इसके लिए बार-बार मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके माध्यम से अब निजी ट्रस्टों के साथ-साथ सरकारी पेंशन फंड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी अधिक फायदा और रिटर्न देने वाले शेयरों में निवेश करने के लिए अधिक स्वतंत्र एवं अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। यह देखा जा रहा है कि दूसरे देशों की संस्थाएं अपने फंड्स को भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर अधिक रिटर्न पा रही हैं तो अपने देश के निजी और सरकारी ट्रस्ट को भी समानता का अधिकार होना ही चाहिए। किंतु मेरा एक सुझाव है कि आए दिन इस तरह के निवेश में घोटाले की बातें आती रहती हैं। अतः इस नियमन में एक सशक्त निगरानी तंत्र की व्यवस्था भी हो जिससे किसी एक अधिकारी को मनमानी करने का स्वतंत्र अधिकार न हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम मुख्य ट्रस्टी के साथ कोई भी निर्णय लेने के लिए दो अन्य ट्रस्टी से भी सलाह-मशविरा करने और उनका भी अनुमोदन करने का अधिकार हो। विशेषकर सरकारी ट्रस्ट, पेंशन फंड और ईपीएफओ में तो कतई नहीं एक व्यक्ति के पास निवेश करने का पूर्ण अधिकार हो क्योंकि एकाधिकार और निरंकुशता ही घोटालों में संलिप्त होने के लिए रास्ता प्रदान कर देती है।

अतः इस बिंदु पर सरकार अवश्य विचार कर उचित नियमन संशोधन में करे।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you very much Deputy Speaker, Sir, for allowing me to participate in this debate on the Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015.

It is well-known that this will be a small step in the entire reform process that the Government of India aims to bring about. In so far as that is concerned, my Party, the Sikkim Democratic Front Party, supports this amendment fully.

We also understand that in view of the old legislation, we are bringing in reforms in a manner in which on the supply side we are able to invest in a new class of investments which has not been stated. But, I think, through notification from time to time, these classes of products will be approved by the Government. … (*Interruptions*) Insofar as that is concerned, we have no objection. I think, with the changing financial products that are there in the country, this is well understood and it is well deserved. … (*Interruptions*)

I would only like to bring to the notice of the House that as has been stated by many Members from different parties, there is a need for an overarching Act which will encompass several types of Acts that are in motion. This means that we need to somehow bring all these different Acts which today govern different charities of the country into one umbrella so that we are able to better secure the way in which these are regulated. … (*Interruptions*)

Before I close, Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to seek a clarification from the hon. Minister whether this Bill, after its passing, would impinge on Article 371 (f) of the Constitution, which governs the State of Sikkim. … (*Interruptions*) I would like to know whether the old laws within the State of Sikkim which regulate some of our Trusts and Charities would be impacted by this. I would seek this clarification from the hon. Minister. … (*Interruptions*)

Thank you.

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस के सदस्य यह आग्रह कर रहे हैं कि उनके सदस्यों की तबीयत खराब हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि उनके सदस्यों की तबीयत खराब हो।…(व्यवधान) इसलिए वे अपने स्थान पर जाकर बैठें। …(व्यवधान) सदन की कार्यवाही चलने दें, पानी की व्यवस्था की जाए और सदन की कार्यवाही चले और हम लोग बहस का काम जारी रखें।…(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the hon. Minister.

SHRI JAYANT SINHA: Hon. Deputy-Speaker, Sir, we have had an excellent discussion on the Indian Trusts (Amendment) Bill. Many learned Members have spoken on this Bill and, I think, from the Treasury Benches we are very pleased that almost all learned hon. Members who spoke are in support of this Bill.

Most of the questions and comments that have come up tend to focus on the broader question of the Trusts, and I will come to them but the way that this amendment that is set up, is set up in a narrow way. … (*Interruptions*)

The hon. Members should know that as far as the Finance Ministry is concerned, our responsibility and our scope of administration are restricted to Section 20. Therefore, because it is restricted to Section 20, that is what we have tried to address, and we have, of course, replaced the obsolete Section 20 and brought in a modern day interpretation of how this should be done. … (*Interruptions*) So, that is how we have done it. The rights and liabilities of the Trustee are well laid out in the Indian Trusts Act. … (*Interruptions*) Some Members who were concerned about the provisions being misused should rest assured that it is laid out in considerable detail. … (*Interruptions*)

Now, as far as the broader question about these multiple overlapping Acts, particularly those that pertain to Public Trusts and the beneficiaries in the permanent religious charitable trusts, is concerned, it is under consideration of the Law Commission right now. … (*Interruptions*) We have already moved to improve the Indian Trusts Act as it is right now. I am sure that as we work in repealing and amending some of these obsolete laws, we will try and bring some sanity to all of these Trusts as well.

With that, I will commend this Bill to this House and ask for the support of the House to pass this Bill. … (*Interruptions*)

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Indian Trusts Act, 1882, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury -- Not Present.

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir…… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKAER: Do you want to say something?

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the House is not in order; and then you want a Member to speak! How is it possible? Please pass the Bill… (*Interruptions*) This will not be allowed. You first put the House in order… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premchandran

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar.

… (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, we demand Division… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

15.22 hours

SATATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS ORDINANCE, 2015
AND
COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS BILL, 2015

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item No. 17 and 18 together.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister, Shri Sadananda Gowda.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the constitution of Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division in the High Courts for adjudicating commercial disputes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government under its consideration is providing a mechanism to ensure speedy and fair disposal of 'commercial disputes', especially of high value involving complex facts and questions of law.

Accepting the recommendations of the Law Commission made in the 253rd Report, a Bill, namely, the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015 was introduced in the Rajya Sabha on 24th April, 2015 and was referred to the Department Related

Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. As provided in the said Bill, all the suits, appeals or applications related to commercial dispute of specified value, that is, one crore or above, are to be dealt with by the Commercial Court or the Commercial Division of the High Court… (*Interruptions*) All these things are mentioned here.

So, I commend that it may be taken up for consideration… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the constitution of Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division in the High Courts for adjudicating commercial disputes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, the hon. Minister, Shri Sadananda Gowda has moved the Bill. But there is a very important pending issue on the Discussion of Drought. So, we would kindly request you to start the Discussion on Drought, now and we will continue with the Bill, which has been introduced by Shri Sadananda Gowda later… (*Interruptions*)

Hon. Deputy-Speaker, Sir, this Bill has been put up for consideration and passing by the hon. Minister. But since there is a very important discussion listed on drought, we kindly request you to start the discussion on drought because the whole country, all the farmers are wanting to hear this. So, this discussion on drought should start now… (*Interruptions*)

Sir, we will also request you that the House should be brought in order. If the Congress Members want to participate, they should go back to their seats and participate in the discussion. We have no problem… (*Interruptions*)

15.24 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193
Drought situation in various parts of the Country

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up discussion under Rule 193 on drought.

… (*Interruptions*)

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir, I want to raise a point… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: If it is regarding discussion under Rule 193, you may say.

SHRI TARIQ ANWAR: Sir, I am demanding division on the Bill… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No. That is already over.

SHRI TARIQ ANWAR: Why not?… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: That item is already over.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Sanjay Jadhav.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Hon. Deputy Speaker Sir, we have great concern for all the Members. We have been requesting the hon. Members to go back to their seat because this discussion was initiated by Shri Jyotiraditya Scindia and in all earnest, he spoke about drought. But we are learning that among the hon. Members who are in the well of the House, one of the Members is actually not feeling well. The BJP – the NDA Government has a lot of concern for hon. Members. If he is actually not well and if the Chair feels that the hon. Member who is standing in the well of the House is not keeping well, then please adjourn the House for fifteen minutes. Get him examined by the doctor and then, we can convene the House after fifteen minutes because we are very considerate.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 p.m.

15.29 hours

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

DISCUSSION UNDER RULE 193

Drought situation in various parts of the Country....Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Discussion under Rule 193 is continuing now.

Shri Sanjay Haribhau Jadhav to speak.

… (*Interruptions*)

16.01 hours

(At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

***SHRI SANJAY HARIBHAU JADHAV (PARBHANI):** Hon'ble Deputy Speaker Sir, thank you, while talking about the suicide committed by farmers of Maharashtra, what kind of problems they have to face?, how they are suffering, we know it very well. They are constantly facing drought conditions. They have to purchase costly seeds, pesticides and fertilizers. Their earnings are meager. If we compare the farming expenditure and earnings, we would know how worthless it is. Moreover farmer has no fodder to feed his cattles and no water to drink. The ground water level had gone down and it has become very difficult to get water from the ground even after boring upto 200-400 feet down. We have to find the reasons behind it. This current drought is harsher than the one in 1972. In 1972 drought was confined only to shortage of foodgrains but, the present one has brought the scarcity of fodder and water too. To take stock of the situation, State and Central Government send their representatives but even after that the farmers did not get any assistance and this is the tragedy. I feel proud to inform you that our Shivsena Chief Uddhav ji Thakre has helped these distressed farmers of drought affected areas financially and in this way he tried to help them to survive.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

It shows that Shivsena Party has social consciousness. The Central and State Government ordered to allot loans to farmers but the farmers do not get loans. The loans had to be reassessed and that is also not done. The reimbursement against the crop insurance was to be given but that is also not done. If some amount was to be released but that was also adjusted in loan amount. These farmers are living in distress and nobody is taking care of them.

There is no balance between the expenses and income from the crop like cotton, soyabean, grapes and sugarcane. It has to be maintained. The grape farmers were badly affected by hailstorm. Hence I would like to request Hon'ble Agriculture Minister to provide nets to protect grape farms by giving subsidy. But possibly he is not ready to take stand in this regard. We are also ready to help the farmers with open heart and always try to minimize the relief and rehabilitation package. That should be done.

The Government has fixed 60:40 ratio under MNREGA scheme for the skilled and unskilled labourers. The Government has undertaken the irrigation works in view of this drought conditions but there is basic difference between irrigation work and other works. If needs steel, cement, metal, sand etc. in large scale and hence Government has to change the criterion for these kind of works. If the Government change the ratio as 51:49 then these works would be definitely improved. It would also help the farmers to become self reliant. If we really want to enhance the ground water level, we should undertake more and more water conservation programmes on priority basis. This will give some relief to the drought affected farmers. The State Government in co-operation with Central Government has started a new scheme to provide food grains like 3 kg wheat at the rate of Rs. 2 and 2 kg rice at the rate of Rs. 3. But it is really very unfortunate that the farmers are not getting the benefits of this scheme. By stopping the intervention of middlemen, we should focus on providing the food grains to the needy and distressed farmers and this is my second demand to you, Sir.

When it comes to provide monetary benefits to the State and Central Government employees through the pay commissions we never bother it does not happen in the case of farmers. We know the plight of the farmers very well. We always keep on saying that we are children of farmers but we forget everything when it comes to help poor and needy farmers. Hence, it is my request to all the members present in this House to come forward to help these farmers to survive. If we cannot do justice to these farmers, we would have no right to call ourselves the savior of the farmers.

Hence, I would like to request the Government to make some concrete measures. Government should also implement the report of Dr. Swaminathan Commission. If we accept the rate list recommended by the Commission that would be very helpful for the survival of farmers. Moreover loans of the farmers must be waived off. Earlier the loan waiver scheme was launched but only the rich farmers got benefitted out of it and the poor, needy and meagre land holders were left out. If we really want to help the dry land farmers and common farmers, we should waive off the loans of these farmers because there is no alternative. Day before yesterday, one High Court also made adverse comments on the stand taken by the Government in this regard. Government is aggravating the sufferings of farmers and this is very unfortunate and tragic. Approximately 550 farmers have committed suicide in Maharashtra. In Marathwada region, around 1000 farmers have committed suicide. Out of that, 283 farmers in Beed district, 175 in Nanded, 145 in Osmanabad and 77 in my Parbhani district have committed suicide. Hence, it is my firm opinion that the loans of farmers should be waived off urgently and recommendations of Swaminathan Commission should be implemented on priority basis. Lastly, I would like to reiterate that if we really want to be savior of the farmers, these steps must be taken immediately. It is needed badly to take some concrete measures in this regard without delay.

In our country the businessmen, traders, Government servants are living happily but only our farmers are bound to face hardships. Only farmers commit suicide because they are dependent on nature.

This House is regarded as House of Justice and if we fail to do justice to our farmers, they would not forgive us. Central Government, State Government and even Chief Minister has ordered to provide loans to needy farmers but the bank officers are not giving loans. In this way, these farmers are helpless. They even did not get the reimbursement for crop insurance because banks deducted it against the loans taken by them. There is lack of co-ordination among the State Government, Central Government, bank officers and the Government employees. These erring officials should be punished. They are deliberately harassing the poor farmers. Only declaring the schemes is not sufficient. Implementation should also be ensured. If we are not ready to help the poor and distressed farmers, we have not right to call ourselves the true representatives of the farmers and the poor people of the country.

I would like to thank you for giving me an opportunity to speak. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bharat.

*__SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI):__ I thank Hon. Deputy Speaker for allowing me to speak in my mother tongue Tamil. I thank my beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Dr. Puratchithalaivi Amma whom I worship everyday. In a vast country like India with different climatic conditions, in some parts there is a severe drought due to monsoon failure and in some parts there are incessant rains resulting in flood in floods and devastation. At times, the natural disasters ranging from flood to droughts affect several parts of our country. Although there are several factors attributed to this to this, the main reason being the perennial rivers and riverine systems of our country are not nationalised and interlinked. On one side States like Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan are affected by drought and on the other side Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal are affected by heavy rains. Due to the cyclonic storm and low pressure trough, the agricultural land is fully devastated resulting in crop loss and agony of the farmers. Rivers which fulfil the water needs are the main natural resources of our country. During monsoon season, these rivers are flooded with water damaging crops and agricultural land. In summer due to monsoon failure, these rain-fed rivers become dry and cause extreme drought like situation very badly affecting agriculture. Many rivers flow across the length and breadth of the country. Agriculture is affected by either excess rains or a drought like situation. Debt-ridden farmers are forced to take the extreme step of committing suicide.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has stressed the need for nationalization of rivers and to expedite the project of interlinking of rivers, especially the rivers of South India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has urged upon the Union Government that through the linking of rivers, both floods and drought may well be tackled and managed.

Rivers like Cauvery, Palar, Periyar are the main water resources of Tamil Nadu. The Centre world is aware of the legal struggles undertaken by Hon. Chief

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma to get water for irrigation in Tamil Nadu from the neighbouring States and in restoring the rights of the State over water.

People of Tamil Nadu fondly call Puratchithalaivi Amma as *Kaveri Thaai* as Amma has restored the rights of Tamil Nadu over Cauvery river water sharing. The entire world calls Puratchithalaivi Amma as Modern Pennycuick for the victory achieved in increasing the height of water level stored in Mulllai Periyar dam up to 142 feet after a legal battle the Hon. Supreme Court.

In order to get the requisite Cauvery Water from Karnataka that is due to Tamil Nadu as per the Orders of Hon. Supreme Court, Hon. Puratchithalaivi Amma has been stressing upon the Union Government for immediately setting up the Cauvery Management Board. I urge that the Union Government should immediately do the necessary in this regard. While increasing the height of water storage in Mullai Periyar Dam upto 142 feet, the dam's safety should be ensured through deployment of Central Industrial Security Force. Rivers are the national and natural resources and for judicial sharing of water between the States to meet the demand of irrigation, all the rivers are to be nationalized.

All the national rivers should be interlinked. Particularly only when the rivers of South India are linked, there could be river water sharing without any dispute.

If the rivers are nationalized, their management will remain with the Union Government. So that the water dispute between the States will come to an end. Water deficit States may also have an opportunity to get water from the States which have water in excess. There should be national waterways for this purpose.

Similar to power distribution to different States as per their demand through grids, Union Government should make urgent efforts to distribute through national water channels.

Sixty percent of people of our country are dependent on agriculture and agriculture related industry. The thing that always bothers the minds of our farmers is to whether they would get water for irrigation or not?

I once again urge that in order to mitigate the sorrows and suffering of the farmers of our country, the Union Government should frame a national river water policy, besides nationalization of all the rivers. National water channels should be formed and judicial sharing of river water between the States should be ensured.

Although the Union Government has several crop insurance schemes for the welfare of farmers affected by drought and floods, it is very saddening to note that the farmers are not completely benefitted through these schemes. Union Government should ensure that all the farmers including small and marginal farmers are benefitted. Assessment of damages to crops due to floods and drought should be followed by immediate relief. Union Government should take necessary steps to ensure that the benefits of government crop insurance schemes reach the farmers.

In order to alleviate the sufferings of drought affected farmers, after meticulous assessment of crop loss and damages, they should be provided immediate compensation. Once the compensation is fixed, the Union Government should not make unnecessary delays. Union Government should not add fuel to the fire. After crop losses, small and marginal farmers may not be in a position to sow again and continue their agricultural activities. Farmers face hardships in buying seeds, fertilizers, insecticides, agricultural equipment with least financial resources. So after the compensation package is announced the Union Government should not make delay for months together which may put small and marginal farmers in extreme distress. Farmers are even forced to a situation where they are unable to repay their bank loans. I urge the compensation for crop losses should not be delayed at any cost and should be released immediately. Moreover, the agricultural loans along with interest should be waived off to bring the life of drought affected farmers back to normalcy.

I once again urge upon the Union Government to light the lamp in the lives of farmers affected by floods and drought. Recent rains and floods in Chennai and adjoining districts of Tamil Nadu have caused huge spread devastation to standing crops. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has been providing compensation to the flood affected farmers after assessment of damage to their crops. I urge the Union Government should be immediately release funds from the Union as compensation package to the flood affected farmers of Tamil Nadu. I also urge that the rivers of the country should be brought under the control and domain of the Union. Besides, work relating to interlinking of rivers should be expedited which can pay way for efficient water sharing between the States of the Country. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Those who want to lay their written speeches on the Table of the House are permitted to do so. The written speeches can be laid on the Table of the House.

[*]**SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR):** Thank you, Deputy Speaker Sir for giving me this opportunity to speak on drought situation in the country. Sir, farmers of Anantpur district are fully dependant on ground nut cultivation and drought is a regular occurrence in this district. Drought follows us like a shadow and watches our agony. Sir, today farmers are clueless and they do not know that what will happen after sowing. Farmers wonder, when will there be rains? When can they level their fields? When can they sow seeds? Even if they sow seeds, they are not sure whether they will get rains. Such is the gravity of the situation. In the last 15 years, drought was declared in Anantpur district for 12 years, and this is the only such district to be declared so.

In such a scenario, we should be concerned about how farmers would survive and continue with agriculture? How farmers can repay their loans? It is the responsibility of the Government to protect the interests of farming community of the district. If Governments do not come forward, farmers will not be in a position to carry out farming activities. Even if they sow one year, they are apprehensive next year. In Anantpur district, ground nut is cultivated in 20 lakh acres, but this year it got reduced to 4 lakh acres only. The main reason for this situation is, farmers are not sure whether there will be rains? Whether they will get back money spent on seeds? Whether they will be pushed to debt trap? In such a scenario, where farmers are clueless about their future, we should be concerned about their revival. Sir, we buy seeds, we buy fertilizers and prepare our field for sowing. After all these preparations, when we don't get rains, we are compelled to sell seeds and fertilizers. Even if we go ahead with sowing, due to shortage of rainfall, we see partial sprouting of our seeds. This is what farmers in my district

[*] English translation of the speech originally delivered in Telugu.

go through every year due to severe drought. It is the responsibility of the Government to rescue farmers from distress. Due to fear of loss, farmers are cultivating only 10 lakh acres instead of 20 lakh acres of land.

Sir, the Government of the day is responsible if farmers are living in a sense of fear and would not like to continue with farming. Such a situation is a bad omen for country. The Government should come forward and assure farmers of its support against any loss farmers may incur. There is a need to instill a sense of confidence amongst farmers, only then, they will be encouraged to continue with agriculture. But, I feel that Government is not making such efforts in this direction and I request the Government to initiate such measures.

Sir, this year when we went ahead with farming and when we were expecting whatever little returns, 20 days spell of rain, ruined our crops. Rain waters could not be accumulated in ponds nor could sink into the soil. I request the Government to save Anantpur and Rayalseema districts from these losses and adversities.

Sir, our leader Shri N. Chandra Babu Naidu is taking up, long pending projects of inter-linking of rivers. It was said that inter-linking of rivers can be the only solution to provide water for Rayalseema region. Our leader is making efforts in this direction to ensure availability of water in all parts of Rayalseema. In this regard, I request the Central Government to support and supplement efforts of Shri N. Chandra Babu Naidu, so that inter-linking of rivers could be expedited. If inter-linking of rivers could be realized, farmers of Anantpur would perform pooja to photographs of State and Central Governments in their homes.

Sir, in this context, I would like to refer to climate insurance plan that was brought by UPA Government by farmers. The policy did not do any good to our farmers, therefore, I request the Government to scrap that insurance plan and essential changes may be made to bring an insurance plan which can compensate all losses that are incurred by a farmer. Till the time such a policy comes into force, farmers cannot survive in my district. Compensation paid to the farmers is

less than the premium they pay for insurance. Therefore, changes may be made to the insurance plan to cover all the agricultural losses. Similarly, post-harvest losses are not being compensated citing rules. Therefore, I request the Government to take measures to cover pre-harvest as well as post-harvest losses. Any loss at any stage of farming should be covered and Government cannot ignore such losses. Earlier, we used to harvest ground nut crop in four months but now due to fear we are not sure of assured production. In such a scenario, Government should come forward to instill sense of courage in farmers. The Government should assure farmers that all the crop loss will adequately compensated. I request the Government to take such initiatives. With this request, I conclude. Thank you.

*श्री प्रतापराव जाधव (बुलढ़ाणा): मेरे गृहराज्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ एवं विदर्भ इलाकों में चार सालों से लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है और खेतों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों को कड़ी मेहनत के बाद उनके खेतों में उत्पादन एवं पैदावार कम हो रही है जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई है और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं।

सूखे की स्थिति से किसानों की आर्थिक हालत इतनी गम्भीर हो चुकी है कि नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि किसानों के बच्चे भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अभी हाल ही में लातूर में एक बच्ची को बस पास के पैसे नहीं मिले तो उसने आत्महत्या कर ली और दूसरी और अकोला में एक स्कूल बच्चे को उनके किसान पिता स्कूल की ड्रैस और स्कूली किताबें नहीं दिला सका तो उस बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली। निःसन्देह यह किसानों के संबंध में एक गम्भीर बात है, जिसका समाधान किसानों के हित में जल्द किया जाए।

सरकार को किसानों को इस भीषण समस्या से उबारने एवं निकालने के लिए गहनता के साथ सोचना होगा। किसान देश का अन्नदाता है और देश के लिए वे अन्न उपजाने का काम करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया में भारत की छवि एक कृषि प्रधान देश के रूप में पहचानी जाती है अगर यहां के किसानों की हालत कमजोर होगी तो दुनिया में भारत की बदनामी होगी। देश में 70 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर है और देश तेजी के साथ आर्थिक विकास और प्रगति कर रहा है। दूसरी ओर भारत में किसान आत्महत्या करे यह एक बहुत चिंता का विषय एवं शर्म की बात है।

देश में कई सालों से प्राकृतिक आपदा की मार खाते-खाते भारतीय किसान पूरी तरह से टूट चुका है देश में कभी सूखा, कभी बाढ़ एवं कभी कम बरसात जैसी समस्या अब आम बात हो चुकी है और भारत में रहने वाले किसान इन प्राकृतिक आपदाओं से थक चुका है। इस संबंध में सरकार को नये सिरे से इसके समाधान ढूंने होंगे लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसानों के हित में एवं किसानों को इन प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए जो कानून बनाये गए हैं और जो प्रयास किए गए हैं उनसे इन समस्याओं के समाधान में सरकार को विशेष सफलता नहीं मिली है

---

*Speech was laid on the Table.

इस तरह से देश के किसानों को एक और आसमानी मार और दूसरी ओर सुल्तानी मार झेलनी पड़ रही है।

सूखे की समस्या पर नियम 193 के तहत मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विकास एवं किसान हित में कृषि बजट अलग से लाया जाए, जिस तरह से रेल बजट लाया जाता है। इससे कृषि क्षेत्र में गहनता से विचार होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी। भारत में कृषि ही एक साधन है जिससे देश के अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और अधिकांश परिवार कृषि जीविका से अपना लालन-पालन कर रहे हैं।

देश में किसानों के संबंध में जो कानून बनाए हुए हैं उनमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। जैसे कि मनरेगा देश का एक कार्यक्रम है जिसके तहत ईस्टीमेट रेश्यो के आधार देश के 40 प्रतिशत कुशल मजदूरों को और 60 प्रतिशत अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता है और रोजगार नहीं मिलने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। देश के किसान मजदूरों को 365 दिन अपने खेतों में रोजगार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा अंतर्गत जो मजदूर किसानों के खेत में काम करते हैं उनको 100 दिन की मजदूरी किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूरों को दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत 40 प्रतिशत कुशल मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसके स्थान पर गांवों में खेतों को पानी देने के लिए जो छोटे-छोटे तालाब बनाये गए हैं, जहां पर बरसात का पानी एकत्र किया जाता है परन्तु देखा गया है इस बरसात के पानी को मिट्टी सोख लेती है इसके लिए छोटे-छोटे तालाब में यह मिट्टी पानी को न सोखे इसके लिए इन छोटे तालाबें के लिए प्लास्टिक खरीदी जानी चाहिए जिससे तालाब के पानी को मिट्टी सोख न सके।

देश में जिन खाद्यानों के दाम बढ़ते हैं तो सरकार उसका निर्यात शुल्क बढ़ा देती हैं और उनका निर्यात बंद कर देती है ओर जिन खाद्यानों के दाम बढ़े हैं उनका आयात करती है परन्तु यह आयात किसानों की नई फसल के आने के बाद भी जारी रहता है और निर्यात पर प्रतिबंध रहता है जिससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। देश में आवश्यकता है कि खाद्यानों के निर्यात और आयात नीति में परिवर्तन किया जाए।

देश में किसानों के ऊपर अरबों रूपए का कर्ज है और यह कर्जा समय के साथ बढ़ रहा है और छोटे किसान देश में बार-बार प्राकृतिक आपदा के कारण अपने कर्जों को समय पर नहीं चुका पाता है, जिसके कारण देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस संबंध में देश के सभी किसानों के कर्जे माफ किए जाए और उन्हें उऋणमुक्त किया जाए।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों की गम्भीर हालत को देखते हुए किसानों को उऋणमुक्त किया जाए। आयात-निर्यात नीति में किसानों के हित में बदलाव किया जाए, किसानों के संबंध में बने पुराने कानूनों में समय पर समस्याओं के समाधान करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जाए और देश के मनरेगा कार्यक्रम को किसानों के हित में बनाया जाए जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

*__श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):__ एक कहावत है कि बाढ़ में किसान जीता है लकिन सूखे में जीते जी मर जाता है यह कहावत आज पूरे देश पर लागू हो रही है। आज देश के अनेक हिस्से भयंकर सूखे की चपेट में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जून जुलाई के महीने में काफी बारिश हुई जिससे अनेक जगहों पर तबाही हुई सड़कें टूट गयी। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मुस्तैदी दिखाने से किसी व्यक्ति की जान की हानि नहीं हुई लेकिन सम्पत्तियों का काफी नुकसान हुआ। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। किसानों की फसल बर्बाद हो यही। माउंट आबू में हजारों पर्यटक फंस गए। लगातार भयंकर वर्षा होने से गांव एवं गांव एवं कटाव एवं पानी के भराव से कट गए एवं गरीब लोगों के मकान ढह गए व पानी के तेज ढाणियां, खेत खलिन, पशु एवं किसानों की सारी फसलें बाढ़ से तबाह हो गई तथा खेत जलमग्न हो गए। रास्ते जमीन के कटाव एवं पानी के भराव से कट गए एवं गरीब लोगों के मकान ढह गए व पानी के तेज बहाव से खेत उल्ट पुल्ट हो गए तथा कई किसानों के दुधारू एवं पालतू पशु भी पानी में बह गए। किसानों की खड़ी फसल चौपट हो गई तथा लोगों के घरों में रखे कीमती सामान पानी के साथ बह गए। साथ ही किसानों के कमाने का स्त्रोत (कुंए, हैंडपंप, बोरिंग) भी ध्वस्त हो गए। कई लोग बेघर हो गए जो अभी भी खुले में बैठे है। अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ से गरीब किसानों के दाना, खाना, चारा जैसी तमाम चीजें पानी के साथ बह गई एवं खराब हो गई। क्षेत्र में 31 जुलाई 2015 तक औसतन 796 एमएम बारिश दर्ज की गई। पूर्व में लगभग 70 वर्षों में इतनी भारी बारिश नहीं हुई थी।

इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से उभरे ही नहीं कि क्षेत्र में उसके बाद दूसरी बारिश न होने के कारण पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया। क्षेत्र में कहीं पर भी न तो पशुओं के लिए चारा (घास, फूंस, बाजारा, गवार) है, और न ही लोगों के खाने के लिए अनाज है। अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ के कारण हजारों हैक्टेयर वर्षाती फसल पूर्णतः नष्ट हो गई एवं शेष फसलें दूसरी बारिश के अभाव में सूख कर जल गई। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की वर्षा के अभाव में 65 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हो गई है, जुलाई के बाद एक दिन भी बारिश नहीं हुई जिससे अकाल की स्थिति बन गई है। जमीन की नमी कम हो गई। बाजरे की फसल बारिश के अभाव में

*Speech was laid on the Table.

पूरी तरह से सूख गई, यह कुदरत की विडम्बना है कि बारिश की मार से किसान अभी संभला भी नहीं था कि अब बढ़ी तपिश ने अन्नदाता के आंसू भी सुखा दिए हैं।

उसके बाद तापमान में बढ़ी तपिश से जमीन की नमी गायब हो गई है। इसके चलते बाजरे में नुकसान उठाने के बाद अब किसान सरसों फसल की भी बुवाई समय पर नहीं कर पा रहा है। क्षेत्र में बारिश कम होने व तापमान बढ़ने से बाजरा भी कटने से पहले ही सूखने लगा था। इससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। बाजरे के बाद सरसों की फसलों में पैदावार की आस लगाए बैठे किसानों के अरमानों पर बढ़े हुए तापमान व जमीन की गायब हुई नमी ने पानी फेर दिया है। बुवाई का समय निकल रहा है, लेकिन किसान एक बारिश का इंतजार करते रह गए जिससे बुवाई देरी से हुई तो सरसों में पकने के समय तापमान बढ़ने से नुकसान की आशंका बलवती हो जाएगी। इस तरह हमारे क्षेत्र का किसान इस वर्ष बाढ़ व सूखा दोनों की मार झेल रहा है। आज पूरा विश्व इस मौसम की मार व मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहा हैं। ग्लोबलवार्मिंग से भारत सहित सारा विश्व परेशान है आज हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता जता चुके हैं। सभी को मिलकर इससे बचने का तरीका निकालना होगा। आज जरूरत है समय की मांग है कि पुराने जल के स्रोतों को फिर से जिंदा किया जाए।

मेरा मानना है बरसात के पानी को नदियों में जाने से रोकना चाहिए। नदियों का पानी समुद्र में जाने से रोकना चाहिए। आज चारों तरफ कांकरीट का जंगल खड़ा हो रहा है जिससे भूमि का भूजल गिरता जा रहा है। भूजल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में तालाब का विकास किया जाना चाहिए। पहले हमारे संस्कृति में बावडिया बनाने का रिवाज रहा है। गांवों में बरसात के पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता था। आज हम इन बातों को भूल गये हैं। इसी का ही नतीजा है कि हमें मौसम की दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है।

आज मेरे क्षेत्र सिरोही में अनेक बावडियां हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। वही राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू पेयजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। पेयजल के लिए यह जरूरी है कि पहाड़ों के पानी को वहीं पर रोका जाए। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की अहम पेयजल समस्या के एकमात्र निदान के लिए सालगांव परियोजना तीन दशक पूर्व आरंभ की गई थी। तीन दशक बीतने के बाद यहां की आबादी एयरफोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ होस्टल में अध्ययनरत स्कूली बच्चों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक देश और विदेश से

पर्यटक भी आते हैं। प्रतिवर्ष जिनमें लगभग दो लाख की संख्या की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान समय में शहर की जलापूर्ति के लिए पीएचडी के पास अपर कोदरा बांध व लोअर कोदरा बांध ही उपलब्ध हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग 41 एमसीएफटी जलभंडारण क्षमता उपलब्ध है। जबकि वर्तमान में शहर की जलापूर्ति की आवश्यकता कम से कम 112 एमसीएफटी की है। यदि बारिश समय पर नहीं होती है तो जलसंकट गहरा हो जाता है। माउंट आबू में भूमिगत पानी का भयंकर अभाव है। जिससे कुंए व हैंडपंप आदि भी पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर रह जाती है। जिससे पेयजल संकट और गहरा जाता है ऐसी स्थिति में भविष्य में माउंट आबू को खाली करने जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं।

सिरोही जिले की पेयजल के लिए गाम देलदर तहसील आबूरोड में बत्तीसा नाला बांध परियोजना प्रस्तावित हैं। परियोजना का प्रारंभिक सर्वे कार्य किया गया जिसके तहत परियोजना हेतु 659.53 मि.घ.फु. पानी उपलब्ध है। जिसमें से 573.18 मि.घ.फु. पानी का उपयोग किया जा सकता है। सिरोही जिला में 500 मि.घ.फु. पेयजल के लिए चाहिए। बांध के बन जाने से हमारे सिरोही जिला की पेयजल व सिंचाई की समस्या का समाधान हो जायेगा।

हमारे संसदीय क्षेत्र में माही नदी का पानी जालोर सिरोही नागरिकों को सुलभ कराने की महत्वकांक्षी योजना 25 साल से कागजों में दफन है ऐसे में आमजन के साथ ही भूमिपत्रों की उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। दरअसल वर्ष 1966 में राजस्थान व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनुरूप माही परियोजना की कयावाद शुरू हुई। इसके बाद गुजरात सरकार ने राज्य को पानी की आवश्यकता का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया। बाद में समझौता कमेटी के जरिए इस पर सहमति बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1988 में आखिर बार इस पर मंथन किया गया। इसके बाद से यह परियोजना कागजों में दफन है। परियोजना के तहत बांसवाड़ा से सुंग बनाकर जालोर सिरोही बाडमेर के अनेक गांवों को माही नदी से पानी दिया जा सकता है। परियोजना को माही क्रोसिंग पर अनास पिकवियर व चैनल के जरिए डूंगरपुर जिले के टिमरूआ गांव के पास माही नदी से शुरू कर जालोर के बागोडा उपखंड अंतर्गत बिशाला गांव तक प्रस्तावित किया जा सकता है। योजना से समांतर 5.94 लाख एवं 7.11 लाख एकड़ भूमि को लिफ्ट से सिंचित किया जाना प्रस्तावित था। माही बजाज परियोजना की खोसला कमेटी एवं राजस्थान-गुजरात समझौते के

अनुसार पानी की मात्रा 40 टीएमसी है। निष्पादित अनुबंध के अनुसार गुजरात राज्य से राजस्थान में उपयोग के लिए सहमति प्राप्त करने एवं इस जल उपयोग के माही बेसिन मास्टर प्लान का कार्य राज्य सरकार स्तर पर नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी नई दिल्ली को आबंटित किया हुआ है। जालोर सिरोही जिले में कम वर्षा के चलते एवं गिरते भू-जल स्तर से पूरा जिला डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। गिरते भू-जल स्तर के स्थाई समाधान व जिले को हरा भरा बनाने के लिए माही बांध की वर्षों पुरानी प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।

सिरोही क्षेत्र में अनेक पहाड़ी और प्राकृतिक नाले है इन सबका संरक्षण करने की आवश्यकता है। पहाड़ों के नीचे व ढलान पर चैक डैम का निर्माण कर बरसात का पानी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है जिससे भूजल के स्तर को उपर ला सकते हैं। इन उपायों से हम मौसम की दोहरे मार से बच सकते हैं। सिरोही जिले के पेयजल व सिंचाई के लिए 200 करोड़ रूपये के अतिरिक्त विशेष पैकेज तथा सूखे से लड़ने के लिए किसानों को पूरी फसल का मुआवजा दिया जाए।

*[*] **श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ):** हाल के दिनों में भारत में कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा जैसी समस्याओं एवं आर्थिक संकट की स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सूखे की स्थिति से निजात पाना अत्यंत ही आवश्यक है।

पिछले एक दशक के दौरान भारत में सूखे से कई राज्य प्रभावित हुए हैं इन सूखे से निपटने के लिए हमें जितना अधिक प्रयास हो, करना चाहिए। सरकार ने भी देश के कई हिस्से जो सूखे से प्रभावित हुए है उनकी अधिकारिक तौर पर घोषणा की है। आज भी हमारे देश में कृषि की सिंचाई का 50 प्रतिशत हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है, जिसके कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। इस कारण हमारे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आई है।

सूखा से सिर्फ हमारा खाद्यान उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता, अपितु सूखे की वजह से हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन भी प्रभावित होता है। इन सब से निजात पाने का एक ही तरीका है। सिंचाई के संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाने की जरूरत है। आज भी भारतीय कृषि मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा जल कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूखा खरीफ फसलों को प्रभावित करता है और भारत के चावल की उपज के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश की खाद्य सुरक्षा में सूखा भी एक तरह से खतरा है क्योंकि इस समय देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सूखे की घटना से फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की कमी और असुरक्षा, गरीबों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। खाद्यान की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति भी एक गंभीर समस्या है। इस तरह की एक गंभीर स्थिति में सरकार को व्यापार संतुलन पर कोई समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पहले अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर अमेरिका से गेहूं का आयात किया गया था, जिसे हमने अमेरिका के शर्तो के आधार पर किया था, इसका परिणाम हम जानते हैं।

अतः सूखे के प्रभाव और स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी लंबित परियोजनाएं हैं उनको शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है और इसके निर्माण हेतु राशि शीघ्र आबंटित की जाए। इसी क्रम में, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की निम्नलिखित

[*] Speech was laid on the Table.

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता है, जिसमें तहसील भदेसर के लुहारिया बांध में फीडर का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। इससे इस क्षेत्र के आस पास के लोगों को सिंचाई एवं पीने का पानी मिल सकेगा। कनेरा घाटा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के रेन का नाका बांध का निर्माण, तहसील बेंगू के उमरचा बांध का निर्माण कार्य होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, नाहरगढ़ के बांध की मजबूतीकरण का कार्य भी अति आवश्यक है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के तहसील मावली के बागोलिया बांध में वर्षा कम होने से बांध काफी समय से भर नहीं पा रहा है। इसके लिए उदय सागर झील से पानी अपरिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस कार्य के हो जाने से क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए सुविधा मिलेगी।

अंत में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सूखे के प्रभाव से बचने के लिए सिर्फ सरकार की पहल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण हमारी स्वयं की पहल है। अगर हम अपने आप कोशिश करते हैं और जल संचयन और बचत कर पानी का संरक्षण करेंगे, केवल तभी हम इस सूखे के चोट से हम पर होने वाले आर्थिक नुकसान और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सक्षम होंगे।

[*]**डा. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की चिंताजनक स्थिति पर अपना वक्तव्य रखने की अनुमति प्रदान की।

यों तो देश के कई भागों में इस वर्ष सूखे का प्रभाव देखा गया है परन्तु कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्य बुरी तरह से इसकी चपेट में आए हैं। मैं राज्य सभा में माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य देख रहा था जहां पर उन्होंने देश में वर्ष 2014 में 12,360 कृषिकों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के हवाले से दी हैं। यह सर्वविदित है कि स्वाधीनता के 67 साल बीत जाने पर भी आज हम किसानों को वह स्थान नहीं दिला पाए जिसके कि वे अधिकारी थे। आज देश का किसान अपने पुरूषार्थ के बल पर पोषण करने वाला दर-दर की ठाकरें खाने को मजबूर हैं। आज जहां हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं वहीं हम अपने अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएं हैं।

देश का कृषि क्षेत्र लगभग 370 बिलियन डॉलर यानी 250 लाख करोड़ रूपये का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे देश के 15 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं इसके अतिरिक्त, देश के करोड़ों लोग इस क्षेत्र में परोक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र हमारे लिए इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष एक करोड़ नए युवाओं को हमें रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती है। 67 वर्षों की आजादी के उपरांत भी आज देश में कृषि क्षेत्र का 60 प्रतिशत भू-भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है।

मेरा मानना है कि क्लाइमेंट चेंज अर्थात् मौसम परिवर्तन के कारण हम देश में सूखा, व्यापक वर्षा, बाढ़ और कई प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहे हैं। यह चिंतनीय विषय है कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 1990-2010 तक भारत का कार्बन उत्सर्जन 0.8 से 1.7 मीट्रिक टन हो गया। भारत ने वचनबद्धता की है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा।

---

[*]Speech was laid on the Table.

जलवायु परिवर्तन का खतरा एक गंभीर वैश्विक चिन्ता है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन असंदिग्ध है।

मैं इस विषय में सरकार को कुछ प्रभावी अनुकूलन कार्यनीतियों का सुझाव देना चाहता हूं :- आपदा प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, कृषकों को बीमा सहायता, कृषि भूमि उपयोग, प्रबंधन में परिवर्तन, वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रम का विकास, जल उपयोग का मापन, जल उपयोग प्रबंधन में नीतिगत सुधार आदि।

मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में देश आज मौसम परिवर्तन से निपटने की महत्वपूर्ण रणनीति लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। मौसम नीति विश्लेषकों ने जहाँ भारत के इन कदमों की सराहना की, वहीं आशा प्रकट की है कि भारत 2030 तक अपने कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन को 35 प्रतिशत से घटा पाने में सफल होगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु अगले दशक में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने की महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह एक सराहनीय कदम है।

अगर दृष्टिपात करें तो पिछले दशकों से देश के विभिन्न भूभागों में विनाशकारी सूखे की स्थिति पैदा हो रही है या प्रलयंकारी अतिवृष्टि से हजारों लोग अपनी जान गवां रहे हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती बन गयी है। इस चुनौती से निपटने के लिए जहाँ कुछ प्रयास किए गए हैं परन्तु समस्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। मेरा तो यह मानना है कि यह शुरूआत भर है। अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य में और भी भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी। जहाँ पर एक ओर भयंकर बढ़ते प्रदूषण से मात्र पिछले दशक में वैश्विक रूप से तापमान 0.6 सैल्सियस तक बढ़ा है वहीं इसके प्रभाव से ग्लेशियरों (हिमखंडों) के पिघलने का खतरा भी काफी बढ़ा है। समुद्री सतह से बढ़ोतरी, प्राकृतिक समुद्र के तटों का कटाव होने का खतरा बना हुआ है। लगातार तापमान वृद्धि और बर्फ पिछलने से एक बड़े भू-भाग के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा प्राकृतिक, परिस्थिति की संतुलन, जल चक्र, पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इस असंतुलन की वजह से कहीं अत्यधिक सूखा या कहीं पर अतिवृष्टि होती है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए कहा ओर

मैं उद्धृत करता हूँ- ''मानसूून पर हमारी निर्भरता के कारण वैश्विक मौसम परिवर्तन हमारे लिए सर्वोच्च संकट है।

मैं सूखे से बचाव के लिए कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँः-

मैं कई बार सदन में अपने उद्बोधनों के माध्यम से मांग करता आया हूँ कि देश में मौसम संबंधी आकलन/जानकारी/अनुमान अपने कृषकों तक पहुंचाने के लिए हमें आधुनिक एवं उच्चतम किस्म की प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना चाहिए वहीं दूसरी ओर हमें इन सभी अनुमानों को अपने कृषक भाइयों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि दूर संवेदन उपग्रहों और प्रयोगशालाओं का हमारा ज्ञान केवल फाइलों, रिपोर्टों में न सिमटकर सही मायने में हमारे खेतों तक पहुंचे। दुर्भाग्य से अभी यह जानकारी हम अपने कृषि वर्ग तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

यह अत्यन्त दुखद है कि देश में कृषि विश्वविद्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित है। देश में 54 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान स्थापित हैं परन्तु अपने हित धारकों तक यह शोध या महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में हमारी भारी असफलता को प्रकट करता है। कृषकों को अपने खेतों के मृदा परीक्षण के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। जब तक उन्हें अपनी भूमि की गुणवत्ता की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वे सही फसलों का चयन कर पाने में असमर्थ रहेंगे।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि मिट्टी की नमी को कायम रखने हेतु हमें उसमें आर्गेनिक पदार्थों को डालना होगा इससे कम वर्षा की स्थिति में भी मोटे अनाजों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। मैं हिमालय के क्षत्र से आता हूँ और वहाँ पर वर्षा की कमी होते हुए भी हम सफलतापर्वूक मंडुवा, दालों, मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं। सिक्किम जैसे हिमालीय राज्य ने 100 प्रतिशत आर्गेनिक प्रान्त के रूप में अपने को स्थापित कर सूखे से निपटने में काफी हद तक सफलता पायी है।

दुर्भाग्य से हमारे देश में स्वाधीनता के 67 साल बीत जाने पर भी किसानों की घोर उपेक्षा हुई है। अपना तन-मन समर्पित कर हमारे किसान भाई हमारा भरण-पोषण का जिम्मा उठाते हैं वहीं हम उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं! जहाँ जौं, दालें, तिलहन की

खेती का परामर्श किसानों को देना चाहिए वहीं हम बीटी कॉटन, गन्ने के उत्पादन की गलती करते हैं। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों में फसलों पर हुए नुकसान से हमारे किसान भाई आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं हिमालय क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हमारे गाँव के गाँव पलायन की मार झेल रहे हैं। आज वहाँ के किसानों को सब्जी, फल, मशरूम, फ्लोरीकल्चर, जड़ी बूटी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मौजूदा सरकारी तंत्र पूरी तरह से इस कार्य में विफल रहा है।

जून माह में मौसम विभाग ने देश में कम वर्षा की भविष्यवाणी की थी। पहले विभाग ने 93 प्रतिशत कम वर्षा का आकलन किया फिर नए आकलन को दोबारा जारी करते हुए 88 प्रतिशत वर्षा की बात कही गयी। इससे यह तो स्पष्ट था कि देश में सूखा पड़ना तय है और यह भी निश्चित रूप से कह सकते थे कि सूखा मध्यम स्तर का होगा परन्तु राज्यवार, जिलावार जानकारी का अभाव रहता है। आज देशव्यापी रूप में एक ऐसा तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ हमारे किसानों को उनके क्षेत्र विशेष की सारी मौसम संबंधी जानकारी समयबद्ध ढंग से मुहैया हो सके।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जहाँ एक ओर आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाएं वहीं जल संरक्षण को शीर्ष वरीयता देते हुए वाटर हारवेस्टिंग को घर-घर तक ले जाने की आवश्यकता है। वास्तविकता यह है कि आज भी देश का कृषक वाटर हारवेस्टिंग से अनभिज्ञ है।

हर वर्ष देश में सूखा पड़ता है। पिछले वर्ष 12 प्रतिशत से थोड़ा अधिक तो इस वर्ष 14 से 15 प्रतिशत भूभाग सूखे की चपेट में रहा। हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरे होते हैं, शिविर चलते हैं, बैठकें, समीक्षाएं होती हैं। हर साल सिंचाई, भूमि सुधार, वॉटरशेड, कृषि, तालाब, वॉटर रिचार्जिंग, ट्यूबवेल जैसे कामों के लिए राज्य में कई सौ करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं। इन योजनाओं से आखिर पानी क्यों नहीं ठहरता, समाधान क्यों नहीं निकलता? पानी को राकने की इन योजनाओं से सदिच्छा की ठोस दीवार नहीं है, बात यही है। फिर आर्थिक पैकेज का झुनझुना? क्या पैकेज की बारिश से सूखे से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी, सूखी जमीनों में हरकत हो पाएगी। बहुत साल पहले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन बता चुके हैं कि आखिर सूखा या अकाल जैसी विपदाएं संसाधनों के कुनियोजित और नीतियों के अकाल से आती हैं।

किसान क्या फसल बो रहा है, उसे क्या मदद हासिल है, इन सब बातों के अलावा इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि वह जल संसाधन से जुड़ा है अथवा नहीं? आखिर 67 साल की आजादी के बाद भी किसान के लिए पॉलिसी सपोर्ट क्यों नहीं है?

यह हमारी पर्वूवर्ती सरकारों की विचारहीनता है कि हम आज भी आंकड़ों पर विलाप करने में जुटे हैं। मैं विपक्ष के अपने बयान सुन रहा था, जो अपनी असफलता की कहानी जनतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में पूरे देश के सामने बयान कर रहे थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रभावी रणनीति सृजित कर समयबद्ध तरीके से उसे लागू करें। मैं इसे त्रासदी ही कहूँगा कि आज भी सरकार मात्र महाराष्ट्र राज्य में 300 करोड़ से अधिक रुपये केवल पानी टैंकरों पर व्यय हो रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान संस्थागत व्यवस्थापन नियोजन की कमियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। केदारनाथ में भी हमने देखा कि सभी नदियों के तटों पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए घर, होटल, लॉज एवं विभिन्न अवस्थापनाओं का विकास किया था। हमारे देश में दुर्भाग्य से चेतावनी व्यवस्था एवं चेतावनी प्रसारण के लिए व्यवस्थित एवं पद्धतिबद्ध प्रक्रिया का नितान्त अभाव है। केदारनाथ क्षेत्र की आपदा हो या कश्मीर की भीषण बाढ़ या उत्तरकाशी, चमोली का भूकंप रहा हो या अभी हाल की तमिलनाडु में आयी बाढ़, हर कहीं हमारी चेतावनी व्यवस्था सर्वथा विफल रही है। यह तो चेतावनी तंत्र था ही नहीं यदि था तो उसने कारगर काम नहीं किया और यदि किया भी तो हम संबंधित एजेन्सियों तक अपना संदेश पहुंचाने में विफल रहे। आज यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि हम अपनी चेतावनी व्यवस्था को सुद्ढ़, सशक्त, नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करें नहीं तो आपदाएं यो ही आएंगी और हजारों लाखों मासूम इन आपदाओं की बलि चढ़ते रहेंगे। यह भी आवश्यक है कि चेतावनी हम सभी तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा सकें।

सूखे की समस्या से निपटने के लिए जहां सरल और त्वरित उपाय अमल में लाए जा सकते हैं वहीं अधिकतर निरोधक उपाय काफी लम्बा समय लेते हैं। सूखे की समस्या का प्रभावी समाधान केन्द्र या राष्ट्रीय सरकार की दूरगामी नीतियों से ही संभव है। सूखे से निपटने के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला स्तर पर भूमि प्रबंधन एवं सिंचाई संबंधी योजना का सृजन और उसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है। भूमि और

उसके उपयोग तथा प्रबंधक सहायता हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी संवेदनशीलता के निर्णय व नीतियां मानव आबादी को प्रभावित करती हैं इसलिए निर्णय कठिन और संवेदनशील बन जाते हैं। सरकार और उसकी एजेन्सियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वे लोगों के दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। मानवीयता के आधार पर उसे दूर करने का प्रबंध करना चाहिए।

सूखे की स्थिति से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिवादन हेतु खाद्य एवं जल आपूर्ति औषधियों और स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यकता है।

सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी प्रभावित राज्यों विशेषकर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड को तुरन्त प्रभाव से अधिक से अधिक राहत देने की व्यवस्था करें ताकि हम अपने अन्नदाता को अत्यधिक मजबूरी में आत्महत्या जैसे गम्भीर कदम उठाने से रोक सकें। एक समृद्ध व श्रेष्ठ भारत का निर्माण तभी संभव है जब हमारे किसान समृद्ध होंगे।

उत्तराखंड में 13 में से 8 जिलों में कम वर्षा हुई। जहां प्रदेश में औसतन 959 मिलीमीटर वर्षा होती है। 800 के करीब वर्षा रिकार्ड की गयी। कम वर्षा का सर्वाधिक नुकसान ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों में देखा गया। उत्तराखंड में अधिकतर वन और वेस्टलैंड है। प्रदेश में मात्र 7.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है जिसका मात्र 45 प्रतिशत भाग भी सिंचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश को सूखे की भयंकर मार झेलनी पड़ी है। सूखे का यह असर मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखा गया। प्रदेश के तीन मैदानी जिले ही उत्पादकता का मुख्य आधार स्तंभ हैं।

प्रदेश में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और भरसार स्थित बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जाये और इन्हें नए विस्तार केन्द्र खोलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराये जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन विस्तार केन्द्रों के माध्यम से कृषकों से जीवंत

संवाद हो ताकि सूखे के समय फसलों का सही चयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कृषि में नयी प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के विषय में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

सरकार से मांग है कि उत्तराखंड में सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तथा प्रभावित किसानों को राहत सहायता तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाये।

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Drought cannot be confined to a single all –encompassing definition. It depends on differences in regions, needs and disciplinary perspectives. When rainfall in Libya, for instance, is less than 180 mm it can be described as a drought situation. However in Bali, a mere six days without rain can become a drought. The major drought years in India were 1877, 1899, 1918,1972,1987 and 2002. Large parts of the country perennially reel under recurring drought. Over 68% of India is vulnerable to drought. The chronically drought-prone areas around 33%-receive less than 750 mm of rainfall, while 35% classified as 'drought prone' receive rainfall of 750-1,125mm. The drought –prone areas of the country are confined to peninsular and western India-primarily arid, semiarid and sub-humid regions.

An analysis of 100 years of rainfall data reveals that the frequency of 'below-normal rainfall' in arid, semi-arid and sub-humid regions is 54-57%, while severe and rare droughts occurred once every eight to nine years in arid and semi-arid Zones. In these zones, rare droughts of severe intensity occurred once in 32 years, with almost every third year being a drought year. The earliest reference to drought and famine in India can be found in the Rig Veda, the Mahabharata the Jataka tales of Buddhists and Chanakya's Arthashastra.

Marwar (Jodhpur state) faced drought and famine form 1309 to 1313 AD during the reign of Rao Rajpal. Later, in 1570 AD, Emperor Akbar dug the Kukar Talao in Nagaur. Most parts of the country were ravaged by famine in 1783, remembered as chalisa. The famine of 1812-13 is referred to as panchkal. The 1848 famine led to mass migration from Ajmer in Rajasthan. The state was struck again in 1868-69, 1877-78, 1891-92 and 1899-1900.

Most major droughts in India have been followed by recession. Annual Gross Domestic product (GDP) growth was negative in 1957-58, 1965-66, 1972-73 and 1979-80. The 1990s, however, reveal a different picture, unlike in the '50s

---

* Speech was laid on the Table.

when a decline in agriculture had a significant bearing on both industrial and overall GDP.

The vagaries of nature do not affect the Indian economy as much as they once did. Drought-related shocks and their adverse effect on the economy were limited to a mere 1% of GDP in 2002-03 and today also. This can be explained by the fact that the share of agriculture in national income has gradually declined over the decades-from 57% in 1961 and 35% in 1987-88, to 22% in 2002. Even within the manufacturing sector, the share of agro-based industries has come down from 44% in 1961 to 11.4%in 2002.

Over the decades since independence, drought management in India amounted to 'crisis management,' a reactive approach to tackling disasters when they are already upon the nation. Ad-hoc man oeuvres were the order of the day with little reliance on a sturdy early warning mechanism that would help the country prepare for a drought.

This was true even in a country like the united States of America, which did not have a comprehensive, coordinated drought management regime in place till recently. It was only in the late-1990s that the USA started setting its house in order with the passing of the National Drought policy Act in 1998 that led to the creation of the National Drought Policy Commission. The commission subsequently conducted a national study/ survey and made Recommendations for a policy with 'preparedness' as its cornerstone. The guiding principle is - preparedness over insurance, insurance over relief and incentives over regulation.

Drought is a recurrent phenomenon in my state Jharkhand. It affects the livelihoods of the majority of its people, particularly tribals and Dalits living in rural areas. Eighteen of the 24 districts of the state, covering 43% of the total land area, are covered under the Drought Prone Areas Programme (DPAP). Hunger and starvation deaths are reported almost every year.

Jharkhand is one of the richest states in the country in terms of natural resources. However, the rate of growth in agriculture has been one of the slowest

in the country both in terms of production and productivity. Almost 90% of the cultivated area is mono cropped. Only 9% of the total cropped area is irrigated. Hence the rural population is very vulnerable to rainfall fluctuations.

The worst-affected are primitive tribal groups which historically are late entrants to settled cultivation and own land on hilly slopes with very low fertility. Tribals constitute around 26% of the total population of the state, and 93% of them live in rural areas.

Another group that is severely affected is the scheduled castes, primarily agricultural workers with very little land. Landless, marginal and small farmers reduce their consumption of cereals, pulses and other items. The consumption of irregular foods like khuddi (broken rice), wild roots, gethi, chakora sag, and other forest produce increases (in some areas people eat these even in normal times). People add more water to dilute the foodgrain. Jharkhand is one of the most food-insecure and malnourished states in the country. The situation becomes much worst when there is a drought.

A decrease in employment opportunity leads to a reduction in wages. People resort to the distress sale of assets, cattle and fuelwood and increase the frequency of trips to the forests for sustenance. The rate of interest on borrowings rises. Drought also increases health risks from malnutrition and unsafe drinking water. Medium and large farmers are unable to transplant paddy. The risk of cattle-grazing increases due to reduced social fencing. The crop becomes vulnerable to pests and termites and attack by wild animals that come close to habitation in search of water and food. Theft of standing crops increases. Decrease in the purchase of durable goods and clothes and postponement of social functions is reported. Drought management : Household, strategies as drought is a frequent phenomenon in Jharkhand, households, the state and civil organizations have evolved various strategies for coping before and after drought.

At the household level, the strategies adopted before drought include: Crop diversification/crop variety diversification, livelihood diversification, staggering of

seedling periods, early migration, keeping migration, keeping land fallow, limited re-sowing.

Strategies adopted after drought sets include: increased re-sowing if the rains come, shift to pulses on upland and medium-level land, early sowing of rabi-crop, providing irrigation to paddy seedlings. Transplantation of over-mature paddy seedlings to get straw for feeding animals, migration, asset depletion, borrowings, reduction in consumption.

In fragile zones and among the poorest households, reduction in consumption is the ultimate coping mechanism. When Jharkhand was part of Bihar, drought was not considered as major an issue as current floods in northern Bihar. After Jharkhand became a separate state, however, the Government's response to drought remains poor. The following issues need to be highlighted: Poor recognition of drought has two aspects -spatial (identifying areas with deficient rainfall) and temporal (identifying the time drought sets in). Recognition of drought according to these parameters has been unsatisfactory in Jharkhand.

At the start of the monsoon, weekly reports on crops coverage and rainfall should be prepared. However, due to lack of staff and infrastructure at the block level, the reporting is poor. Drought-prevention measures like promotion of watershed management and minor irrigation projects, restoration of lift irrigation schemes, wells and tanks and bench terracing have been promoted. The State Government has reorganized the Relief and Rehabilitation Department and a Disaster Management Wing. Drought-hit as the block staff could not work due to the pressure of Naxalites. This apart, the quality and need for reporting crop average has declined as land has become an insignificant source of revenue. Another problem is that rainfall variation within a block are not recognized. For example, people in Patamada village near the Dalma mountain claim they get less rainfall than the rest of the block. As the rainfall gauge is normally located at the block office such variation is undetected. While it may not be possible to have rain gauges in all villages, rainfall variations can be reported through local enquiries. In

August 2004, the whole of Jharkhand was declared drought-affected. Later there was good rainfall in some areas and crop coverage improved, whereas there was no improvement in the rest of the state. The official declaration of drought has not taken into account differences in severity. In any case, the severity of drought is fully known only after the winter paddy is harvested. But by then the political pressure to declare an area drought is reduced.

The declaration of drought has been ad hoc. At times drought is declared at the level of the blocks. Last year drought was declared at the panchayat level. Significantly, the State Directorate of Agriculture (DoA) does not have block-wise, let alone Panchayat-wise, data of crop coverage.

Delayed and inadequate action once drought is declared, emergency funds have to be requisitioned. However, in 2001, while drought was declared in the first week of August, the first installment of funds for the construction of wells in each panchayat was released only in October 2002. The purpose of providing immediate relief was defeated. Ten quintals of grain were allotted to each panchayat so that people do not die of starvation. However some block officials said that they did not have godowns to store the grain. Besides, they had directions only to store the grain, not distribute it!

There is also a time-lag between the planning and implementation of the DoA's relief package. Seeds distributed under the package reach block late; in some cases the seeds are not received at all. The allocation of funds for drought relief is inadequate and improper. For example, in 2004 the area-wise allocation of funds was based on population rather than severity of drought.

While it may not be possible to have rain gauges in all villages, rainfall variations can be reported through local enquiries.

Consultation with some top officials and some large NGOs, District and block officers and farmers are hardly consulted. Farmers meetings are held only after the plan is finalized. Recently some mechanisms have been put in place to talk to farmers about their immediate needs but these are at a rudimentary state.

*SHRI MULLAPPALY RAMCHANDRAN (VADAKARA): India is a country prone to natural calamities. The city of Chennai is reeling under unprecedented devastating flood which was not experienced in hundred years.

People are put to untold difficulties and many precious lives have preished in the fury of nature.

This august House had elaborately discussed the flood havoc in Tamil Nadu and the entire country expressed solidarity with the people of Chennai and neighbouring places.

While some parts of the country is suffering from flood havoc many of the States like Karnataka, Rajasthan, Odisha, Chattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra are undergoing trials and tribulations due to severe drought.

This is the second consecutive year that we are facing drought and such a situation existed in the year 1965-66 when there was huge scarcity of foodgrains.

The prophets of doom predicted that India would not be able to come out of the situation in the future and there would be perpetual food scarcity in India.

But the under dynamic leadership of late Prime Minister Smt. Indira Gandhi we could overcome the situation and the Green Revolution which started in the last part of 60s is a testimony to the resolute stand taken by the Government at that critical period.

The food Security Act was passed by this august House as a result of the self sufficiency we could achieve following the Green Revolution. It was a revolutionary step in the right direction and the country owes much to Smt. Indira Gandhi, Dr. M.S. Swaminathan the then Food and Agriculture Minister and Shri C. Subrahmaniam.

The country is now facing a situation which poses a grave challenge to the food security of our country.

---

* Speech was laid on the Table.

During the last more than one year the prices of essential commodities are spiraling and the staple food of ordinary Indians i.e. pulses is not within the reach of Aam Aadmi. It is from pulses the poor people of our country get nutrition and protein.

According to Government of India report nearly half of the country's 676 districts are in the grip of drought due to the deficient monsoon.

The farmers have already lost their Khariff crops (summer) due to shortage of rain. Now the Rabi crop is also going to be affected adversely.

Thousands of farmers have committed suicide due to crop failure and inability to repay the loans taken from banks and other agencies.

Never in the history of Independent India has such a large number of farmers suicide taken place in such a short span of one year and six months.

The entire nation is seized of the gravity of the drought and it is my earnest appeal to the Government to convene the meeting of the State Governments to chalk out an action plan to tide over the emergent situation.

Complacency and apathy, allegation and counter allegation will not take place us anywhere.

India was the second largest exporter of rice and we continued to be so even in a drought year. That was the resilience of our agricultural sector after green revolution. We are mainly obliged to our hardworking and resolute farmers for this spectacular achievement.

Shortage of monsoon doesn't hit the agricultural production alone. It will hit industry also. Textile, Jute, edible oils, sugar etc. are dependent on farm output for raw materials. Thousands of cattle also perished during drought and flood. Their condition is pathetic.

Our country is mostly depending upon rain fed cultivation. Vagaries of monsoon always play havoc with our destiny and we cannot afford to waste our time by indulging in blame game. What we require is prospective planning in

agricultural sector. What we want is a holistic approach covering all the states and regions of the country.

As we have taken the initiative to involve our scientists and experts in making our Green revolution a success we should also take the same resolution and initiative to involve our scientists, technocrats and planners in this exercise.

Weather always play hide and seek. India has witnessed vagaries of monsoons many times. Global warming and climate change is a matter of grave concern and we cannot afford to ignore this reality.

Every drop of water is precious and water conservation should be given top priority. Rain water harvesting is to be promoted in a bigger way. Instead of constructing big dams by destroying the ecology and environment of this country what we should practice is drip irrigation and check dams.

My state of Kerala has more than 40 rivers and without any break we get torrential rains during the south west monsoons. It is a tragedy that once the monsoon passes there is acute shortage of water in this state. All the river waters are flowing into the Arabian Sea. This is not something peculiar to Kerala alone. This is a case with many of our great rivers.

Water conservation is not an agenda on the items of many of the State Governments. Of late this Government is thinking of interlinking the rivers of our country. Scientists and experts say that such a step will not be in the right direction as it will be disastrous to change the natural course of the rivers as to do so will ultimately lead to their death. It also will destroy the precious ecology and environment of our country. What is required is not a cavalier but a most scientific approach to the problem.

To avoid want and poverty and consequently suicides in the drought affected areas Governments should provide for alternate employment opportunity in such states. Also allocation of more funds MGNREGA would go a long way in helping them tide over such situations.

Before I conclude I earnestly appeal to the Government to enable the farmers to get interest free loans for revival of agriculture process. The farmers should be provided seeds, fertilizers and other inputs at very subsidized rates. Government should gear up all the Ministries related to Food, Agriculture and National Disaster etc. as also alert the State Governments without any loss of time.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the very important subject of drought condition prevailing in the Telangana State.

As the House is aware, as many as 231 Mandals out of 438 Mandals in nine Districts are drought hit in Telangana State. The most common cause for drought is failure of rains. Acute scarcity of water leads to human misery in multiple forms. There is no food or fodder. Drinking water is scarce. Wells dry up. There is no water in the traditional tanks. Families move out of their homes to distant places in search of employment. Farmers are the first to suffer when the rain fails. They lose crops and are left with no fodder for their cattle. Repeatedly droughts cut down the value of the agricultural production. Insufficient market supply pushes up prices of grains making them beyond the reach of poor people.

Landless labourers, other persons from economically backward sections of the society and tribals who depend on the forest produce for their livelihood also suffer a lot in time of droughts. There is a fear that crime rate will be increase as experience suggests that whenever there have been droughts, the crime rate in the State has gone up, especially in the rural and internal areas.

The other social problem being witnessed on account of drought is increasing school drop-outs in Government schools in rural areas due to families migrating to urban areas. Telangana State is consisting of 10 districts and spread in an area of 1,12,000 square kilometres with a population of 350 lakhs. Telangana is an important State in nation's food production. For 35 million population, most of whom live in the rural areas, agriculture is the mainstay of their livelihood. About 69 per cent of the work force is depending on the agriculture and allied sectors. Small and marginal farmers constitute approximately 83 per cent of the total farmers in the State.

Due to non-receipt of sufficient rainfall and because of dry spells in the southwest monsoon, an extent of 12.23 lakh hectares of cropped area has been

damaged where the yields are reduced by more than 33 per cent of normal yields. Out of 12.23 lakh hectares, 11.06 lakh hectares belongs to small and marginal farmers and the remaining belongs to the other farmers. Monetary loss of agricultural production area affected 12.23 lakh hectares production loss is 12.48 lakh metric tonnes, value of production loss is 2123 crore, number of farmers affected is 21.91 lakhs. Input subsidy required is Rs 83 crore.

A drought-like situation is prevailing in most parts of Mahboobnagar, Medak, Nizamabad, Karimnagar and Ranga Reddy districts and a few parts of Nalgonda, Waranagal and Adilabad districts. In the just concluded kharif crop, the total sown area is 35 lakh hectares in Telangana which is equivalent to 85 per cent of the normal area of 41 lakh hectares. While 26 lakh hectares is sown under rain-fed conditions, the remaining 9.10 lakh hectares is under irrigated condition. Notwithstanding intermittent rains in five districts, the Government of Telangana has come to preliminary assessment that the rain-fed crops cultivated in over 10 lakh hectares in the Telangana State, this kharif season would pile on losses on the farming community, owing to the disastrous state caused by prolonged dry spells.

The problem would not be just about the loss suffered by the farming community in terms of amount spent on cultivation of the crops, but drinking water, fodder and wage employment would be the bigger issue. The statistics of the rainfall would not reflect the ground reality as the impact of the rain deficit will vary from area to area and crop to crop. By all means, production of foodgrains is likely to be affected badly since cultivation of paddy, which comprises more than 50 per cent that is about 10.59 lakh hectare of total foodgrains of 20.65 lakh hectares cultivation in kharif, is just about one-third that is 5.26 lakh hectares of normal extent till September first week and less than 50 per cent for the season. The officials of Telangana estimated that more than 3.5 lakh paddy cultivated this season was under borewells. Further cultivation of pulses was also down by about one lakh hectares.

Severe drought conditions for second consecutive year have led to crop failure, mounting debts, chronic unemployment and failure of MGNREGA scheme. MGNREGA's performance in 2014-15 has been dismal, with less than 30 per cent of the wages paid on time and each household provided work for only 40 days on an average forcing large scale exodus of farmers and others.

As per official estimates, Mahboobnagar tops the list with over 10 lakh rural population migrating to Hyderabad and Ranga Reddy districts in search of livelihood, followed by Medak district at 8 lakh, Nizamabd distict at 7 lakh and Adilabad at 5 lakhs. It is difficult to earn even Rs 100 per day in villages in drought conditions. राज्य सरकार ने इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सूखे को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। सबसे पहला काम मिशन काकडिया के नाम से लिया हुआ है। मिशन काकडिया में हमने हमारे राज्य की तरफ से 45 हजार से ज्यादा टैंकर्स डैवलपमेंट करने का, टैंकर्स विकास करने का काम लिया हुआ है, 45 हजार टैंकर्स डैवलपमेंट करने से आने वाले दिनों में हमारा 10 लाख एकड़ एरिया में इर्रीगेशन बढ़ने वाला है और पानी की समस्या भी कम होने वाली है।

इसके साथ-साथ ही जो फिशरीज़ है, जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन सभी लोगों को इसका फायदा होने वाला है। ये कार्यक्रम हमने सूखे को कंट्रोल करने के लिए किए हैं। उसके साथ-साथ हमने वाटर ग्रिड का एक बड़ा प्रोग्राम लिया है। उसमें हम लोगों ने एक लाख 26 हजार किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाकर बारह हजार गांवों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रोग्राम आने वाले तीन सालों में पूरा हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी इस स्कीम की सराहना की है।

इसके साथ-साथ हमने 'हरित धरा' में करीब 230 करोड़ रुपए झाड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए किए हैं। उसके लिए हमने 1140 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। हमारे राज्य के कृषि विभाग की तरफ से, हमारे सी.एम. साहब की तरफ से 35 लाख लोगों की हमने 17,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। उसके साथ-साथ 480 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी भी हमने माफ की है। हमने 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्प्रिंकल इर्रीगेशन के लिए दी हे। 250 करोड़ रुपए की ग्रीन हाउस सब्सिडी भी दी गयी है। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम चलाते आए हैं।

अन्त में, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि the total financial requirement to take up drought mitigation works and relief measures is Rs. 2,514 crore. … (*Interruptions*) For agriculture including assistance to small and marginal farmers and other farmers for irrigated and dry land cultivation is Rs. 863 crore. … (*Interruptions*) For rural water supply and sanitation, it is Rs. 102 crore; for urban water supply, Rs. 220 crore; for animal husbandry, it is Rs. 42 crore. … (*Interruptions*) For relief and employment, it is Rs. 369 crore and for gratuitous relief, it is Rs 916 crore. 2514 करोड़ रुपए की हमें जरूरत है। सभी मंत्रियों से मिलने के बाद उन्होंने ऐसा देने की बात की है। तीन दिन पहले केन्द्र की एक टीम भी वहां आकर इंस्पेक्शन कर चुकी है और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 2500 करोड़ रुपए में से कम से कम एक हजार करोड़ रुपए देकर हमारे किसानों को एक दिलासा दें। मैं आपके माध्यम से सरकार को यही बताना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।

*[*]**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) :** महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कई किसानों का परिवार खेती पर निर्भर है। चार बरस में सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में सूखे के कारण प्रभावित हुआ है। इसी कारण, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण जैसे इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहा है। 1995 से 2020 तक महाराष्ट्र में कुल 7 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, जबकि अकेले महाराष्ट्र में एक वर्ष में 5 हजार से जयादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2001 से 2014 के बीच कुल 17645 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस आत्महत्या का मुख्य कारण अकाल पड़ने से उनके ऊपर ऋण के बोझ का होना है। अपने ही शासन के कार्य काल में किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। यह एक दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में किसान केवल सूखे से ही प्रभावित नहीं, मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण कई बार ओले गिरने से और अचानक भारी बारिश होने से किसानों का नुकसान होता है और राज्य और केन्द्र से दी जाने वाली आर्थिक मदद समय से नहीं मिल पाता इन्हीं सभी कारणों से किसान कर्ज में डूब जाते हैं और आत्महत्या का शिकार होता है।

आज महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां सूखे के कारण लोगों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति नवम्बर दिसम्बर महीने में आगे चलकर क्या हो जायेगी, इसका अंदाजा सरकार करे।

सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने का काम जिस ढंग से होता है उसे बदलने की आवश्यकता है। सूखे के कारण किसानों की फसल को नुकसान की अतिशीघ्र भरपाई मिले।

सूखा प्रभावित सभी किसानों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षण देने की व्यवस्था की जाए और आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चों के शिक्षण के लिए सभी कोसर्स एवं उच्च शिक्षा तथा डिग्री तक ग्रामीण आरक्षण सभी महाविद्यालय में करने की मांग करता हूं। सूखे से निपटने के लिए मनरेगा के तहत ज्यादा राशि सूखा प्रभावित जिले में देने की मांग करता हूं।

---

[*]Speech was laid on the Table.

आखिर में सूखे के कारण हो रही किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से किसानों को केवल सहायता की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें धीरज और आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है ताकि किसान आत्महत्या न करे ।

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): In India nearly one sixth with around 12% of the population is drought affected, as they receive less annual rainfall. Irrigation Commission of India has identified almost 67 districts. Our country's drought areas can be divided from Ahmedabad to Kanpur and Kanpur to Jullundur, where the rainfall is even less than 40 mm; secondly eastern regions western ghats where also the rainfall is less than 750mm.

West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar and Orissa register drought by Meteorological Sub-Division in every 5 years. This occurs when the actual rainfall is normally less than the average. Bengal also consists of drought-hit districts like Purulia, Burdwan the rice-bowl of West Bengal, Malda, Hooghly, Bankura, Birghum and West Midnapore etc. These districts receive less than 30% normal rainfall, causing severe damage to Kharif crops. The State Government has to face additional financial burden by increasing Irrigation Subsidy. Crisis in drinking water and supply of vegetables prices rises.

Last week our Chief Minister sanctioned Rs. 50 crore for Purulia, drought affected district. There is a long pending demand of setting up of (CRIDA) Central Research Institute for Dryland Agriculture, in West Bengal, but the Central Government has so far not considered the request, I urge upon the Central Government and Agriculture Ministry to set up CRIDA in West Bengal and an announcement in 2016 Union Budget. CRIDA is so far only in Hyderabad.

The Central Government has also not considered the long pending requests of our Honourable Chief Minister for additional allotment of funds, special packages and distribution and resumption of social sector projects for people's welfare. The Central Government has also considerable reduced funds and subsidies. Crop insurance should be looked up by the Central Government.

I urge the Central Government to give attention for water harvesting, allot funds for drought management plan, aid for paddy seeds, mustard, maize etc. This will benefit the rainfall deficit districts.

* Speech was laid on the Table.

Therefore, an integrated planning approach, addressing regional climatic conditions, soil, natural vegetation, hydrology and topographical characteristics can help in agricultural and land use planning.

There should be some positive hope to the State, countrymen and farmers from this debate.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): At the outset, I express my sincere thanks to the Chair for allowing me to speak on the subject of drought, which is a matter of significant concern for our nation's economy and a serious issue in my constituency. … (*Interruptions*)

The constituency which I represent is a perennial drought-prone area affecting the people in all aspects of their lives leading to migration in search of livelihood.

Drought is not only a problem to the farmers and agricultural labour but also for the people managing the Indian economy. … (*Interruptions*) Drought is a social and economic epidemic resulting in a lot of farmers and agricultural labourers committing suicide.

The frequency of drought in our country is very high because of indiscriminate exploitation of river water. Through India is blessed with perennial rivers, we have not been able to direct the water by inter-connecting the rivers for agricultural purpose and letting the water into the sea. … (*Interruptions*)

The failure of monsoon is the major reason for the occurrence of drought as most of our agriculture is rainfed and directly dependent on monsoon. The impact of drought is not only on the agricultural economy but also on other sectors like industry, commerce, exports, etc. and even on the stock markets which are highly sensitive even to minor incidents taking place on day-to-day basis. … (*Interruptions*)

It is a great concern that the groundwater levels across the country are receding year on year, forcing the farmers to dig borewells deeper and deeper. This has a serious impact on the environment and natural resources. … (*Interruptions*)

India has just suffered two successive drought years. The ongoing drought in India has been among the most severe in recent memory. … (*Interruptions*) So

far, as many as 302 districts all over India have reported severest drought, many more are in the process of declaring drought.

Telangana and Rayalaseema districts have suffered severe drought during the last two years. Two hundred and thirty-one out of 443 *mandals* in Telangana have been declared drought-affected while in the case of Andhra Pradesh 196 *mandals* out of a total of 670 in the State in seven districts have been declared as drought affected. … (*Interruptions*)

Of the districts in Andhra Pradesh, the four Rayalaseema districts are the worst affected for the second consecutive year. In Chittoor, 39 out of 66 *mandals* have been affected; in Kadapa, it was 33 out of 51 *mandals*; in Anantapur, it was 39 out of 63 *mandals*; and in Kurnool, it was 40 out of 54 *mandals*.… (*Interruptions*) Recently, Chittoor, Kadapa and Nellore districts have suffered huge losses due to unprecedented rains.

In our State, even before a farmer has recovered from the effects of one drought, he is submerged by another natural calamity. The State Government has not been able to reach out to even one percent of the affected farmers. Whatever relief is provided is just a pittance. The farmers have to mostly fend for themselves and are getting debt trapped.

There have been unprecedented farmers' suicides during the last one year due to which the country's image is poorly projected. It is unfortunate that we are unable to provide confidence to our own farmers who stood by our country's food security. All the crop insurance schemes in vogue now have not covered even 15 per cent of the extent of agricultural land under cultivation in the country. Out of 198 million hectares of gross area sown in the country, only an extent of 25.69 million hectares is covered under various insurance schemes. There are complaints that these schemes are not very effective and claim settlement process is very cumbersome.

I would request the Government of India to appoint a high powered Committee to study the effectiveness of various relief and rehabilitation

programmes in the country so as to put in place very effective machinery to reach out to the last person affected in these calamities.

There should be a permanent mechanism to address drought and cyclone related problems. Presently, only 40 per cent of small and marginal farmers in the country have access to bank credit. The urgent need of the hour is to cover every acre of agricultural land under bank credit and crop insurance. The commercial banks have to play a proactive role by immediately considering the loan write offs in areas where the farmers are not responsible for the crop losses, and for whom the crop insurance is not available.

As it is, the farmers are under severe pressure with very low Minimum Support Price for their products and lack of timely procurement for their produce. It is time that we all rise to the occasion and address this serious issue affecting the majority of our population.

Thank you.

*KUMARI SHOBHA KRANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Karnataka and Maharashtra are worst affected by this year's sub-par monsoon. In North interior Karnataka, the deficit is 34%. Technically, 12 of Karnataka's 30 districts received deficient rainfall till September and two received scanty rainfall. Areas facing the most rainfall deficit include North interior Karnataka, Marathwada, Central Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab and Haryana.

More than half of India's crop area that lack assured irrigation depends on the June to September southwest monsoon. This year 2015 will be the second consecutive year of sub-par monsoon; it ended with a deficit of 12% last year, with some regions like Telangana, Marawada and Uttar Pradesh going through the second consecutive drought year.

Weather woes over the past year have aggravated farm distress by impacting production and income. Deficit rains in 2014 and unseasonal showers just ahead of the winter harvest in 2015 led to a 4.7% dip in foodgrain production, while agriculture growth rate nosedived to a poor 0.2% in 2014-15.

This year is unlikely to be any better with rain-fed crops like pulses, coarse grains, oilseeds alongside sugarcane and cotton likely to see a dent in production. An added worry is that reduced water levels in reservoirs and little moisture in the soil will spell trouble for the upcoming winter crop, for which sowing begins in October, 2015.

Of the last 12 years, Karnataka farmers have seen drought for almost eight years. But the current spell of drought is the worst since four decades and their condition is pathetic.

Last year, due to scanty rainfall sowing was possible in only 35 lakh hectares of the total target of 54 lakh hectares. In that 35 lakh hectares, seeds in about 16 lakh hectares were destroyed due to lack of rain for continuously four to six weeks. In about 19 lakh hectares, sowing was not possible. This year the spell of drought has continued in a much harsher way.

---

* Speech was laid on the Table

About 454 farmers have committed suicide for not being able to withstand the effect of the worst drought. Added to this is the vagaries of nature and the indifference of the Congress Government towards farmers.

Due to failure of monsoon following 40 per cent deficit in the rainfall, sowing has not touched even 30 per cent in most of taluks.

Ground water table has gone deeper alarmingly; open wells, bore-wells and lakes have dried up; farmers who took loans sown the seeds are helpless; cattle do not have fodder and drinking water; agricultural labourers and small farmers have started migrating towards cities as there is no work in the fields; farmers are unable to protect whatever that is left in their field.

The State Government has admitted that about 140 taluks are facing drought. More number of taluks are expected to be added to this list.

Karnataka farmers have demanded a comprehensive package to mitigate drought-related crisis in Karnataka. So far, the number of debt-ridden farmers, who have committed suicide, has crossed across Karnataka.

Karnataka is facing the drought in 44 years. While the State Government awaits Central Government aid to compensate for the damaged crops, the distressed farmers are left with no opinion but to commit suicide. The deficient monsoon has lead to serious water crisis and very little fodder for the cattle to survive in North Karnataka region.

The Karnataka Government has declared drought in 27 out of 30 districts as it received 35% deficient rainfall. There are177 taluks in Karnataka and the drought-hit districts are facing acute water shortage. According to reports, over 400 farmers suicides have been reported in Karnataka this year of which Gulbarga, Bidar, Raichur, Mandya and Yadgir are the worst affected. In Gulbarga district alone, 16 farmers have committed suicide in the last 2 months. (as on Sept 12, 2015)

The drought has also triggered a serious water crisis in the region. The water levels in reservoirs have decreased to alarmingly low levels. The weak

monsoon coupled with this crisis has affected fodder availability for cattle. Farmers don't have food for animals. Villages are getting water once in 8 days. Farmers don't have water neither for farming nor for drinking.

Karnataka Chief Minister led an all-party delegation to the Prime Minister to seek more relief funds in the wake of farmer suicides, unseasonal rains and drought like situation in certain parts of the State in the second week of August, 2015. The State, which suffered the worst drought in 44 years, had submitted a Memorandum to the Centre.

A high level Committee meeting chaired by Union Home Minister Rajnath Singh on November 7, 2015, approved Rs. 1,540 crore Central assistance to Karnataka, facing a severe drought. However, the State Government, which had sought a Rs. 3,830 crore relief, asked the Centre to release the rest immediately.

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Several parts of our country including my State of Odisha and more specifically my constituency of Balasore is a victim of drought.

As an immediate measure, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik has declared a number of measures for the farmers including input subsidy, interest subvention, moratorium on loan repayment etc.

Odisha Government has already submitted a Memorandum to release at least Rs. 1687 crore as the first installment for drought and the subsequent demands are in the pipeline. We request the Government of India to immediately release this amount of Rs. 1687 crore and see that we don't get similar treatment like Phailin demand, which is pending for over two years.

What we see today is NOT a case in isolation. Whether it is Chennai flood, or repeated drought, it is a part of a bigger problem. The World Bank has reported recently that a 2 degree Celcious increase in temperature will see India's food import bill getting doubled.

In the last 20 years, 90 per cent of natural calamities have happened due to temperature related problem. All these goes to suggest that we are in much bigger crisis. While it is important for the Government of India to address the current issue of drought including immediate release of Rs. 1687 crore, it must also have a "TASK FORCE" to address this menace arising out of climate change and have a road map for this serious issue.

---

* Speech was laid on the Table.

SHRI B.S. YEDIYURAPPA (SHIMOGA): Deputy-Speaker, Sir,I thank you for the opportunity given to speak in this august House at a time when Karnataka is facing severe drought.

Many Parliamentarians have touched this topic for the past one week. As updated by Hon. Agriculture Minister in Rajya Sabha on Dec 4th, 8 States have reported occurrence of drought on account of deficit rainfall in Kharif this year. Among these 8 States, Karnataka is the 3rd largely hit State, when it comes to the report submitted to the Centre from financial assistance point of view.

As per the latest analysis, our State is facing such severe drought for the first time compared to past 40 years. This reflects the alarming situation of scarcity conditions. I would like to place certain facts and figures pertaining to my State, since people are witnessing the history of frequent droughts during this year also.

Firstly, taking note of the poor monsoon conditions, the State Relief and Rehabilitation Department has announced, 136 taluks, which consists of 10,163 villages, out of 27 districts as drought hit taluks. Out of this, 1086 villages are hit severely and these villages are being provided with water through tankers. Few taluks of my own district Shimoga are listed among them.

There are approximately 1.30 crore cattle in our State. Even if we calculate fodder stock requirement of around 5 kilo per day, the daily requirement for the same, will be around 6.5 crore kilos. We must stock at least 250 lakh metric tonnes of fodder to maintain the *status quo* till May 2016. But recently, our State Government has confirmed that the current stock is of about 67 lakh tonnes, which may be sufficient for only next 14 weeks. This ill-fated situation has forced farmers, to sell their live stock which is worth for a lakh or more than a lakh for too little amount of couple of thousands, just because they cannot afford to maintain them anymore.

So far the State's agriculture output is around 28 lakh metric tonnes, as against State's plan to produce 140 lakh metric tonnes for the year 2015-16. Crops have been totally spoilt in around 33 lakh hectares of our agricultural lands.

Water levels in major 53 dams are reaching the lowest possible level, which was unseen in the past 15 years. Present water level is not even sufficient to meet the drinking water requirement till May 2016.

Access to electricity is one of the key pre-requisites for economic development. Since electricity consumption is directly linked to human development index, providing adequate electricity should be the top most priority. Our State has good hydro-electric power generation capacity of 3600 MW. But due to drought, power generation has failed.

According to the State's Power Load Generation Balance Report of 2015-16, Karnataka would face difficult times in the remaining months of the current year when it comes to power supply. During December and January, it will be 20.6 per cent followed by February, 21.5 per cent and March 24.7 per cent. During my tenure as Chief Minister, we had introduced a scheme to provide free electricity up to 10 HP IP sets for around 18 lakh farmers. We had spent around Rs. 2300 crore for the same. As per this policy, our farmers up to 10 HP IP sets, were supposed to get power for 7 hours each in 3 phases, but unfortunately current power supply has been limited to 2 -3 hours only.

It is most unfortunate that during 2015-16, so far about 846 farmers have taken the extreme step of committing suicide and out of 846 families, around 280 families have received the compensation of Rs.2 lakh each from our State Government so far, and others are pending for assessment.

Hope it would be appropriate to mention here that, I have lived for the cause of the farmers for the last 45 years. I have enjoyed the sufferings I underwent on account of my struggle for the cause of farmers; I have the satisfaction of working for the cause of our "Anna Daata" and tried framing best possible schemes exclusively for farmers, most of which are first of its kind in the country today.

With this experience, I state that, though NDA government, by breaking the previous legacy of prejudice, has treated Congress ruled State Karnataka on par

with other States, and sometimes provided better financial assistance than our neighbouring States, Karnataka Government is into blame game rather than speeding up flood relief activities.

The Centre Government is being blamed for their lethargic attitude on a daily basis. The committee formed by our State Government under the chairmanship of Dr M S Swaminathan a couple of months back to analyse the reasons, for alarming number of increase in farmers' suicides, is yet to meet to discuss in this regard. The outbreak of suicides by farmers continues even today, since our State Government is unable to face the multi- dimensional problems.

Though agriculture is a State subject, Centre has considered it as highly critical for the welfare of farmers & supplementing the efforts of the States very effectively. Through Prime Minister's mantra of "*SABKA SAATH, SABKA VIKAS*", Centre has never neglected Karnataka's needs. For the first time in the history of Karnataka, NDA Government has rushed to provide administrative approval to release Rs.1540 crores within 6 weeks from the date of submission of report to handle the drought situation. I take this opportunity to congratulate the hon. Agriculture Minister Sri Radha Mohan Singh ji for the same. Whereas, for the last 10 years, that is from 2004-05 to 2013- 14, UPA's financial assistance to our State during such contingency period of flood and drought was merely Rs. 5216.5 crore with an average of Rs. 521 crore per annum. So far, NDRF and SDRF have released 526.14 crores inclusive of State Government's share. In this, Rs. 192.50 crore has been allotted to compensate drought relief, Rs. 65.55 crore has been allocated towards previous year's input subsidy against crop failure and rest is towards related expenses. But as per the current data available, all the Districts have spent only Rs. 167 crore as against fund release of total Rs. 526.14 crore. There has been an enormous increase of financial assistance of Rs. 2,03,445.54 crore in the 14th Finance Commission to Karnataka, as against Rs. 74,375.36 crore funding in 13th the Finance commission. A sum of Rs.1770 crore is being transferred online every month to our State's treasury without any reminder. The

reason for presenting these well known facts again here is that responsible ruling Government in our State is repeatedly making Centre a scapegoat, when we insist on them to act quickly to recover from the drought situation in Karnataka. They continue to mention 4 - 5 schemes for which Central Government is not funding and they cite this as the main reason for their helplessness. They are continuing to blame BJP led NDA Government as if the BJP Government at the Centre is responsible for the current status of farmers, even after Congress ruled our country for more than 50 years. Though Central Government is fully committed to reversing the situation so that farmers are better cushioned against the impact of drought, yet I would like to conclude by making a few requests on behalf of the farmers.

As we all know, inflated rate of interest by private money lenders is the root cause for the farmers to commit suicide, Governments needs to work towards getting loans even from nationalized banks at subsidized interest rates just like cooperative sector. We need to facilitate our farmers with loans through nationalized banks at cheaper rates of interest. Apart from this, the methodology adopted by the nationalized banks to recover existing loans, to be made farmer friendly. Farmers have got a moral boost for getting free electricity. They are our food-givers. The expenses involved in giving free electricity to the farmers are very little as compared to administrative and establishment costs of rivers, dams, channels and lake irrigation. De-silting of tanks & lakes works need to be undertaken persistently thereby providing permanent jobs under *Udyog - Khatari Yojana* to our rural unemployed youth.

On a comprehensive overview, hon. Deputy-Speaker, I fervently request the Central Government on behalf of crores of our farmers to assist us in combating drought with all seriousness and to intervene and instruct our State Government to utilize the funds more timely and efficiently. ...(*Interruptions*)

..... Hon'ble Deputy Speaker, Sir, In India over 52% population are dependent on agriculture and it creates huge employment opportunities in the country. But all these years the Governments have given more importance and financial support for the development of industries than agriculture sector. As a result, today farmers are in a deplorable condition. However, I would like to point out that our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given more emphasis for the development of agriculture. This is really a welcome move.

In the last 20 years number of farmers depending on agriculture has been decreasing gradually. The percentage of farmers in the year 1980 was 72%, now it has come down to 52%. Wrong agriculture policies of the governments have made the agriculture sector a non-profitable one and farmers give up it and have migrated to urban areas in search of livelihood. During the last 20 years about 3 lakhs farmers committed suicide in India. In this year alone about 840 farmers have committed suicide in the State of Karnataka. Why farmer would commit suicide if he gets better prices of their agricultural produces. This is because of unscientific policies of the previous government.

I would like to mention that farmers feeds the country. He is the backbone of the our economy. It is the duty of all the governments to strengthen the hands of farmers by taking bold steps to instill confidence among farmers.

I would also like to impress upon the Government that it should introduce a Special package to provide relief to farmers and also to supply fodder to cattle in the drought hit taluks. It is a matter of great concern that in Karnataka from April 2015 to till date, 840 farmers have committed suicide. Every day there are reports of farmers committing suicide in one part or the other. The Government of Karnataka has delcared drought in 136 taluks in the year 2015-16. Particularly many taluks in northern part of Karnataka have seen worst drought. People in more than 2062 villages are facing drinking water crisis. There is no fodder and drinking water for cattle also. The kharif crop is about 30 to 32 lakhs of hectares is

---

* .....* English translation of this part of the speech was originally delivered in Kannada.

completely destroyed. Northern Karnataka has received only 30% to 35% rainfall this year. The deficient rainfall hit the life of common people very badly.

The revenue depratment of Karnataka state has released Rs. 521.14 crore under the Calamity Relief Fund to take up relief works. Out of this, Rs. 192.50 crore is allocated for drought relief works. Out of Rs. 521.14 core the Government of India's share is Rs. 312.33 crore. But it pained me to understand that the Government of Karnataka has not spent all the money released for the said for said purpose. However, on various occasions the Hon'ble Chief Minister of Karnataka has made different statements. One he said that "the Centre has not released even a single penny for drought relief works". There is no truth in his statement. On another occasion the Chief Minister has stated that "the State Government has taken up the drought relief works in a war-foot basis and spent Rs. 450 crore in this regard". It is also true. In reality the State Government has spent a very meager amount on drought relief works.

Therefore I urge the State Government to utilize all the financial assistance of the Union Government i.e., Rs. 1540 crore to rescue the drought his farmers in Karnataka. Hon'ble Chief Minister, Minister for Agriculture and leaders of Congress party in Karnataka false allegation that the BJP Government at the Centre is not releasing money to drought-hit Karnataka. This is far from the truth. Compare to other States the Union Government has sanctioned Rs. 1540 crore to the Government of Karnataka.

I would like to draw the attention of the House towards the financial assistance given in last ten years by the UPA Government since 2004-05 to 2013-14. During the said period the UPA Government at the Centre released Rs. 5216.5 crores. Out of this, Rs. 3497 crores are for the relief works for both flood and drought. The average amount of financial assistance released by the UPA Government to Karnataka was Rs. 521 crore annually.

Another point I would like to mention that debt-ridden farmers are committing suicide. But the existing guidelines "it is mandatory to state the reason

for committing suicide, whether the loan raised was from the money lending agencies". "Another rule says that the land should be in the name of deceased farmer" "No compensation to farm labourers". I would like to request that these guidelines should be amended and family members of deceased of farm labourers and deceased of landless labourers working in farm land should also be compensated when they commit suicide.

The Government of Karnataka has announced enhancement of the compensation to the family of deceased farmers from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh and also stated that it would be impleted with retrospective effect to help the family of farmers who committed suicide from April 2015 onwards. But so far Rs. 5 lakhs compensation was not given to the family of farmers.

Therefore, I request the leader of Congress Party Shri Mallikarjun Kharge ji and other friends who are present here that the State of Karnataka is the third major drought hit state in the country. In such a situation all of us need to discuss the ways and means to tackle the drought condition in the country by utilizing the funds available for this. We should share the views and suggestion from all the political parties to rescue the drought hit farmers. But I do not think holding demonstration and stalling the proceedings of the Parliament would do any good to us. My friends in the Congress party should help the Government to tackle all the parts affected by natural calamities. It is not good in disturbing other members of the House while expressing their views during the discussion on this very important subject. The entire country is watching all these developments. Congress members are raising their voice against the Government for petty reasons. Stalling the proceedings of the Parliament would not get you a good name.

Once again I would like to urge the State Government of Karnataka to take all measures to utilize the huge amount released by the Union Government to tackle the drought situation in all the drought hit areas. If the Government of Karnataka takes effective steps to rescue the drought hit farmers the Government

of India would further extend its help to mitigate the drought conditions in the state.

With these words the Hon'ble Deputy Speaker, Sir I once again express my sincere thanks for the opportunity you have given me to say a few words on this very important issue.*

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): According to the Ministry of Agriculture, 8 states have been declared drought affected in 2015-16. They are Karnataka (27 districts), Chattisgarh (25 districts), Madhya Pradesh (22 districts), Maharashtra (21 districts), Orissa (21 districts), Andhra Pradesh (7 districts), UP (15 districts), Telangana (7districts). This has adversely affect not only the food production, vegetable production, pulses and cereals especially in these states but it has its own effects on the production of our country. As a result due to shortage of such items the price rise has become the direct attack on the common people.

Drought situation has other adverse affects on the day today life of the people. Shortage of drinking water is the direct effect, not only for the human beings but also for animals. As a result of the drought, it becomes difficult for the farmers to irrigate their lands. It has indirect effect on industrial sector also. Take for example sericulture in Andhra. It was completely lost due to the drought. As a result the small scale industry on the basis of sericulture and textile are also becoming difficult to function. The result is the loss of jobs for the workers.

As a result of the drought not only for the farmers but also agricultural workers are facing severe crisis. They are losing their jobs and thereby getting no wages etc.

So the drought situation in total affects the social life and day today life of the people. In some states like Andhra, large number of people go to some other states for their livelihood, in search of jobs. When I visited Anandpur district of Andhra, I could see large number of people have migrated either to Kerala or to Bangalore. The situations in the habitations of SC/ST people are really terrible.

As far as Andhra is concerned for the last 15 years, there was severe drought. So it becomes difficult for the state administration alone to deal with the situation. Though we have scientific research and development wing and also

---

* Speech was laid on the Table.

disastrous management system, we have failed to deal with the situation by giving proper assistance to the states.

The irrigation projects are rare in these states. Even though some of them have started but not completed. The financial assistance to the farmers with the free of interest rate has to be taken with due importance. Better seeds, better fertilizer and electrification facilities are all other steps that we have to take.

In the national level itself, the disastrous management system has to be strengthened. There should be a special wing of experts to visit these states and form the projects in the perspective as well as the annual point of view.

Due to severe drought or of the flood human lives are suffering. Environment also becoming worse and the total production of the nation also severely hit. In such a situation Governments i.e. Centre and State has to rise to the occasion to meet the challenge.

When this new Government has come, planning commission has abolished. It becomes a drawback to give adequate output for the implementation of the projects and resource mobilization. What we need is the timely intervention of Central and State Governments to assist the farmers.

Farmers should get loan in general at the interest rate of 4%. But in the time of natural calamity, it should be free of interest rate of loan and in serious cases it should be right off.

The massive investment should be made by the Government in Agriculture. It would promote production and also employment. For the convenience of irrigation facilities, the electricity is must. But in many states there is shortage of such facility. Better marketing facilities should also be available.

Natural calamities in terms of flood and drought really destabilize the budget of concerned states so Government should take timely action with due vigilance for its implementation. With these words I conclude.

17.00 hours

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, सूखे पर जो चर्चा हो रही है ...(व्यवधान) उसमें शामिल होने से पहले मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को कुछ कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) आज देश देख रहा है कि एक ओर सूखा पीड़ित किसानों की पीड़ा लोगों की इस अदालत में रखी जा रही है, ताकि सरकार उसे सुन सके। दूसरी ओर अदालतों के पीड़ित लोग अदालतों में जाकर अपनी पीड़ा बतायें। यदि वे अदालत में नहीं जा सकते, तो मैं अपने माननीय मंत्री श्री नायडू साहब को कहना चाहूंगा कि वे उन्हें वकील करके दे दें। ...(व्यवधान) अदालत की जो पीड़ा है, वह वहां बतायें और लोगों की अदालत में लोगों की बात होने दें। ...(व्यवधान) यह मेरा इनसे निवेदन है। ...(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष देश में बारिश कम हुई।...(व्यवधान) 20 परसेंट बारिश कम होने की वजह से रबी की क्रॉप 18 परसेंट कम हुई। गेहूं 28 परसेंट कम हुईं और दालें 9 परसेंट कम हुईं। ...(व्यवधान) देश के किसान की आमदनी कम हुई, जिस कारण वह आज आत्महत्या कर रहा है। ...(व्यवधान) कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान) इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट को मैंशन किया है। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 में 12,3,600 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह चिन्ता की बात है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सूखा तीन किस्म का होता है। एक, सूखे के कारण फसल की बुआई नहीं होती। ...(व्यवधान) दूसरा, बुआई कर लेते हैं, लेकिन फसल तैयार नहीं होती। ...(व्यवधान) तीसरा, फसल भी तैयार की जाती है, मगर सूखा होता है, जैसे पंजाब में हुआ। ...(व्यवधान) देश भर में सबसे कम बारिश पंजाब में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फसल पंजाब में ही हुई। ...(व्यवधान) हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय मंत्री को हम सबके सामने उसका कारण बताया कि हमारे किसानों ने डीजल ज्यादा कन्ज्यूम किया, बिजली ज्यादा कन्ज्यूम की। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने किसान को लगातार बिजली, जिस कारण पंजाब में 25 परसेंट अधिक फसल हुई। ...(व्यवधान) हमारा कसूर क्या है? ...(व्यवधान) हमारा पानी धरती के स्तर से जा रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए कम्पेनसेट किया जाये। ...(व्यवधान) सूखे के जो मापदंड हैं, उसमें पंजाब को नहीं डाला गया। उनका कहना है कि वहां फसल ज्यादा हुई है। ...(व्यवधान) वहां बुआई होकर फसलें तैयार हो गयी हैं। ...(व्यवधान) हमारा कहना है कि यह अमेंडमैंट होना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और भी बहुत कमियां हैं। ...(व्यवधान) जो अमाउंट है, वह बहुत थोड़ा है। ...(व्यवधान) 3600 रुपये पर एकड़ है। ...(व्यवधान) 1500 रुपये स्टेट डालती है। ...(व्यवधान)

हमारी सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने 8 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान को दिया। ...(व्यवधान) दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि एक ग्राम को यूनिट बनाया जाता है। ...(व्यवधान) एक एकड़ यूनिट बनना चाहिए, एक प्लाट यूनिट बनना चाहिए। ...(व्यवधान) किसान इससे बहुत पीड़ित है। ...(व्यवधान) सारे गांव की फसल नहीं मरती। ...(व्यवधान)

तीसरा, लेबर को कंसीडर करना चाहिए। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में पंजाब सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने लेबर को अभी कम्पेनसेट किया है। ...(व्यवधान) जब सफेद मक्खी का हमला हुआ, तो पंजाब सरकार ने 54 करोड़ रुपया लेबर्स को दे दिया, क्योंकि मजदूर भी खाली हो जाता है। ...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी में पेस्ट अटैक को भी लिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) पेस्ट अटैक को उसमें नहीं लिया जाता। ...(व्यवधान) पंजाब सरकार ने पेस्ट अटैक को भी लिया है। ...(व्यवधान) मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेस्ट अटैक को भी लिया जाये, लेबर को भी कम्पेनसेट किया जाये। ...(व्यवधान) कम से कम प्रति एकड़ जो खर्चा आता है, वह किसान को दिया जाये। अब 3600 से क्या बनता है? ...(व्यवधान) कम से कम 10 हजार एकड़ रिलीफ फंड होना चाहिए। ...(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार बारिश का पानी नहीं बचायेगी ...(व्यवधान) रेन वाटर जो वेस्ट हो रहा है, उसे नहीं रोकेगी ...(व्यवधान) क्योंकि 70 परसेंट रेन वाटर वेस्ट हो जाता है। ...(व्यवधान) जल भंडार की कोई व्यवस्था करनी होगी। चैक डैम्स बनाने होंगे, तालाब, झीलें बनानी होंगी। ...(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, जिसमें एक हजार करोड़ रुपया रखा गया है। ...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सिंचाई के साधन ज्यादा बनें। ...(व्यवधान)

मेरा मानना है कि काम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब क्राप इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस बहुत कम है। पंजाब सरकार ने प्लान बनाकर यह स्कीम केंद्र सरकार के पास भेजी है। यह माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में है। पंजाब सरकार ने जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भेजी है, यदि वह देश में लागू हो जाए तो किसानों को लाभ होगा। एमएसपी के फार्मूले के बारे में डॉ. स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जितनी कॉस्ट है उसमें 50 परसेंट और एडीशन किया जाए तभी किसान को लाभ होगा। इसके साथ ही लोन वेव ऑफ होना चाहिए। आज किसान कर्ज में हैं इसलिए वह खुदकुशी की ओर जा रहा है। मैं समझता हूं कि उस तरफ बैठे लोगों की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ, उन्होंने किसान को लूट लिया, किसान को बर्बाद कर दिया, किसान को तबाह कर दिया। ...(व्यवधान) इनकी गलत नीतियों के कारण आज किसान खुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ा है। अब जब किसान की बात होती है तो ये टांग अड़ाते हैं, कोई बात करने नहीं देते हैं और सत्ता पक्ष को दोष देने लग जाते हैं। जब किसानों की बात होती है, उस समय तो कम से कम साथ दे दें।

महोदय, 15-16 दिसंबर को नेरोबी में कान्फ्रेंस होने जा रही है। यह बहुत चिंता की बात है कि डब्ल्यूटीओ के थ्रू कनाडा, अमेरिका जैसे विकसित देश भारत और अन्य विकासशील देशों पर दबाव डाल रहे है कि एमएसपी खत्म कर दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जोर देकर किसानों की बात करें और कनाडा, अमेरिका जैसे विकसित देशों की सोच का विरोध करें ताकि किसान बच जाए।

महोदय, जब फसल विभिन्नता की बात होती है तो कहा जाता है कि किसान कम पानी वाली फसल, कम ड्युरेशन वाली फसल की बुवाई करे। किसानों ने बासमती की बुवाई की तो क्या हुआ? पहले किसानों की फसल 1500 रुपए क्विंटल में बिक गई। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश करके एक्सपोर्ट पालिसी में रिलेक्सेशन दी है और वह 3500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक चिट्ठी माननीय कृषि मंत्री जी को लिखी कि जिन किसानों ने फसल कम रेट पर बेची है, उसे भारत सरकार कम्पेनसेट करे ताकि किसान को कम पानी वाली फसल लगाने के लिए उत्साहित किया जा सके।

महोदय, मैं आखिर में कहना चाहता हूं, इन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन मैं इस हाउस में कह सकता हूं कि आज मुझे 25 जून, 1975 का दिन याद आ रहा है, जब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनसीटिड कर दिया था। तब उन्होंने सारे देश में इमरजेंसी लगाकर जेल में डाल दिया था। यदि आज ये सत्ता में होते तो देश में इमरजेंसी लगी होती और हम सब जेल में होते। यह तो परमात्मा की बख्शीश है, थैंक गॉड कि ये यहां बैठने लायक रह गए हैं। ...(व्यवधान) मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के मामले लोगों की अदालत में होने दें और अपनी बात अपनी अदालत में करें।

*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Drought in Maharashtra is a big challenge for Maharashtra Government. After Vidarbha, it is now Marathawada.

We appeal to Government of India to help whole-heatedly to the people of Marathawada. Government of Maharashtra is taking measures e.g. the "Jal Shivar Scheme" to help people in long run. Today the main challenge is water and fodder for cattle. We must plan that affected people do not migrate. We appeal to Government of India to initiate long term measures and meanwhile declare some short term measures so that affected people of Maharashtra may be benefited.

* Speech was laid on the Table.

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज विश्व में क्लाइमेट चेंज चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस सम्मिट में भाग लिया था। आज अगर कोई वर्ग क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है तो वह हमारे देश का किसान है - चाहे ओलावृष्टि हो, अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाए या कम बारिश के कारण सूखा पड़े, इसका सबसे ज्यादा असर देश के किसान पर पड़ता है। जब सूखा पड़ता है, उसका असर न केवल मौजूदा फसल पर होता है बल्कि उससे ज्यादा असर आगे आने वाली फसल पर होता है। लगभग हर साल इस सदन में सूखे के ऊपर चर्चा होती है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दिये जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन सुझावों पर अमल नहीं किया जाता। आज यह जरूरी है कि हम लोग उन सुझावों के साथ साथ उन बातों को भी अमल में लाने का प्रयास करें जिससे हमारे किसानों की हालत में सुधार हो सके।...(व्यवधान)

आज यह जरूरी है कि हम लोगों को कुछ लाँग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी होगी ताकि इस बात पर विचार हो सके कि जहां एक ओर किसानों को तात्कालिक राहत मिल सके, वहीं दूसरी ओर हम सूखे से कैसे निपट सकें, इसके लिए भी कोई योजना बनाई जा सके।...(व्यवधान) हमारे नेता जी हमेशा यह कहते रहे कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उस देश का किसान आगे बढ़े। आज जो भी देश विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां के किसानों की हालत हमारे देश के किसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ...(व्यवधान) लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश में 65 प्रतिशत से अधिक लोग आज भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वहां के किसानों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में शुरु से चला आ रहा है।...(व्यवधान)

आज भी इस नारे की प्रासंगिकता बनी हुई है लेकिन हमारा किसान दिन-रात खून पसीना एक करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई खास लाभ नहीं हो पाता। ...(व्यवधान)

आज महंगाई एक ओर आसमान छू रही है, खाद बीज और दवाओं के दाम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा पैदा किया हुआ अनाज जब मंडियों में पहुंचता है तो उसको मजबूरन अपने अनाज को सस्ते में बेचना पड़ता है, उसके सामने तमाम तरह की मजबूरियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपना अनाज सस्ते में बेचना पड़ता है।

यहां कई माननीय सदस्यों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि किसानों के हितों की रक्षा करनी है तो उसके मूल्यों से डेढ़ गुना मूल्य देना

होगा।...(व्यवधान) लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कई वर्ष बीतने के बाद भी पहले यू.पी.ए. की सरकार थी और अब एन.डी.ए. की सरकार है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इस बात पर कोई विचार हो सकता है। आज उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनैसमैन अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय कर सकते हैं तो हमारे देश का किसान क्यों नहीं अपनी पैदावार का मूल्य तय कर पाता?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज यू.पी. के किसानों को किस तरह से सूखे से तबाह करके रख दिया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, वह लगातार सूखे की मार झेल रहा है और धीरे धीरे कहीं वह अकाल का रूप न ले ले, मुझे इसी बात की फिक्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा उस क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करके, उनके जीवन पर सूखे के दुष्प्रभावों पर एक सर्वेक्षण किया गया। ...(व्यवधान) उस सर्वेक्षण के आंकड़े एक भयावह स्थिति बयान कर रहे हैं। लोगों के खानपान में पोषक तत्वों की कमी तो है ही, लेकिन उनके सामने दो जून की रोटी अर्जित कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। ...(व्यवधान) बच्चों और महिलाओं पर इस सूखे का सबसे अधिक असर पड़ा है। महंगाई की वजह से पहले से ही लोगों की थाली में दाल सब्जी और दूध की कमी हो गई थी औऱ इस सूखे ने गरीब को उससे पूरी तरह से वंचित कर दिया हरै। अब मैं आपका और सदन का ध्यान उन आंकड़ों की ओर लेकर चलता हूं जो इस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मूंग, बाजरा, ज्वार और अरहर की फसल लगभग बर्बाद हो गई हैं और तिल और दलहन की फसलों में लगभग 60-65 प्रतिशत की कमी इस साल हुई हैं। ...(व्यवधान) इन फसलों की बर्बादी के कारण किसानों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। आंकडों के अनुसार 86 प्रतिशत परिवारों को अपने खाने में दाल की कटौती करनी पड़ी है।

अगला आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंकड़ा इस देश के भविष्य, इस देश के बच्चों की ओर इशारा कर रहा है और 84 प्रतिशत परिवारों को अपने बच्चों के दूध में कटौती करनी पड़ी है।...(व्यवधान) बीस प्रतिशत लोगों को फिकादा पर गुजारा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिकादा जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, फिकादा मतलब घास की रोटी होती है। यह बात तो इंसानों की है। इस सूखे का असर मनुष्य के साथ साथ पशु-धन पर भी पड़ा है।...(व्यवधान) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुधन किसान के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है और बिना पशु-धन के भारतीय परिदृश्य खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 77 प्रतिशत पशु-आहार में कमी हो गई है। दूध उत्पादन में लगभग 88 प्रतिशत की कमी हुई है। यहां तक कि लोग चारे की कमी की वजह से लोग अपनी गाय और भैंस छोड़ने को मजबूर हो

गए हैं। कई जगह तो इलाज के अभाव में पशुओं की मृत्यु तक हो गई है। आप देख सकते हैं कि देश का किसान और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का किसान किस दौर से गुजर रहा है। किसान का पूरा जीवन, उसकी सारी आकांक्षाएं, उसके सपने आने वाली फसल पर निर्भर करते हैं।...(व्यवधान) जो लोग गांव से संबंध रखते हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं, उन्हें पता होगा कि किसान की फसल पर उसकी बेटी के विवाह के सपने निर्भर करते हैं, उसके बेटे का कालेज में जाने का सपना निर्भर करता है, मकान की छत बनाने के लिए, नए कपड़े खरीदने और त्योहार मनाने के सपने निर्भर करते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री तेज प्रताप सिंह यादव : जब सूखा पड़ता है और किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति होगी, जिसके सारे सपने उस फसल पर निर्भर करते हैं।...(व्यवधान) वह किसान दिन-रात मेहनत करके फसल बोता है, जो प्रकृति की मार से पीड़ित होता है लेकिन कभी धैर्य और साहस नहीं खोता, वह मजबूरी में ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, please go to your seats, I will give you chance.

… (*Interruptions*)

श्री तेज प्रताप सिंह यादव : आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे परिवार का मुखिया जब उनके बीच से चला जाता है और उस मुखिया के साथ उसके परिवार के सारे सपने उसके साथ चले जाते हैं और बिखर जाते हैं।...(व्यवधान) मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर उनके परिवार का मुखिया उनके बीच से चला जाए तो उनकी किस तरह से मदद की जा सके...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I adjourn the House till 5.30 p.m.

17.17 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Seventeen of the Clock.

<u>17.30 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Seventeen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Tej Pratap Singh Yadav.

… (*Interruptions*)

<u>17.30 ½ hours</u>

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker, Sir, the conduct of some of the Members is totally unbecoming of a Member of Parliament. They should never do it.… (*Interruptions*) First of all, they should not come to the well. … (*Interruptions*) Coming to the Chair is totally objectionable. … (*Interruptions*) They should understand, their leaders should understand and desist from doing such things at least for future.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Except the Minister of Parliamentary Affairs, nothing will go on record.

… (*Interruptions*)... *

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Tej Pratap Singh Yadav.

* Not recorded.

17.32 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193
Drought situation in various parts of the Country – Contd.

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बता रहा था कि आज देश का किसान, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का किसान किस भयावह दौर से गुजर रहा है। …(व्यवधान) यहाँ कई ऐसे साथी होंगे, जो गांव से संबंध रखते हैं। …(व्यवधान) मेरे वे साथी, जो किसान परिवार से आते हैं, मेरी बात को पूरी तरह से समझेंगे। …(व्यवधान) किस तरह से किसान का पूरा जीवन, उसका भविष्य, उसकी आकांक्षाएँ, उसके सपने सब कुछ उसकी अगली फसल पर निर्भर करते हैं …(व्यवधान) चाहे उसकी बेटी की शादी हो, चाहे उसके बच्चों का स्कूल-कॉलेजों में दाखिला हो, मकान के छत बनवाने हों, नये कपड़े खरीदने हों, त्योहार मनाना हो, ये सब कुछ उसकी अगली फसल पर निर्भर करता है। …(व्यवधान) जब वह फसल नष्ट हो जाती है, तो उस किसान पर क्या बीतती है, …(व्यवधान) वह किसान जो प्रकृति से लड़ते हुए सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में दिन-रात मेहनत करके फसल उपजाता है, जिसने कभी अपना धैर्य और साहस नहीं खोया, हमेशा अपने स्वाभिमान में रहा, वह मजबूर होकर ऐसा कदम उठाता है, जो आत्महत्या की ओर ले जाता है। …(व्यवधान) आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी, जिस परिवार का मुखिया उसके बीच से चला जाता है। …(व्यवधान)

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कोई ऐसी योजना चलायी जाए ताकि जिस परिवार का मुखिया उसके बीच से चला गया है, उसकी मदद हो सके। …(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूँगा, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में एक योजना चलायी है, जिससे यदि किसी किसान परिवार का मुखिया उसके बीच से चला जाता है, …(व्यवधान) तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार पाँच लाख रुपये की मदद देने का काम करती है। …(व्यवधान) इस मदद से उसके परिवार का मुखिया तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी-सी मदद हम लोग कर सकते हैं, वह करते हैं। …(व्यवधान)

यहाँ माननीय कृषि मंत्री जी और कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरी मांग है कि इस मुश्किल घड़ी में उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी मदद करें। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ …(व्यवधान) कि जब मार्च में ओलावृष्टि हुई थी, तो हमारे प्रदेश सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये अपने मद से किसानों को देने का काम किया था। हमारी मांग लगभग 7500 करोड़ रुपये की थी। …(व्यवधान) जिसके सापेक्ष, माननीय मंत्री जी ने अभी तक लगभग 2800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराये हैं। …(व्यवधान) मैं मांग

करता हूँ कि जो शेष राशि है, उसे किसानों के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। ...(व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 50 जिलों के लिए 2100 करोड़ रुपये की जो नयी मांग की है, उस राशि को भी जल्दी प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएँ ताकि हमारे जो किसान मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, वह दूर हो सके। ...(व्यवधान)

[*] **श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द)** : सूखे से जो आज राष्ट्र की स्थिति बनी हुई है और इस राष्ट्र का किसान जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है इस संवेदनशील विषय पर लोक सभा में चर्चा कर किसान को संवेदनशीलता का अहसास कराया है। इस चर्चा के माध्यम से किसान को अहसास हुआ है कि हमारी राष्ट्र की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और उसकी आशा बंधी है कि निश्चित रूप से सरकार किसान की इस विकट परिस्थिति को समझ उसे राहत प्रदान करने पर गम्भीरता से विचार करेगी।

राजस्थान प्रान्त में यह पहला वर्ष नहीं है जब उसे सूखे का सामना करना पड़ रहा है। पर यह दूसरा वर्ष है जब पूरे राज्य में अकाल की गम्भीर हालत बनी हुई है। राज्य में यह दूसरा वर्ष है जहां बहुत बड़े इलाके में पानी की बहुत कमी है और वर्षा का अभाव रहा है। किसानों ने अच्छी वर्षा के अंदाज से दोनों वर्षो में अपने खेत में बहुत बड़े इलाके में बुआई का कार्य कर अपना श्रम, समय और धन का व्यय किया और उसे आशा थी कि मौसम साथ देगा और उसे अच्छी फसल हाथ लगेगी। लेकिन उसकी आशा के विपरीत वर्षा बहुत कम हुई और उसका श्रम, समय और धन बर्बाद हुआ। आज उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हालत में है। उसे अपने परिवार के साथ–साथ अपने पशु धन को बचाने के लाले पड़ रहे हैं। यह तिल–तिल अपने परिवार व पशुधन को बर्बाद होते हुए देख रहा है।

राजस्थान सरकार अपने सीमित संसाधनों से किसान को इस विकट परिस्थिति से उबारने का पूरा प्रयास कर रही है लेकिन साधन सीमित होने से सूखे की इस विषम स्थिति से पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।

राजस्थान राज्य का एक बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां पर सामान्य परिस्थिति में भी वर्षा बहुत कम होती है। वहां का पशुपालक अपने पशुधन को सड़कों के माध्यम से राज्य के अलग–अलग क्षेत्रों में लेकर फिरता है। इस वर्ष बहुत बड़े इलाके में वर्षा नहीं होने से बाहर निकले हुए उस पशुपालक को भी बड़ी परेशानी हो रही है।

क्षेत्र में वर्षा की लगातार कमी के कारण जल–स्तर गिरता जा रहा है और बहुत बड़ा क्षेत्र ब्लैक जोन बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अण्डर ग्राउण्ड वॅाटर भी नहीं मिल पा रहा है जिससे पीने के पानी का भी अभाव होते जा रहा है।

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान को इस अकाल के समय विशेष पैकेज प्रदान करें तथा राज्य सरकार का सबल बढ़ाने व मरते हुए काश्तकार को बचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें।

---

[*] Speech was laid on the Table.

*SHRI G. HARI (ARAKKONAM): I would like to express my sincere thanks and indebtedness to our beloved leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma for giving me this golden opportunity to place my views on the drought situation in the country.

In a vast country like our India, due to varied Climatic conditions prevailing at different parts of the country, while some places are severely affected by scarcity of rainfall and drought, some places are affected by excess rainfall and subsequent flooding. In both the cases farmers and agriculture are affected the most. Due to natural calamities and failure of monsoon rains most part of the country are affected either by drought or by severe flood. There are many reasons for this. But in my opinion the foremost reason for this is Government's prolonged delay and reluctance in nationalization of all the rivers in the country and also the interlinking of all the major rivers in the country.

While parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are affected by severe drought due to shortage of rainfall during the crop seasons, the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odissa and West Bengal are affected severely by excess rainfall, cyclones and floods. In both the instances the farmers are most affected as their crops are damaged completely. The most important natural wealth of our country is the large number of rivers flowing across different states. Most of the rivers, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the farmers are in the clutches of either a severe flood or drought. This is a very bad situation for farmers of this country. It not only affects their crops but also make them suffer most to repay their loan resulting in the suicides of farmers in the country.

Sensing that there is an urgent need for nationalization of Indian rivers, particularly the Peninsular Indian rivers and the Inter-linking of Rivers in India.

* Speech was laid on the Table.

Our Honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi had continuously urging the Union Government to take appropriate steps to introduce a comprehensive National Policy on Indian rivers to nationalize all major rivers and also to execute the inter-linking of rivers in the country.

Puratchi Thalaivi Amma has opined that the Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state water sharing disputes among the Indian States but is also the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured and the problems faced by the farmers due to lack of water and drought could be solved permanently. Also the Government should consider creating a comprehensive National Policy on Indian rivers and National river water Grid and routes to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the Government can harness the excess water in the rivers cleverly and judiciously to benefit drought hit parts of the country.

Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has fought in the Hon'ble Supreme Court and won the rightful share of Tamil Nadu in the Kaveri River Water sharing issue with Karnataka State and in raising the water levels up to 142 Feet in the Mullai Periyar Dam. Both the victories are historical and the farmers of Tamil Nadu praise Puratchi Thalaivi Amma as the "Saviour of Kaveri Water" and the "Pennycuick of the Modern Tamil Nadu". But the Union Government should expedite the process and constitute the Kaveri Management Board immediately to direct the Karnataka state to release water from Kaveri river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in monthly deliveries to ensure adequate release of Kaveri water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu. The opinion of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma with regards to the protection to Mullai Periyar Dam by the CISF should also be viewed seriously and implemented immediately.

Agriculture and agro based industries are the back bone of our country. Farmers and Agro-based allied workers constitute about 60% of our total

population. Braving most hostile and difficult problems the farmers continue to toil hard to fulfill our farm needs. Their service and sacrifices has to be appreciated appropriately to engage them continuously in agriculture sector.

Farmers needed to be encouraged in as much possible ways like the introduction of comprehensive crop insurance schemes, issuance of kisan credit cards to all the farmers in the country and providing them with adequate financial support as well as ensuring them with adequate supply of seeds, fertilizers, insecticides and pesticides, farm equipments etc. Also farmers should be encouraged with good reasonable Minimum Support Price (MSP) for their produce. The Government should also instill confidence in their minds by effecting good procurement policies. Without these two vital actions farmers will be reluctant to take up agriculture and will affect our economy and agriculture will decline fast.

In the time of drought or natural calamities like floods, their crops are damaged completely and in such times the entire agriculture loans provided to them need to be waived completely. Also farmers should be given proper compensation for the loss of crops and it should be done on a war footing mode, otherwise the cash starving farmers may not be in a position to continue to practice agriculture after the damage of crops due to flood or loss of revenue due to severe drought conditions.

The Government should focus more on the overall development of agriculture and farming industry to provide ray of hope for Indian farmers. Farmers should be provided with all necessary financial, logistic and trade support to do trade on their own and get maximum benefit. The gap between the producer and end user i.e., the farmers and consumers has to be narrowed. The middlemen menace has to be curbed completely so that the farmers get decent income for their produce and the consumers also should make to pay less. Tamil Nadu under the dynamic leadership of our Honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has introduced many innovative and first of its kind schemes to support farmers.

Starting of fair price Green Fresh Farm outlets in various parts of Tamil Nadu has helped a direct trade access for farmers with the consumers and also curb middlemen menace. As a result of this farmers get good price for their produce and people are happy to pay much less for their Green vegetables, fruits and other agro products of their daily use.

Therefore, I urge the Union Government to provide all necessary support to farmers in the lines of our Amma for them to come out of the clutches of drought conditions and flood situations and make their life brighter and wealthier forever.

*SHRI P. K. BIJU (ALATHUR) : Drought in India has resulted in tens of millions of deaths over the course of the 18th, 19th and 20th centuries. Indian agriculture is heavily dependent on the climate of India. A favourable southwest summer monsoon is critical in securing water for irrigation Indian crops. In some parts of India, the failure of the monsoons result in water shortages, resulting in below average crop yields.

It is a matter of big concern that out of the total geographical area of India, almost one-sixth area with 12% of the population is drought prone, the areas that receive an annual rainfall up to 60 cm are the most prone. Subsequently, the National Commission on Agriculture (MOA 1976) identified a few more drought prone areas with slightly different criteria. Later, based on detailed studies, 74 districts of the country have been identified as drought prone.

India is an agrarian country with around 60% of its people depending directly or indirectly upon agriculture. Drought has spiraling impacts on the life of the Indian farmer. Failure is one season will leads to high debt burdens, social issues and even suicides. Among these farmers' suicides is the most important concern. Farmer suicides account for 11.2% of all suicides in India. In 2014, the National Crime Records Bureau of India reported 5,650 farmer suicides. The highest numbers of farmer suicides were recorded in 2004 when 18,241 farmers committed suicide. The farmers' suicide rate in India has ranged between 1.4 to 1.8 per 100,000 total population, over a 10 year period through 2005.

As much as 79.5% of India farmland relies on flooding during monsoon season, so inadequate rainfall can cause droughts, making crop failure more common. In regions that have experienced droughts, crop yields have declined, and food for cattle has become scarce. Agricultural regions that have been affected by droughts have subsequently seen their suicide rates increase.

---

* Speech was laid on the Table.

Agricultural losses impact income and purchasing power of farmers converting small and medium farmers into agricultural labourers resulting in an increase in unemployment. Consequently, farmers and farm workers tend to migrate to urban areas in search of employment opportunities. The 2002 drought, one of the severest in India, affected 56 per cent of its geographical area, the livelihoods of 300 million people and 150 million cattle in 18 states Shortage of drinking water supplies and food insecurity are the other consequences that emerge. Fodder deficit drives away the animals to distress sales. Thus, while climate is the initial causative factor for drought, its implications are governed by the human interaction with the situation.

The Government intervention into the matter is condemnable. The Government agencies responsible for the damage control are showing a lackadaisical attitude towards the distribution of compensation and other assistance to the victims. Even after making certain regions as drought prone, the incidents of drought often reckons showing the failure of the institutional mechanisms. Often the compensation is getting delayed and the actual victims are left out in the process. Many of the agricultural insurance companies working in India are often failed to act upon their promises in the wake of crop failure due to drought.

I urge the Government to blacklist the defaulting insurance companies and take preemptive actions to fight against the drought related calamities.

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I would like to express my views on drought situation in various parts of the country with special reference to Karnataka.

Calamities and disasters are not man made and nor are they in our control. Wind, light and water are the nature's provision and even nature's gifts are not in the uniformity on the face of the earth.

Especially water is such a thing which causes havoc when it excessively surfaces in some part of the regions especially on human habitations, and while its dire scarcity causes drought. For example in some parts of our country people strive for a drop of water while in other places the same water manifests its self in deluge and takes away the precious lives, destroys the utilities of mankind. Now coming to the drought situation in some parts of the country like Karnataka, Maharashtra, Rajasthan and other parts. Drought floods and other natural disasters and calamities are the reality and we are faced with then now. We must know that no Governments in Centre or States can be held responsible for these natures fury.

The issue is also not in whose Government's these calamities are happening. When they occurred how they were managed and helped the people affected, by the Government. It is not the time for politicizing even natural calamities.

But unfortunately the Congress has the nasty habit of politicizing everything, when it was in power it blamed always RSS and BJP for everything. For anything happened in the country they pointed fingers at us. Now they are sitting there, and they have changed the terminology. They are pointing fingers on Modiji for everything. No wonder if they blame Modiji for natural calamity and drought and other disasters also.

* Speech was laid on the Table.

Disasters and calamities happen in any parts of our country it is our utmost concern for tackling them. I am fully aware of the deluge in Chennai and deeply concerned about it. But for the paucity of time I come to the issue of drought in Karnataka. In Karnataka out of 175 taluks 136 taluks are reeling under droughts. The Government of Karnataka earlier had requested for Rs. 500 crores assistance which was duly responded by GOI and Rs. 362 crores was released.

Now, the Chief Minister, Karnataka instead of making a good and immediate use of this money making allegations against GOI and misleading the people. I would like to bring to the notice of this House that Government of India has released Rs. 1540 crores to Karnataka for drought relief measures. Which is ever highest in one go and thank the GOI for this. I would like to give a comparative figures with regards to the funds that were earmarked in 13th finance commission and 14th finance commission.

During UPA regime for SDRF from 2010-11 to 2014-15 the total Centre share was Rs. 667 crores. And for the same period the state share was Rs. 222.34 crore and in the 14th finance commission the funds for SDRF is as follow.

-Centre share from 2015 to 2020 Rs. 1375 crore.

-State share from 2015 to 2020 Rs. 153 crore.

So a huge difference. Keeping this background the GOI has already sanctioned Rs. 1540 crore to Karnataka. The irony of the fact is that out of total interim, Rs. 362 has already released but the Government of Karnataka has not been able to spend it. As per the reports after detailed enquiry despite centre releasing funds so far Karnataka Government has spent only Rs. 39.25 crores and yet Chief Minister has been making allegation that Centre has not given a single paisa for drought relief.

From this what is clear is Chief Minister of Karnataka spends more time in blaming Centre and misleading the people of state rather than in getting time for relief works. I give example of my own constituency Dharwad which is also declared as drought hit area by State Government itself. So far Rs. 6 crores has

been provided to this district but the amount spent for relief is only Rs. 1.65 crores.

The total loss due to drought to this district is assessed at Rs. 150 crore. This is the picture that indicates how serious the Government of Karnataka and its Chief Minister is to this problem.

[*]SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): India is a land of unity in diversity. It reflects in the environment and ecology, geographic and climatic conditions also. Due to varied ranges of climatic environmental conditions prevailing at different parts of the country, while some place are affected by excess rainfall and subsequent flooding, some places are severely affected by scarcity of rainfall and drought. Farmers are the most affected in both the cases. The failure of monsoon rains in most parts of the country bring drought and becomes increasingly difficult for farmers to carry out agriculture. The same plight continues if there is heavy flooding due to cyclones and low pressure depressions. This is a permanent problem faced by most of the farmers in the country. Government's prolonged delay and reluctance in announcing a comprehensive national policy on Indian rivers and water bodies and to nationalize rivers in the country. The inter-linking of all the major rivers in the country and providing supply of river water from surplus area to deprived area is an important solution for solving drought problem in the country.

When parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are affected by severe drought due to shortage of rainfall during the crop seasons, the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odissa and West Bengal are affected severely by excess rainfall, cyclone and floods. In both the instances the farmers are most affected as their crops are damaged completely. Most of the rivers in the country, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the farmers in peninsular states particularly Tamil Nadu are in the clutches of either a severe flood or drought. This unfortunate situation is found in all other states like Madhya Pradesh, Maharashtra and

[*] Speech was laid on the Table.

Rajasthan which burden the farmers financially and they are unable to repay their loans resulting in the suicides of farmers in the country.

Our honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had continuously urging the Union Government to take appropriate steps to introduce a comprehensive national policy on Indian rivers and to nationalize all major rivers and also to execute the inter-linking of rivers in the country particularly the Peninsular Indian rivers.

Puratchi Thalaivi Amma has opined that the Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state disputes in water sharing but is the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured. Amma has urged the Government to consider creating a comprehensive national policy on Indian rivers and formulate a National river water grid policy and routes to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the Government can harness the excess water flowing in the rivers judiciously to benefit drought hit parts of the country.

Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has fought in the Hon'ble Supreme Court against the adamant Karnataka for getting the rightful share of Tamil Nadu from Kaveri River and won the water sharing rights of Tamil Nadu in a long legal battle which lasted for 3 decades. The publishing of the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in the Central Government Gazette notification is a great victory for the people of Tamil Nadu in the water sharing issue for Karnataka State. In the same way Amma fought and won a legal battle in Hon'ble Supreme Court for raising the water levels up to 142 feet in the Mullai Periyar Dam. Both the victories are historical and the farmers of Tamil Nadu praise Puratchi Thalaivi Amma as the "Saviour of Kaveri Water" and the "Pennycuick of the Modern Tamil Nadu".

But the Union Government has its responsibility and should expedite the process of consulting the Kaveri Management Board immediately and to direct the

Karnataka state to release water from Kaveri river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in monthly deliveries to ensure adequate release of Kaveri water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu during all months.

Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has urged the Union Government to protect the Mullai Periyar Dam by the CISF personnel. This is a very serious issue and there are some differences between the officials of Tamil Nadu and Kerala in carrying the normal routine maintaining works of the Dam. Such disputes could be solved only if the Union Government provide protection to Mullai Periyar Dam by the CISF personnel.

Agricultural and agro based industries are the back bone of our country. Farmers and agro-based allied workers constitute about 60% of our total population. Their service sacrifices has to be appreciated appropriately and provide adequate incentives for them to continuously practice agriculture.

Farmers in the country should be encouraged with good reasonable Minimum Support Price (MSP) for their produce. Without a sufficient MSP the efforts of farmers will go in vein and they will incur a loss. The Government should also instill confidence in the minds of farmers by following good procurement policies. Without these two initial actions our agrarian economy and agriculture will decline fast as most of farmers reluctant to take up agriculture any more.

Farmers needed to be encouraged in maximum possible ways like the introduction of comprehensive crop insurance schemes, issuance of kisan credit cards and provision of adequate financial support and adequate supply of seeds, fertilizers, insecticides and pesticides, farm equipments etc. Also at the time of drought or natural calamities like floods when their crops are damaged completely, the entire agriculture loans provided to them need to be waived completely. Their crop loss should be accessed accurately and quickly and should be given proper compensation, otherwise the cash starving farmers may not be in a position to

continue to practice agriculture after the damage of crops due to flood or loss of revenue due to severe drought conditions.

Farmers should be provided with all necessary financial, logistic and trade support to do trade on their own and get maximum benefit. There is a big gap between farmers and consumers. The middlemen menace has robbed the rightful income of farmers and consumers too have to spend more on the purchase of agricultural produce. Therefore the middlemen or mediator menace to be curbed completely so that farmers get decent income for their produce and the consumers also should make to pay less.

Tamil Nadu under the dynamic leadership of our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has introduced many innovative and first of its kind schemes to support farmers. Starting of many Fair price Green Fresh Farm outlets in various parts of Tamil Nadu has helped a direct trade access for farmers with the consumers and also curb middlemen menace. As a result of this farmers are getting good price for their produce and people are happy to pay less for the Green vegetables, fruits and other agro products of their very daily use.

Only when the farmers in the country are happy and peaceful, the country can march forward in all other fields. Therefore I urge the Union Government to provide all necessary support to farmers in the lines of our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for them to come out of the clutches of drought conditions and flood situations and make their agriculture and agro economy flourishing.

[*]**साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) :** पहले बेमौसम बारिश की मार और अब सूखे से बर्बादी। मानसून सीजन खत्म हो गया है और देश में सबसे ज्यादा सूखा इस बार उत्तर प्रदेश में पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 31 जिलों में 50 फीसदी से भी कम बारिश हुई है। पश्चिम यूपी हो या पूर्वी यूपी, सूखे की मार चारों ओर है। अक्टूबर में आमतौर पर धान की फसल कटने को तैयार रहती है, लेकिन पानी की कमी से फसल का बुरा हाल है। खेत सूख रहे हैं। किसानों का बुरा हाल है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में बिजली भी नहीं आती है कि किसान ट्यूबवैल या अन्य साधनों में सिंचाई कर पाएं। सिचाई के लिए किसान महंगे डीजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। ना तो नहर में पानी है और ना ही पिछले साल की खराब हुई फसल का सरकार ने कोई मुआवजा दिया है। बेशक प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है और ये सूखा एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है कि राज्य की नहरों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों की फसल ना सूखे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। जब बारिश ही नहीं हुई, तो नहरों में पानी कहां से आ गया।

यूपी के जिन किसानों ने धान की खेती की थी, अक्टूबर में फसल कटने को तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन मानसून ने दगा दे दिया और फसल अब सूखने की कगार पर है। मानसून सीजन के शुरूआत में बारिश अच्छी हुई है, तो किसान ने धान की खेती कर दी, लेकिन अंत बेहद खराब और साथ में तकलीफदेह। उत्तर प्रदेश में इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश नहें तो नहरें भी सूख गई और बिजली के इंतजार में नलकूप खुद सूखे पड़े हैं। किसान महंगे डीजल से सिंचाई करने को मजबूर है। अगर राज्य सरकार बिजली देती तो भला किसानों को डीजल से सिंचाई क्यों करनी पड़ती। ये सच है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में बारिश की मात्रा लगातार कम हुई है। प्रकृति पर किसी का जोर नहीं, लेकिन हालात को अगर सरकार गम्भीरता से लेती, तो शायद तस्वीरें इतनी भयावह नहीं होती। पिछली बार बेमौसम ओलों ने फसलें खराब की थीं और इस साल सूखे ने फसल को सुखा दिया है। किसानों के लिए अपनी जीविका चलाना काफी कठिन होता जा रहा है। इस बार सूखे की वजह से रबी की फसल भी खराब होने की पूरी आशंका है। किसान परेशान हैं और सूबे की सरकार सिर्फ वादे कर रही है।

---

[*]Speech was laid on the Table.

अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में धान के किसान अपने फसल की कटाई की तैयारी में लग जाते हैं। खेत में धान की बाली झूमती है और किसानों के चेहरों पर खुशियों की मुस्कान होती है। इस साल मानसून की शुरूआत अच्छी हुई थी इसलिए बड़ी संख्या में किसानों ने धान की खेती की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किसान बारिश की कमी की मार झेल रहे हैं। इस साल प्रदेश के 31 जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। हर तरफ सूखे जैसी स्थिति है और किसान लगातार महंगी सिंचाई करके थोड़ी बहुत जितनी भी फसल है उसे बचाने में लगे हैं। यह स्थिति कमोबेश पूरे राज्य मं है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो इस साल मानूसन की सबसे कम बारिश उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ऐसे में किसान राज्य सरकार से मदद की उम्मीद लगाये बैठे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से सूखे से जूझते किसानों की हाल-खबर ज्यादा नहीं ली जा रही है। गत 19 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 50 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। आश्चर्यजनक रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच को इस सूची से बाहर रखा गया है। वहीं पड़ोस के बलरामपुर और गौंडा जनपद को सूची में रखा गया। अब एक दूसरे से जुड़े जनपद में एक सूखाग्रस्त और दूसरा सूखामुक्त ये फार्मूला समझ से परे है और क्षेत्रीय किसानों में भारी रोष व्याप्त है। रबी में गेहूं की फसल के बाद अब खरीफ में धान की फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती हूं कि बहराइच को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाए और पीड़ित किसानों को तत्काल राहत मुहैया करायी जाये।

बारिश की कमी के कारण नहरें पहले से सूखी पड़ी हैं। जिन नहरों में थोड़ा बहुत पानी है भी उनसे पूरे राज्य के खेतों की सिंचाई नहीं की जा सकती। गांवों में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण से किसानों को ट्यूबवैल से सिंचाई करने के लिए डीजल खरीदना पड़ रहा है। महंगे डीजल और सूखे की मार ने उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरा वार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 साल से प्रदेश में बारिश की मात्रा कम ही होती जा रही है। लेकिन यह जानते हुए भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। आये दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सरकार को परिस्थिति की गम्भीरता को समझना होगा। राज्य सरकार को अविलम्ब सूखे की भयावह स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने होंगे। किसानों की बात यहां

बैठे हमारे विपक्षी भाई करते रहते हैं पर यही समय है जब ये दल और इनकी सरकारें ये साबित कर सकती हैं कि इनकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार दूसरे या तीसरे वर्ष सूखा पड़ रहा है, एक बहुत बड़े इलाके में खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में किसान रबी की फसल बोने की स्थिति में भी नहीं हैं। पीने के पानी का संकट है। लोग पशुओं को बेच रहे हैं या यूं ही छोड़ दे रहे हैं। प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में प्रशासन तंत्र सूखे के शिकार किसान और मजदूरों को मदद पहुंचाने में असमर्थ रहा है। ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सरकार से बहुत अपेक्षा होती है। लेकिन किसान को इस साल का मुआवजा तो दूर पिछली फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। इस संकट की घड़ी में जिन लोगों को सस्ते अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनमें से अधिकांश उस राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। जानवरों के लिए तो यह सूखा अकाल में बदलता ही जा रहा है। अगर सरकार की ओर से जल्द ही कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह भी आशंका है कि प्रदेश के काफी इलाकों में अकाल की भयावह स्थिति भी बन सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में हर साल बाढ़ और सूखे के हालात बने रहते हैं। ऐसे में एक दीर्घकालिक नीति के तहत इनसे निपटने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाया जाए जिससे इनकी रोकथाम की जा सके और इनसे होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, please go to your seats. I will allow you.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, go to your seats; I will call you to speak.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You go to your seats; I will call you.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav.

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। ...(व्यवधान) कहीं सुखाड़ है और कहीं बाढ़ है। इससे एक राज्य ही नहीं, बल्कि देश के कई प्रदेश इसकी चपेट में हैं। ...(व्यवधान) देश के कोने-कोने में बाढ़ और सुखाड़ है। इससे स्थिति बहुत ही भयावह और जानलेवा है। आज ऐसे वक्त में सदन में सुखाड़ पर बहस हो रही है, यह बहुत ही खुशी की बात है। ...(व्यवधान) आज हमारे सामने जो सुखाड़ की स्थिति है, उस पर चर्चा हो रही है।...(व्यवधान) आज बिहार भी सुखाड़ की चपेट में आया है और बिहार का बहुत बड़ा भूभाग सुखाड़ की चपेट में है।...(व्यवधान) स्थिति बहुत ही भयावह है।...(व्यवधान) राज्य सरकार अपने संसाधनों से...(व्यवधान) जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं, उनके लिए काम राज्य सरकार कर रही है बिहार में, लेकिन केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार में सुखाड़ से लड़ने के लिए स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए।...(व्यवधान) किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की नब्ज है।...(व्यवधान) किसान की आत्मा और नब्ज पर हाथ रखकर ही देश को हम समृद्ध कर सकते हैं।...(व्यवधान) स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से गुजरता है। अगर हमारे किसानों की स्थिति बदतर रहेगी तो देश की हालत कभी सुधर नहीं सकती है। ...(व्यवधान) इसलिए हमें बड़े पैमाने पर किसानों के हक के लिए, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। ...(व्यवधान) जो बड़े बाप के बेटे होते हैं, उनके लिए तरह-तरह से इंतजाम होते हैं, लेकिन किसान, छोटे काश्तकार और गरीब लोग हैं,...(व्यवधान) वे मजदूर लोग हैं, वे सामान्य लोग हैं...(व्यवधान) गांव के लोग हैं...(व्यवधान) समाज के किसी भी वर्ग के हैं, लेकिन किसान हैं।...(व्यवधान) किसान संगठित नहीं है, किसान असंगठित है।...(व्यवधान) लेकिन आज किसान ही हमारे देश की आत्मा है।...(व्यवधान) किसानों के दर्द को समझना, किसानों के लिए बेहतर प्रबन्धन करना, ...(व्यवधान) चाहे का बिहार का सूखा हो या बाढ़ की स्थिति हो।...(व्यवधान) कोसी का हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित है। ...(व्यवधान) मधेपुरा, सहरसा से लेकर जो हमारा दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, ...(व्यवधान) भागलपुर है, मुंगेर है, ...(व्यवधान) बांका है, जमुई है, जो सीमांचल का इलाका है, ...(व्यवधान) चाहे बिहार का चतुर्दिक इलाका है, ...(व्यवधान) आज रोटी मिलती है खेती से, कमाई होती है खेती से।...(व्यवधान) आज वहां सूखा पड़ा है। ...(व्यवधान) आपने 50-50 प्रतिशत किया है।...(व्यवधान) इसमें राज्य सरकार को आपने कोई विशेष साधन नहीं दिए हैं।...(व्यवधान) इसीलिए आज जो खेत को जोतता है, जो उसको बोता है,

...(व्यवधान) आज किसानों का ऋण माफ होना चाहिए।...(व्यवधान) केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए।...(व्यवधान) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि आज बिहार के बड़े भूभाग में जो सुखाड़ की स्थिति है, ...(व्यवधान) उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है।...(व्यवधान) राज्य सरकार अपने संसाधनों से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है।...(व्यवधान) बिहार की जो हुकूमत है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अगुवाई करके...(व्यवधान) बिहार में अपने संसाधनों से बिहार के किसानों के हित का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन इसमें केन्द्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है...(व्यवधान) कि आप सहायता दें।...(व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार सुखाड़ से निबटने के लिए बिहार को विशेष पैकेज देना चाहती है? ...(व्यवधान) अभी तक भेदभाव करने का काम किया है।...(व्यवधान) आज बिहार के साथ इतना भेदभाव किया गया है कि बिहार के मनरेगा के पैसे में कटौती की गयी है। पीएमजीएसवाई के पैसे में कटौती की गयी, इंदिरा आवास योजना के पैसे में कटौती की गयी।...(व्यवधान) बिहार शिक्षा परियोजना में कटौती की गयी।...(व्यवधान) संसाधनों में भारी कटौती करने का काम किया गया है, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं।...(व्यवधान)

[*]**श्रीमती रमा देवी (शिवहर) :** इसमें कोई शक नहीं कि देश के कृषि के क्षेत्र पर पहले से मंडरा रहे संकट के बादल अब और गहरा गये हैं । इसी वर्ष फरवरी-मार्च में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल चुके कृषि क्षेत्र को अब एक बार फिर सूखे की स्थिति से दो-चार होना है । मानसून की बेरुखी के चलते देश के आधे से ज्यादा राज्य गंभीर सूखे की चपेट में रहे ।

लौटते समय भी मानसून की बारिश नहीं होने से मिट्टी में नमी की भारी कमी है। इससे चालू रबी फसल की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है । सूखे से प्रभावित ज्यादातर राज्यों ने केंद्र सरकार को इसकी सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों का सूखे से सबसे बुरा हाल हुआ है । इन दोनों राज्यों में केंद्र को अब तक कोई इत्तला नहीं की है । लिहाजा वहां के किसान सूखे से और ज्यादा बेहाल हैं । रबी फसलों की बुवाई में लगातार देर हो रही है। नहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति न होने से सूखे खेतों की भराई करना भी संभव नहीं हो पा रहा है । जबकि, दूसरी ओर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित कर, अपने-अपने प्रदेश के किसानों के लिए सहायता मांगी है । इसके लिए केंद्रीय टीम वहां हुए नुकसान का आकलन कर रही है । कर्नाटक को मोदी जी की सरकार से डेढ़ हजार करोड़ रू. की सूखा राहत राशि मंजूर हो चुकी है । आंध्र प्रदेश व उड़ीसा ने अपने यहां सूखे की गंभीरता पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। मुझे खुशी है कि देश में सूखे के हालात पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी निगाह रखे हुए हैं और सूखे को लेकर राज्यों की गुहार पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है। परन्तु, अफसोस इस बात का है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने सूखे को लेकर अब तक गंभीर उदासीनता बरती है ।

यकीनन लगातार दूसरे वर्ष भी कमजोर मानसून और सूखे का संकट किसानों के साथ-साथ उद्योग जगत और देश के आर्थिक प्रबंधकों का दिल दहल रहा है, क्योंकि रोजगार और उपभोक्ता मांग से कृषि क्षेत्र का परस्पर गहरा नाता है। इस बार कम बारिश से स्थिति इसलिए भी अधिक भयावह हो सकती है क्योंकि देश पिछले वर्ष भी कम बारिश की मार झेल चुका है ।

हम ज्यादा या कम बारिश के लिए मानसून को दोषी ठहरा सकते हैं । पर, इनसे पैदा होने वाली समस्याओं से मुंह नहीं छुपा सकते । सूखे की स्थिति को कम करने के लिए या मानसून पर

---

[*]Speech was laid on the Table.

किसानों का सब कुछ आश्रित न हो इसके लिए आवश्यक है कि परम्परागत सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा दिया जाये। साथ ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत स्कीम बनाकर क्रियान्वयन किया जाये जिससे यहां सिंचाई संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए नदियों एवं छोटे-छोटे नहरों को परस्पर जोड़ा जा सके ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके तथा देश में किसी न किसी राज्य में हर वर्ष आने वाले सूखे की स्थिति से निपटने में सरकार सक्षम हो सके ।

[*]**श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) :** महाराष्ट्र में लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण यहां के किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र इस समय विगत पचास सालों का सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। यहां बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं । महाराष्ट्र में 16 जिले सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं । महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इस समय राज्य के 14708 गांव भयंकर सूखे की चपेट में है । नेशनल क्राइम ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 2568 किसान महाराष्ट्र में आत्म हत्या कर चुके हैं । मेरे क्षेत्र में दिन ब दिन गिरते भू-जल स्तर तथा कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र की अमरूद, नींबू व अंगूर जैसी नगदी फसल, जिसमें फलों का उत्पादन शामिल है, का भी काफी हद तक घट गया है ।

जलगांव की तो आठ तहसीलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं । जलगांव में तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बारीश न होने के कारण जनता को पीने के लिए पानी तक मयस्सर नहीं है । भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है तथा सभी नलकूप सूख गए हैं । इस साल खरीफ की फसल की बुवाई करने के बाद बारीश न होने के कारण किसानों ने कर्ज लेकर जो भी खाद, बीज आदि पर निवेश किया था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है । इसी प्रकार गत माह रबी की बुवाई के बाद भी कोई बारीश नहीं हुई, जिसके कारण इसकी बुवाई में किया गया निवेश भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है । किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है ।

जलगांव जिले में कई नदियां हैं, जिनमें ताप्ती, बोरी, अंजनि, गिरणा, तितुर, पांझरा आदि शामिल हैं । यदि इन नदियों का रखरखाव ठीक तरह से किया जाए तो किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, अपितु लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो पाएगा । लगातार सूखे के कारण मेरे जलगांव क्षेत्र में ताप्ती नदी, गिरणा नदी में मानक जल की उपलब्धता काफी कम हो गई है। महाराष्ट्र की कई सिंचाई योजनाएं दशकों से अधर में लटकी हुई हैं । कुछ योजनाओं पर पैसे की कमी के कारण अमल नहीं हो पाया है तो कुछ योजनाएं संबंधित विभागों से अनुमति मिलने में देरी के कारण लंबित है। पहली योजना ताप्ती और नर्मदा नदियों को आपस में जोड़ना था । दूसरी योजना में दमनगंगा और पिंजार नदी को जोड़ना था । तीसरी योजना लोअर

---

[*]Speech was laid on the Table.

ताप्ती परियोजना जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में पदलसारे लोअर तापी परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोला, धरणगांव, एरंडोल, पाचोरा, भडगांव और चोपड़ा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाली उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके । जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है । परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शीघ्रतिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके तथा जलगांव और आसपास क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो सके । हालांकि महाराष्ट्र सरकार शिरपुर पैटर्न बांध बनाने पर जोर दे रही है परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है । किसानों को जल संचयन हेतु आवश्यक तकनीक व वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे कार्य किया जा सके ।

कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा राहत मिलने में देरी के कारण और भी बड़ी संख्या में किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं । महाराष्ट्र सरकार ने इस भयंकर सूखे की स्थिति से खरीफ की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 4330 करोड़ रुपये की मांग की है । यहां उल्लेखनीय यह है कि कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण केवल 55 प्रतिशत किसान ही सूखा राहत मिलने के हकदार हैं। सरकार ने आत्महत्या करने वाले किसानों को सूखा राहत देने के लिए दो शर्ते लगाई हैं - एक यह कि जमीन किसान के नाम होनी चाहिए तथा दूसरी यह कि किसान कर्ज में डूबा हुआ होना चाहिए। यहां मैं बताना चाहूंगा कि अनेक किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे बड़े किसानों से जमीन सलाना लीज पर लेकर उस पर खेती करते हैं । ऐसे किसानों को सरकारी शर्तो के कारण कोई राहत नहीं मिल पाएगी । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे तथा सभी किसानों को सूखा राहत तथा फसल बीमा योजना दोनों ओर से राहत मुहैया करवाई जाए ताकि किसान दुबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकें ।

भयंकर सूखे के कारण राज्य में चारा भी उपलब्ध नहीं है तथा चारे की कमी के कारण पालतू जानवर- गाय, भैंस रोजाना मौत के शिकार हो रहे हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । उसने कुछ एकड़ भूमि चारा उगाने तथा पशुओं के लिए शैल्टर स्थापित करने के लिए आवंटित कर दी है, जिसमें पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है तथा साथ ही साथ पशुओं को रखा भी जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी व्यवस्था देश के सभी राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र में की जाए ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भुखमरी का शिकार न हो ।

, महाराष्ट्र में कई साल से लगातार सूखे की स्थिति के कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है । मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाये, जिसमें किसानों के पुराने सभी कर्ज माफ किए जाएं। किसानों को आगे खेतों की बुवाई के लिए नए कर्ज उपलब्ध कराए जाएं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए । फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिया जाये।

सूखे की स्थिति के कारण रोजगार की स्थिति भी बहुत भयावह हो गई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां के किसानों तथा बेरोजगार लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नये रोजगार प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार, नरेगा के अंतर्गत इस समय 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाता है । महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यहां के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 150 दिनों की दर से रोजगार दिलवाने के आदेश शीघ्रतिशीघ्र जारी किए जाएं ।

मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत कर्ज के आधार पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं । जलगांव में सूखे की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर जल्द से जल्द सोलर पंप मुहैया करवाए जाएं ।

महाराष्ट्र में लगतार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए यहां के लिए एक दीर्घकालीन समेकित सिंचाई योजना बनाए जाने की जरूरत है, ताकि महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके तथा यहां की उपजाऊ भूमि का सदुपयोग कर किसानों के जीवन स्तर पर सुधार करने के साथ ही साथ उनकी आत्महत्याओं के प्रयासों को भी रोका जा सके । मेरा सरकार से यह

भी अनुरोध है कि विशेषकर जलगांव को भयंकर सूखे की स्थिति से उबारने के लिए एक समेकित योजना बनाई जाए तथा उसे योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाए, जिसमें स्थानीय नदियों के जल संचयन की व्यवस्था, किसानों को आवश्यक तकनीक, उर्वरक, बीज आदि मुफ्त उपलब्ध कराएं जायें ताकि उसे कई सालों से लगातार हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके ।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की उपरोक्त सभी समस्याओं पर प्राथमिकता के साथ विचार कर उन्हें निपटाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएगी, ताकि महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके ।

*[*]**श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):** मैं झारखंड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । झारखंड के लगभग सभी 24 जिले सूखे की चपेट में हैं । सरकार ने हाल ही में राज्य को सूखा प्रभावित घोषित किया है । अगस्त व सितम्बर में हालांकि सामान्य से केवल 20-25 फीसदी बारिश हुई जिसके कारण किसानों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है । गत वर्ष का मुआवजा अब तक कई किसानों को नहीं मिल पाया है । सारी फसलों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है । फसल की उत्पादकता 30 प्रतिशत से कम हो चुकी है, जो बेहद चिन्ता का विषय है । मेरे जिले में खेती और खेती पर निर्भर व्यवसाय ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है । इसलिए राज्य शासन के साथ-साथ केंद्र सरकार भी किसानों को राहत दिलाने में अपना सहयोग दें, जिसमें फसला बीमा, बिजली के बिल में माफी और किसानों के बच्चों की स्कूल फीस की माफी कराएं और मुआवजे के तौर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध करवाएं ।

देश के चौथे सबसे बड़ा महानगर चेन्नई में हुई बीते दिनों की बारिश ने पिछले 100 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है । वहां बारिश से जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है । बाढ़ और सूखा कोई नई बात नहीं है । यह ऐसा दुष्चक्र होता है, जिससे बाहर निकालना बेहद कठिन है । तो क्या सूखे से बचा जा सकता है? हां, इस संकट का सहजता से सामना करने का एकमात्र रास्त है-सावधानी और प्रबंधन ।

झारखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है । झारखंड राज्य की जनता की लगभग 70-80 प्रतिशत आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है । झारखंड राज्य में खेती की संभावनाओं के मद्देनजर इस वर्ष खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य से अधिक किया गया था, परन्तु माह सितम्बर तथा अक्टूबर में वर्षा नगण्य हुई, जिसके फलस्वरूप खेतों में पड़ी खरीफ की फसलों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा एवं राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

राज्य में अल्पवृष्टि को देखते हुए विभाग के द्वारा सभी जिलों को यह निदेशित किया गया था कि वे अल्पवृष्टि के कारण हुई क्षति का आकलन करें । जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार

---

[*]Speech was laid on the Table.

कतिपय जिलों में 60 प्रतिशत तक फसल क्षति हुई है। राज्य के अधिकतर जिलों में 25-40 प्रतिशत तक फसल क्षति प्रतिवेदित है ।

राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इसका राज्य स्तर पर आकलन करने हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी पहली बैठक दिनांक 19.11.2015 को संपन्न हुई । उक्त बैठक में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इससे निपटने हेतु कतिपय सुझाव दिए गए जिनमें मुख्यतः किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम राशि जो उनके द्वारा भुगतान की गई है उसकी वापसी, मनरेगा के तहत विशेष रूप से सुखाड़ से अति-प्रभावित 126 प्रखंडों में प्रत्येक ग्राम में एक कार्य निश्चित रूप से प्रारंभ करने तथा मनरेगा एवं जलछाजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण निर्मित कूपों एवं तालाबों के लिए सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पम्पसेट एवं चेक डेम निर्माण, आगामी रबी फसल एवं खरीफ 2016 के लिए बीज पर अनुदान की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट का वितरण, किसानों को डीजल पर अनुदान देने हेतु एवं पूर्व से निर्मित तालाबों के गहरीकरन कार्य, किसानों को मोबाईल एस.एम.एस. के माध्यम से लगातार उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किसान पोर्टल का निर्माण, कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निदेशित किया गया । साथ ही सभी संबंधित विभागों द्वारा किसानों के हित में कराये जा रहे कार्यों की सूची लाभान्वितों की सूची आदि की संपूर्ण विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का भी निदेश समिति द्वारा दिया गया। किसानों को अधिक से अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया है ताकि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सके ।

राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के माध्यम से रक्षात्मक सिंचाई की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु भी सभी जिलों को निदेशित किया गया है । जिला स्तर पर गठित स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से आयोजित करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया है ताकि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को समसय हरसंभव सहायता प्रदान की जा सके ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2015 को राज्य में वर्तमान में किसानों/ फसलों की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है तथा भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक मेमोरैंडम आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से प्रेषित किया गया है ।

पानी की हर बूंद को बचाना, पेड़ों का रोपण, खेती में बदलाव, जमीन को मवेशियों की अतिचराई से बचाना- ये ऐसे निदान हैं, जो कम बारिश के बावजूद सूखे के हालात बनने से रोक सकते हैं । पीने के लिए स्वच्छ जल, खेत के लिए पर्याप्त सिंचाई, साफ-सफाई के लिए पानी और मवेशियों के लिए पेयजल के बगैर इंसान का जीवन असंभव है । कम बारिश के संभावित इलाकों की जानकारी सभी को हे । बारिश के समय पानी को रोकने के हरसंभव उपाय किये जाएं ।

पारंपरिक तालाबों की सफाई, मरम्मत व गहरीकरण गर्मी के महीनों में कर लें ताकि जलसंग्रह हो सके । पुराने तालाबों, झालों के किनारों से पानी की आवक के रास्ते में यदि कोई रुकावट हो, तो उन्हें हटा दें । पुराने कुओं की नियमित सफाई करें । जिन रास्तों से पानी बह कर नदी-नालों में जाता हो, उसके आस-पास कुएं खोदें । गांव-मुहल्ले के हैंडपंपों की सफाई, मरम्मत करें । पक्के घरों की छतों पर बारिश के पानी की निकासी को नाली में बहने देने से रोकें । इस पानी को किसी पाईप के जरिए, जमीन में गहरा उतार दें । इसे ''वाटर हारवेस्टिंग'' कहते हैं । हैंडपंप और ट्यूबवेल के करीब छोटे-छोटे गड्ढ़े या तलैया खोदें, जिससे बारिश का पानी इनमें एकत्र हो । यह पानी भूजल को ताकत देता है । बर्तन और कपड़ों की धुलाई, वाहन व अन्य चीजों की सफाई में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें । जहां जरूरी न हो डिटरजेंट-साबुन का प्रयोग कतई न करें । डिटरजेंट की सफाई में अधिक पानी लगता है । हैंडपंप से बहे बेकार पानी को एकत्र करने की व्यवस्था करें । यदि पक्की हौद या टंकी बना लें तो बेहतर होगा । यह पानी मवेशियों के लिए जीवनदायी होगा ।

जहां हरियाली होगी, वहां बादल जरूर बरसेंगे, यह बात विज्ञान से सिद्ध हो चुकी है। सूखे के हालात में पेड़ों की मौजूदगी किसी चमत्कार की तरह होती है । पेड़-पौधे जमीन की नमी बरकरार रखते हैं, साथ ही, मिट्टी की ऊपरी सतह को टूटने-बिखरने से बचाते हैं । गांव के स्कूल पंचायत और ऐसी ही सार्वजनिक जगहों पेड़ लगाए जाएं । ध्यान रहे पेड़ वहीं चुनें जो पारंपरिक रूप से आपके इलाके का हो। सफेदा या विलायती बबूल लग तो जल्दी जाता है, लेकिन यह नए संकटों को बुलावा देता हैं । फलदार पेड़ आय का वैकल्पिक साधन बनते हैं । आम, जामुन, नीम, नींबू जैसे

पेड़ ज्यादा उपयोगी होंगे। नदी, तालाबों के किनारे पड़ी बेकार जमीन पर चारा उगाएं । यह संकट के समय मवेशियों के लिए उपयोगी होगा । इससे जमीन का क्षरण भी रूकता है । मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, सो अलग। बगैर पानी के खेती संभव नहीं हैं। आज कई ऐसे बीज बाजार में आ गए हैं, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही फसल भी जल्दी तैयार होती है। खेतों के आस-पास छोटे-छोटे तालाब बनाएं। यह पानी भूजल के लिए फायदेमंद होगा। मक्का की जीएम-6, धान की अशोका-114 के अलावा चने की भी कुछ ऐसी किस्में उपलब्ध हैं, जो कम पानी मांगती हैं। रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट का इस्तेमाल भी खेतों में पानी की मांग को कम करता है।

सूखे का पूरे जन-जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। इसके बाद विकास के काम ठप्प हो जाते हैं। जो पैसा या संसाधन विकास के कामों में लगता है, वह राहत व पुनर्वास में खर्च हो जाता है। भोजन, खेती, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी ही कई समस्याएं सूखा साथ लेकर आता है। सूखे से संभावित क्षेत्रों में प्रबंधन के तीन प्रमुख चरण होते हैं। सूखे-पूर्व तैयारी, सूखे के दौरान प्रबंधन, जन-जीवन सामान्य बनाने हेतु कदम। सूखे या ऐसी किसी आपदा को नियंत्रित करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसका पूर्वानुमान होने पर इससे जूझने की तैयारी जरूर की जा सकती है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourn to meet again at 5.45 p.m.

17.39 hours

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Seventeen of the Clock.

17.45 hours

The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past Seventeen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virendra Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, one minute. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy-Speaker, Sir, the entire country is eagerly looking to Parliament for discussion on drought. देशभर में सूखे का मामला बहुत गम्भीर है। खुद कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था और उनके सदस्य ने लम्बा भाषण भी दिया था। ठीक है, भाषण देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके दूसरे साथी और सदन के अन्य सदस्य भी अपने-अपने प्रदेशों में सूखे के बारे में अपना दुख-दर्द यहां व्यक्त करना चाहते हैं। कई सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हमें भी इस विषय पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खासकर मराठवाड़ा और पंजाब आदि अन्य जगहों में सूखा पड़ा है। ऐसे गम्भीर मामलों पर इस तरह से हंगामा करना, डिप्टी स्पीकर साहब की चेयर के सामने आकर इस तरह से अवहेलना करना सही नहीं है। खड़गे जी इतने अनुभवी और सीनियर मेम्बर हैं। उनकी पार्टी के लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह चुप बैठे हैं, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है और मेरे मन में दुख भी हो रहा है। …(व्यवधान) इसमें शेम का कोई सवाल नहीं है, शेम पार्लियामेंट को होगा। सभी देशवासी देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। इश्यू है तो उसे रेज़ करें, उस पर बहस करें, प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन इस तरह से हाउस को नहीं चलने देना, डिप्टी स्पीकर साहब की चेयर तक आना।

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I really appreciate your patience. The way the Members came up to your Table and then tried to do all these things are not at all

acceptable in Parliamentary democracy. This is totally unbecoming of Members of Parliament. I would request them to restrain from doing this and allow the Parliament to function. Let us discuss and highlight the issues relating to drought across the country and get solutions from the Government. That is my request to all the Members including my Congress friends. … (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इस विषय को रोकें या डिसकशन न होने दें। इस विषय पर बहस कराने का प्रस्ताव हमने ही रखा था। डिसकशन चल भी रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो बहुत गम्भीरता से सोचने वाले हैं, जीरो ऑवर को आप समय देते हैं, नियम 377 के अधीन मामलों में भी रीडिंग के लिए भी समय देते हैं, अनइम्पोर्टेंट बिल्स आप यहां पेश करते हैं, लेकिन इसे मौका नहीं देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम उसे रोक रहे हैं।...(व्यवधान)

एक मिनट रुकें, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please cooperate.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am on my legs. … (*Interruptions*) मैं इसीलिए उनसे अपील करता हूं। उन्हें एक ही चिंता है, हमें नहीं है, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। जितनी चिंता उन्हें है, हमें उससे भी ज्यादा है। इसीलिए तो हमने जब सरकार में थे, किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। आपने क्या किया? आपने क्या दिया, डेढ़ साल में एक दमड़ी, एक पैसा भी नहीं दिया, फिर भी आप किसानों की बात करते हैं। आपने एम.एस.पी. भी नहीं दिया। हमारे जमाने में 200-300 रुपए एम.एस.पी. दिए और आपने पांच रुपए, दस रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए या 100-200 रुपए दिए। वे कह रहे हैं कि हमारे मेम्बर्स का बिहेव बहुत खराब है।

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He says that the behaviour of our Members is very bad. If he considers that the behaviour of our Members is very bad, then their Government is the very worst. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister wants to respond.

… (*Interruptions*)

कृषि और कृषक कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये चर्चा से क्यों बाहर जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों के ऋण माफ किए हैं, लेकिन 68 बरस में कौन-कौन से करतब किए हैं, उस कारण चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हमारी सरकार ने क्या-क्या किया है, उस पर चर्चा कीजिए, उससे क्यों भाग रहे हैं, जबकि इन्होंने ही चर्चा शुरू की थी, फिर ये क्यों चर्चा से भाग रहे हैं, ये अपने करतब छिपाने के लिए ही चर्चा से भाग रहे हैं।...(व्यवधान) हम चर्चा करना चाहते हैं, कोई हंगामा नहीं करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

17.49 hours

(At this stage Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table).

...(व्यवधान)

17.49 ¼ hours

(At this stage Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members went back to their seats).

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमें मालूम है कि आपने किसानों के बारे में क्या किया है। हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। कृषि ऋण का इंटरेस्ट रेट कम करके हमने कृषि को सपोर्ट किया। इसके अलावा एम.एस.पी. ज्यादा बढ़ाया।...(व्यवधान) आप बैठ जाएं, बीच-बीच में क्यों टोकते हैं...(व्यवधान) I am on my legs. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him finish.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने गेहूं को सपोर्ट किया, हमने गेहूं के लिए ज्यादा एम.एस.पी. दिया, पल्सेज के लिए ज्यादा दिया। आपके जमाने में क्या हुआ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. The hon. Minister will reply on that.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर कानून आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत होता है। यहां हमारे माननीय सदस्य, श्री तारिक अनवर जी ने डिविजन के लिए पूछा, गवर्नमैन्ट उस वक्त डिविजन के लिए तैयार क्यों नहीं हुई।...(व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं, जब सारी चीजें...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: That point is over. I had already given the ruling.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, Sir… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Regarding the point raised by Shri Tariq Anwar, I had already given my ruling; and afterwards, you are raising it here. That matter is over.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Now, they want to become the champions of farmers! They are not doing anything to the farmers… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Such people are talking and we have to tolerate for that… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is why, Sir… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Virendra Singh.

… (*Interruptions*)

17.51 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : उपाध्यक्ष जी, आज सूखे पर चर्चा हो रही है, कुछ दिन पहले बाढ़ पर चर्चा हुई थी। मैं किसान होने के नाते बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसान बाढ़ से, सूखा से या प्राकृतिक आपदा से कितना पीड़ित होता है।...(व्यवधान) सिंधिया जी ने यह सवाल उठाया और इसे शुरू किया। ये लोग रोज संसद के सदस्यों के अधिकारों पर आक्रमण करना चाहते हैं तो इन्हें यह जान लेना चाहिए कि 545 लोग यहां चुनकर आते हैं और ये 40 लोग उनके अधिकारों पर आक्रमण करना चाहते हैं तो इनकी ही बाजू में ताकत नहीं हैं, यह इन्हें जान लेना चाहिए। ...(व्यवधान) हम लोग संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा अनुशासन में बंधे हैं, यह मैं आप सभी को बता रहा हूं, नहीं तो इन लोगों की दवा यहां नहीं, खेत में गांव के किसान कर सकते हैं, इस बात को मैं कह सकता हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या का समाधान मुकाम तक पहुंचना चाहिए,...(व्यवधान) इस देश में बहुत बार चर्चा हुई, 1991 से मैं संसद में हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसानों की समस्या का समाधान मुकाम तक पहुंचना चाहिए। ...(व्यवधान) अभी खड़गे जी कह रहे थे कि 72 हजार करोड़ कर्जा हमने माफ किया। आपने 72 हजार करोड़ रुपये कर्जा माफ किया तो उससे लाभ किसे हुआ, बैंक को लाभ हुआ। ...(व्यवधान) जो किसान कर्जा अदा कर रहे थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा उसका माफ हुआ, जो कर्जा अदा नहीं कर रहे थे। मैं सिधिया जी और खड़गे जी से इसका जवाब चाहता हूं कि बैंकों में जाकर देखो कि कर्जा माफ करने से किसका फायदा हुआ। ...(व्यवधान) यह न मेरे बाप का पैसा है और न तुम्हारे बाप का पैसा है, वह पब्लिक मनी है और किसानों ने वह पैसा जमा किया है, किसानों के राजस्व से वह पैसा जमा होता है। जब आपदा आती है तो किसानों को सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, इसलिए वह होता है।...(व्यवधान) उसका लाभ बैंकों को हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सूखे से किसानों का जो नुकसान हुआ है, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि ये सिंधिया जी और राहुल गांधी किसानों की चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) इन लोगों ने किताबों में किसान के बारे में पढ़ा है, हम लोग खेतों में किसान को जानते हैं। इन लोगों को जौ, गेहूं और बाजरा की फसल पहचानने की बात की जाए तो ये नहीं पहचानेंगे, किताब पढ़कर किसान के बारे में बताते हैं। ...(व्यवधान) ये नहीं जानते हैं कि जाड़े में किसान को क्या तकलीफ होती है। वे भेड़ के बाल के कम्बल ओढ़ते और बिछाते हैं।..... *

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

ये कहते हैं कि यह सूट-बूट की सरकार है। किसानों के लाभ के लिए नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस पहली सरकार ने जो काम किया है, उसमें किसानों को पेंशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है और ये कहते हैं कि सूट-बूट की सरकार है।...(व्यवधान) यह नहीं जानते हैं कि यह लोकतंत्र की शक्ति है। ... * किसान का बेटा जब वहां बैठता है तो इनके पेट में दर्द पैदा हो जाता है। जब चौधरी चरण सिंह को समर्थन से इन लोगों ने उन्हें वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, चंद्रशेखर को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, श्री देवेगौड़ा को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया। गुजराल को वहां बैठाया तो उन्हें भी नहीं रहने दिया। ...(व्यवधान) वहां कौन बैठना चाहिए? ...(व्यवधान) जो ... * या तो नेहरू परिवार में पैदा होना चाहिए। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, ... * आज लोकतंत्र है, जमींदारी बहुत पहले समाप्त हो गई है। ...(व्यवधान) ये जान लेना चाहिए कि अब केवल रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र ने मेहतरानी की कोख से भी राजा पैदा करने की इजाजत दे दी है। ...(व्यवधान) इनकी पीड़ा नरेंद्र मोदी से यह है कि एक गरीब का बेटा वहां क्यों बैठा है। ...(व्यवधान) असली पीड़ा यही है। ...(व्यवधान) इनके पेट में दर्द यही हो रहा है। यह दूसरा दर्द नहीं है। ...(व्यवधान) ये सूट-बूट की बात करते हैं। ...(व्यवधान) पूंजिपतियों के सूट को ढोने वाले लोग सूट-बूट की बात करेंगे? ...(व्यवधान) अच्छे कपड़े पहन कर कोई किसान का बेटा आता है तो इनको बड़ा खराब लगता है। ...(व्यवधान) ... * लेकिन मुझसे बड़ा किसान यह नहीं है। ...(व्यवधान) चलो खेत में और खलिहान में, मैं दिखा देता हूँ कि जितना अनाज मैं पैदा करता हूँ, इनकी सात पुश्तों ने उतना अनाज नहीं पैदा किया होगा। ...(व्यवधान) ये क्या बात करेंगे। ...(व्यवधान) ये हमारे प्रधान मंत्री को चुनौती देते हैं? मैं इनको चुनौती देता हूँ। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, खेती की जमीन बहुत कम हो रही है। ...(व्यवधान) हरित क्रांति का 50वां साल मनाया जा रहा है। ...(व्यवधान) हरित क्रांति से बहुफसली फसलें खत्म हो गई हैं, जो कम दिन में पैदा होने वाली होती हैं। ...(व्यवधान) कम दिन में पैदा होने वाली सावा, कोदो, सेई आदि फसलें 35 से 40 दिन में पैदा होती थीं। ...(व्यवधान) जो गरीबों के लिए बहुत खुशहाली पैदा करती थी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सूखे में पशुपालन को बढ़ावा देने की जरूरत है। ...(व्यवधान) मैं इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि जिसके घर में दूध नहीं जाता है, उसके घर में दवाई की बढ़ोत्तरी हो जाती है। ...(व्यवधान) ये बंदेलखण्ड की बात कहते हैं। ...(व्यवधान) रिकार्ड से देख लीजिए, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) इसका रिकार्ड सिंधिया के पास नहीं है। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

वे घोटाले की बात कहते हैं। ...(व्यवधान) घोटाला सबसे पहले किसने शुरू किया? ...(व्यवधान) जब घोटाला होता है, नेहरू के ज़माने से, हरिदास मूंदड़ा कांड हुआ, जीप घोटाला हुआ तो उस समय प्रधान मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। ...(व्यवधान) टी.टी. कृष्णामचारी, वित्त मंत्री इस्तीफा देते हैं। ...(व्यवधान) जब भी कोई घोटाला होता है, तो इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती हैं, वी.के. कृष्णमेनन इस्तीफा देते हैं। ...(व्यवधान) जब भी कोई घोटाला होता है, तो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप इस्तीफा देते हैं, राजीव गांधी इस्तीफा नहीं देते हैं। ...* कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन यह जान लो कि नरेंद्र भाई मोदी को इस लोकतंत्र ने इतनी ताकत दे कर वहां भेज दिया है कि वह पांच साल नहीं, बीसों साल तक वहां बैठेगा और वही किसानों के खुशहाली के दिन तय करेगा। ...(व्यवधान) ये सिंधिया और राहुल गांधी किसानों की खुशहाली के दिन तय नहीं करने वाले हैं। ...(व्यवधान) मैं बताता हूँ कि ये किसानों की बात करते हैं। ...(व्यवधान) ये लोग किसान को किताब में पढ़ते हैं और हम लोग किसान को खेत से जानते हैं। ...(व्यवधान) ये क्या किसानों की बात करेंगे? ...(व्यवधान) मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ...(व्यवधान) कहीं भी खेत, खलिहान, चौराहे पर किसानों की समस्या के सवाल पर हम लोग बहस कर सकते हैं। ...(व्यवधान) इस बात के लिए राहुल गांधी और सिंधिया को कहिए, चाहे जो भी किसान हो, वह मुझसे बहस कर ले। ...(व्यवधान) किसान की खुशहाली का काम कौन सबसे ज्यादा किया है? ...(व्यवधान) इस बात को मैं कह सकता हूँ। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, आप अगर हाऊस को और एक्सटेंड करते हैं तो मैं अपनी बहस जारी रखुंगा, अपनी बात कहुंगा। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever objectionable thing is spoken, that will be expunged.

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virendra Singh will continue his speech tomorrow.

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th December, 2015 at 11 a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 10, 2015/Agrahayana 19, 1937 (Saka).